परिशिष्ट 1.1 भाग क

(सन्दर्भ: कंडिका 1.1)

		•		<u>का परिचय</u>				
		क.	सामान्य	आँकड़ा				
क्र.सं.		विवरण					31	ाँ कड़ा
1	क्षेत्र	hल					79,714 वर्ग कि.मी.	
		·····						
	সল	सख्या 2011						
2	क.	2011						3.33 करोड़
	ख.	2020						3.82 करोड़
		जनसंख्या का घनत्व ¹ (2001 की जनगणना के अन्सार)				338 व्यवि	त प्रति वर्ग
	क.	(अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.र्म	Ť.)				कि.मी.	
3	ख.	जनसंख्या का घनत्व (2011 की जनणना के अनुसार)					414 व्यक्ति	प्रति वर्ग
		(अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.र्म	T.)				कि.मी.	
4	गरी	बी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बी.पी.एल.) ² 2011-12	(अखिल ध	भारतीय औस	ਜ = 21.9%)		36	6.90 प्रतिशत
5	साक्षर	ता ³ (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय	औसत =	= 73%)			7	1.80 <i>ਸ਼ਰਿशत</i>
6	शिशु	मृत्यु दर⁴ 2017 (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भा	रतीय = ३	33 प्रति 100	00 जीवित जन्म)			29
	जन्म	के समय जीवन प्रत्याशा ⁵ (2014-18) (अखिल भारतीय	= 69.4 7	वर्ष)			69.1 वर्ष	
	मान	ाव विकास सूचकांक ⁶						
7	क.	2018 (अखिल भारतीय = 0.647)						उपलब्ध नहीं
		2019 (अखिल भारतीय = 0.645)					उपलब्ध नहीं	
8	वर्ष 2	011-12 को आधार मानते हुए वर्तमान मूल्य पर 2019-	20 का स	कल राज्य घ	गरेलू उत्पाद (स.रा	.घ.उ.)	₹ 3,28,598 करोड़	
9	प्रति व	व्यक्ति स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2011-12 से 2019-20)	झारखण्ड	•		8.51 <i>प्रतिशत</i>	
		·	, 	सामान्य श्रेप	गी राज्य		10.53 प्रतिशत	
10	स.रा.	घ.उ. सी.ए.जी.आर.(2011-12 से 2019-20) ⁷		झारखण्ड सामान्य श्रेण	ரி பட ா			0.21 <i>प्रतिशत</i> 1.98 <i>प्रतिशत</i>
				सामान्य ऋष झारखण्ड	गा राज्य			1.36 <i>प्रातशत</i> 4.81 <i>प्रतिशत</i>
11	जनस	ख्या वृद्धि ⁸ (2011 से 2020)		रारा उ सामान्य श्रेप	गी राज्य			0.98 <i>प्रतिशत</i>
		ख.	वित्तीय ३	भाँकड़ा			!	
क्र.सं.		विवरण			आँकड़े (प्र	तिशत व	में)	
		सी.ए.जी.आर.		<u>010-11</u> 社	2018-19		2018-19 से	2019-20
				श्रेणी राज्य	झारखण्ड	सामान	य श्रेणी राज्य	झारखण्ड
1	क	राजस्व प्राप्तियों का		3.65	14.67		2.08	4.03
2	ख	कर राजस्व का		2.21	12.58		2.12	13.69
4	ग	गैर कर राजस्व का कल व्यय का		1.19 3.87	14.46 14.74		23.44 4.09	5.96 5.85
5	घ ङ	पुँजीगत व्यय का		4.64	19.00		(-)3.86	(-)7.78
6	ਹ ਹ	शिक्षा पर राजस्व व्यय का		11.58	8.98		11.81	27.69
7	ন্ত	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का		5.43	21.13		9.48	(-)10.63
8	ज	वेतन एवं मजद्री का		10.78	10.05		9.51	5.72
9	् झ	पेशन का		4.14	14.13		9.74	0.23
	۲'		<u>'</u>				3.7 - T	3,20

सेंसस इंफो इण्डिया 2011 अंतिम कुल जनसंख्या आर्थिक सर्वे प्रतिवेदन 2018-19, (भाग II), पृष्ठ ए 168-169, तालिका 9.8

झारखण्ड आर्थिक सर्वे प्रतिवेदन 2019-20, पृष्ठ 191,

झारखण्ड आर्थिक सर्वे प्रतिवेदन 2019-20, पृष्ठ 222,

²⁰¹¹ की जनगणना की एस आर एस आधारित संछिप्त जीवन तालिका 2014-18 की विवरणी 3

यू.एन.डी.पी.द्वारा प्रकाशित मानव विकास प्रतिवेदन 2019 पृष्ठ 302 एवं मानव विकास प्रतिवेदन 2020 पृष्ठ 243 स.रा.घ.उ. एवं प्रति ट्यक्ति स.रा.घ.उ., एस.पी.आई. मंत्रालय वेबसाइट से डाउनलोड किया गया भारत की जनगणना 2011 (जनसंख्या प्रोजेक्सन 2011-2036, तालिका 14, पृष्ठ 121 से 133)

परिशिष्ट 1.1 भाग ख सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा

(संदर्भ : कंडिका 1.1)

सरकारी लेखाओं की संरचना: राज्य सरकार के लेखे तीन भाग में रखे जाते हैं (1) संचित निधि, (2) आकस्मिकता निधि और (3) लोक लेखा।

भाग । : संचित निधि: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किये गये सारे राजस्व, कोषागार विपत्र जारी कर लिए गये सारे ऋण, आंतरिक एवं वाहय ऋण और ऋणों की वापसी में सरकार को मिली सभी तरह की राशि भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित "राज्य सरकार की संचित निधि" नामक एक संचित निधि का निर्माण करेगी।

भाग- II : आकस्मिकता निधि:- संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के तहत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि एक इम्प्रेस्ट की तरह होती है जिससे अत्यावश्यक अनपेक्षित व्यय हेतु अग्रिम देने के लिए राज्यपाल के नियंत्रण में रखा जाता है जो विधान सभा से प्राधिकृत किये जाने के लिए लंबित होता है। ऐसे व्यय हेतु और संचित निधि से व्यय के समतुल्य राशि की निकासी हेतु विधान सभा का अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है जिसके पश्चात आकस्मिकता निधि से दिये गये अग्रिम की राशि निधि में डालकर प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।

भाग- III : लोक लेखा: कुछ लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण आदि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण, जो संचित निधि का भाग नहीं होते, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत लोक लेखे में रखे जाते हैं और राज्य विधानमण्डल के द्वारा मत का विषय नहीं होते हैं।

	भाग-ग : वित्त लेखे का अभिन्यास
विवरणी	अभिन्यास
विवरणी सं. 1	वर्ष के अंत में सरकार की परिसंपतियों एवं दायित्वों के संचयी आँकड़ों को दर्शाता है। ये परिसंपतियाँ व्यापक रूप से सरकार की भौतिक
	परिसंपत्तियों का उल्लेख करते हुए प्रगामी पूँजीगत व्यय के आँकड़ों सहित वित्तीय परिसंपत्तियाँ हैं। परिसंपत्तियाँ, लेखांकन नीति के
	अनुसार, ऐतिहासिक मूल्य पर दर्शायी जाती हैं।
विवरणी सं. 2	इसमें वर्ष के दौरान सरकार की कुल प्राप्तियाँ तथा व्यय, सभी तीन भागों अर्थात संचित निधि, आकस्मिकता निधि व लोक लेखे जिसमें
	सरकारी लेखे रखे जाते हैं, को दर्शाती हुई संक्षिप्त विवरणी होती है।
विवरणी सं. 3	इस विवरणी में राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ और सरकार के भारत सरकार व अन्य संस्थानों से ऋण वाले उधार, बाजार ऋण तथा
	सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ सम्मिलित होती हैं।
विवरणी सं. 4	यह विवरणी कार्य (कार्यकलाप) अनुसार व्यय प्रस्तुत करती है और कार्यकलापों की प्रकृति (व्यय का प्रयोजन) के अनुसार व्यय को
	सारांशीकृत भी करती है।
विवरणी सं. 5	यह कार्यवार प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है, जिसका सकल योग विवरण-1 में दर्शाया गया है।
विवरणी सं. 6	यह बाजार ऋण एवं भारत सरकार से ऋण व अग्रिम को मिलाकर सरकार के उधारों को प्रस्तुत करता है। इसके साथ साथ, 'अन्य दायित्व'
	जो लोक लेखाओं के विभिन्न क्षेत्रों में शेष हैं, जिसके लिए सरकार ट्रस्टी या अभिरक्षक के रूप में कार्य करती है भी दिये जाते हैं।
विवरणी सं. 7	, ,
	एवं 4 में दिखायी गयी वस्तियाँ, संवितरणों को दर्शाता है।
विवरणी सं. 8	यह विभिन्न संस्थाओं के शेयर पूँजी में सरकारी निवेश का तुलनात्मक सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 9	सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिये गये ऋण के पुनर्भुगतान आदि हेतु सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों की
	सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.10	यह समूह-वार अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों द्वारा व्यवस्थित, राज्य सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदानों को दर्शाता है। दिये गये
	अनुदानों पर एक टिप्पणी भी इसमें शामिल रहती है।
विवरणी सं.11	वर्ष के दौरान हुए भारित एवं दत्तमत व्यय के मध्य वितरण को इंगित करती है।
विवरणी सं.12	यह पूँजीगत एवं अन्य व्यय (राजस्व लेखे को छोड़कर) एवं व्यय हेतु निधि के स्रोत को दर्शाता है।
विवरणी सं.13	संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे से संबंधित शेष का सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.14	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.15	यह लघु शीर्षवार राजस्व व्यय के लेखाओं को योजना एवं गैर-योजना के अंतर्गत अलग-अलग दर्शाता है।
विवरणी सं.16	वर्ष 2019-20 के दौरान और इसके अंत में पूँजीगत व्यय का विस्तृत ब्यौरा प्रदर्शित करती है।
विवरणी सं.17	यह लघु शीर्षवार उधारों एवं अन्य दायित्वों का विवरण तथा सभी ऋणों की वापसी व परिपक्वता की रूपरेखा को दर्शाता है।
विवरणी सं.18	झारखण्ड सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों, वर्ष के दौरान वापस की गयी ऋण की राशि, 31 मार्च 2020 के अधिशेष का विस्तृत
	लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.19	वर्ष 2019-20 के अंत तक राज्य सरकार के सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी बैंकों तथा
	सोसाइटियों आदि में राज्य सरकार के निवेश का विस्तृत ब्यौरा दर्शाती है।
विवरणी सं. 20	वैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियाँ, स्थानीय निकायो एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिये गये ऋण इत्यादि की वापसी के लिए राज्य सरकार
	द्वारा दिए गए गारंटी का विवरण दिखाती है।
	आकस्मिकता निधि और लोक लेखे के लेन-देन से संबंधित विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 22	आरक्षित निधियों के चिन्हित अधिशेषों का विवरण प्रस्तुत करती है।

परिशिष्ट 1.2 वर्ष 2019-20 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(संदर्भ: कंडिका 1.4.2)

			वर्ष 201	9-20 के प्राप्तिर	मों एवं संवितरणों का र	 सार		<u> </u>	(रे कराड़ म)
	प्राप्तिर	 มั	41.201			 संवितरण			
2018-19			9-20	2018-19				9-20	
	भाग - क:					स्थापना	राज्य एवं	कुल	
	राजस्व						केंद्र योजना	3	
56,151.70	I. राजस्व प्राप्तियाँ		58,417.14	50,630.73	l. राजस्व व्यय	28,829.69	27,626.94	56,456.63	56,456.63
14,752.07	कर राजस्व		16,771.45	17,655.66	सामान्य सेवाएँ	18,371.59	342.27	18,713.86	
				18,786.03	सामाजिक सेवाएँ	7,243.33	14,204.55		
8,257.98	कर-भिन्न राजस्व		8,749.98	7,844.02	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	5,438.50	4,308.49	9,746.99	
				3,123.00	म्वाम्थ्य एवं परिवार	1,086.18	1,704.62	2,790.80	
	संघीय करों में				जलापूर्ति, स्वच्छता,				
23,906.13	राज्य के हिस्से		20,593.04	3,299.09	- *	315.7	2,869.49	3,185.19	
1,059.89	गैर-योजना अन्दान	वित्त आयोग अन्दान	3,154.6	160.05	मचना एतं प्रमारण	115.52	79.21	194.73	
	जनुदान राज्य योजना	जनुदान राज्य को			अनुसूचित जातियों,				
1,178.78	हेतु अनुदान	अन्य अन्य अनुदान	1,809.01	1,146.45	जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का	145.74	1,059.66	1,205.40	
		`			कल्याण				
6,996.85	केन्द्र एवं केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु अनुदान	केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	7,339.06	118.05	श्रम एवं श्रम कल्याण	61.69	63.04	124.73	
	<u> </u>	·		3,063.61	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	48.6	4,120.04	4,168.64	
				31.76	अन्य	31.40	0	31.40	
				14,189.04	आर्थिक सेवाएँ	3,213.55	13,080.12	16,293.67	
				1,789.5	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	495.93	2,509.67	3,005.60	
				7,431.63	ग्रामीण विकास	559.57	7,313.21	7,872.78	
				0	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0	0	0.00	
				399.42	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	385.64	0	385.64	
				2,690.22	3र्जा	1,350	1,649.93	2,999.93	
				344.55	उद्योग एवं खनिज	65.2	258.62	323.82	
				386.85	परिवहन	247.31	167.25	414.56	
				0	विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	0	0	0	
				1,146.87	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	109.88	1181.46	1291.34	
				0	सहायता अनुदान एवं अंशदान	1.22	0	1.22	
				50,630.73	कुल	28,829.69	27,626.94	56,456.63	
0	॥.खण्ड-ख में ले			5,520.97	II. राजस्व आधिक्य				1,960.51

	जाया गया				खण्ड ख				
50 454 70	राजस्व घाटा		50 447 44						
56,151.70	कुल		58,417.14	56,151.70	कुल				58,417.14
Section B 550.44	III. आरंभिक रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित		795.39	0	III. भारतीय रिजर्व बैंक ओवरड्राफ्ट का आरंभिक शेष				0
0	IV. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ		0	10,711.7	IV. पूँजीगत परिव्यय	46.52	9,832.19	9,878.71	9,878.71
				791.04	सामान्य सेवाएँ	46.44	1,192.73	1,239.17	
				1,615.45	सामाजिक सेवाएँ	0.00	1,430.31	1,430.31	
				356.38	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	0	258.13	258.13	
				273.39	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0	347.69	347.69	
				566.82	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास	0	631.57	631.57	
				12.83	सूचना एवं प्रसारण	0	8.81	8.81	
				394.59	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	0	165.36	165.36	
				0	सामाजिक कल्याण एवं पोषण	0	0.86	0.86	
				11.44	अन्य	0	17.89	17.89	
				8,305.22	आर्थिक सेवाएँ	0.08	7,209.15	7,209.23	
				390.34	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	0	153.85	153.85	
				2,460.87	ग्रामीण विकास	0	1,991.11	1,991.11	
				0	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0	0	0.00	
				1,476.46	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	0	1,328.78	1,328.78	
				0	ক্ত ৰ্না	0	0	0.00	
				6.5	`	0	4.00	4.00	
				3,870.54	परिवहन	0	3,686.95	3,686.95	
				100.51	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	0.08	44.46	44.54	
47.57	V. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली		49.19	1,485.59	V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम	52.52	112.91	165.43	165.43
0	ऊर्जा परियोजनाओं से	0		1413.09	ऊर्जा परियोजनाओं हेतु	0	89.32	89.32	
47.07	सरकारी सेवकों से	48.77		46.88	सरकारी सेवकों को	52.52	0	52.52	
0.50	अन्य से	0.42		25.62	अन्य को	0.00	23.59	23.59	
5,520.97	VI. नीचे लाया		1,960.51	0	VI. नीचे लाया गया				0

	गया राजस्व				राजस्व घाटा		
	आधिक्य						
7,803.43	VII. लोक ऋण प्रप्तियाँ		9,593.12	3,060.10	VII. लोक ऋण की वापसी	4,231.40	4,231.40
7,530.52	वाहय ऋण	9,167.14		2,893.42	वाहय ऋण	4,057.86	
0	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आंतरिक ऋण	0		0	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आंतरिक ऋण	0	
0	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत लेनदेन	0		0	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत लेनदेन	0	
272.91	ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन	425.98		166.68	ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन	173.54	
0	VIII. आकस्मिकता निधि से विनियोग		0		VIII. आकस्मिकता निधि से विनियोग		0
0	IX. आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि		0		IX. आकस्मिकता निधि से व्यय		0
25,409.79	X. लोक लेखा प्राप्तियाँ		33,242.77	23,279.41	X. लोक लेखा संवितरण	27,901.96	27,901.96
1,120.04	छोटे बचत एवं भविष्य निधि	1,175.37		1,051.11	छोटे बचत एवं भविष्य निधि	1,169.63	
421.00	रक्षित निधि	4,379.02		41.95	9		
38.72	उचंत एवं विविध			11.00	रक्षित निधि	361.09	
10,647.59		259.60		-87.99	राक्षत ।नाध उचंत एवं विविध	361.09 162.90	
	प्रेषण	259.60 11,106.53					
13,182.44	जमा एवं अग्रिम			-87.99	उचंत एवं विविध प्रेषण जमा एवं अग्रिम	162.90	
13,182.44	जमा एवं अग्रिम अंतर्राज्यीय समायोजन	11,106.53		-87.99 10,587.99	उचंत एवं विविध प्रेषण जमा एवं अग्रिम अंतर्राज्यीय समायोजन	162.90 11,123.50	
	जमा एवं अग्रिम अंतर्राज्यीय	11,106.53 16,322.25		-87.99 10,587.99 11,686.35	उचंत एवं विविध प्रेषण जमा एवं अग्रिम अंतर्राज्यीय	162.90 11,123.50 15,084.84	3,463.48
0	जमा एवं अग्रिम अंतर्राज्यीय समायोजन XI. भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट का	11,106.53 16,322.25		-87.99 10,587.99 11,686.35 0 795.39	उचंत एवं विविध प्रेषण जमा एवं अग्रिम अंतर्राज्यीय समायोजन XI. वर्ष के अंत में रोकड़ शेष कोषागार में नकद	162.90 11,123.50 15,084.84 0 3,463.48	3,463.48
0	जमा एवं अग्रिम अंतर्राज्यीय समायोजन XI. भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट का	11,106.53 16,322.25		-87.99 10,587.99 11,686.35 0 795.39	उचंत एवं विविध प्रेषण जमा एवं अग्रिम अंतर्राज्यीय समायोजन XI. वर्ष के अंत में रोकड़ शेष कोषागार में नकद और स्थानीय प्रेषण रिजर्व बैंक में जमा	162.90 11,123.50 15,084.84 0 3,463.48	3,463.48
0	जमा एवं अग्रिम अंतर्राज्यीय समायोजन XI. भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट का	11,106.53 16,322.25		-87.99 10,587.99 11,686.35 0 795.39	उचंत एवं विविध प्रेषण जमा एवं अग्रिम अंतर्राज्यीय समायोजन XI. वर्ष के अंत में रोकड़ शेष कोषागार में नकद और स्थानीय प्रेषण रिजर्व बैंक में जमा स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष	162.90 11,123.50 15,084.84 0 3,463.48	3,463.48
0	जमा एवं अग्रिम अंतर्राज्यीय समायोजन XI. भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट का	11,106.53 16,322.25		-87.99 10,587.99 11,686.35 0 795.39 0 188.30 39.19	उचंत एवं विविध प्रेषण जमा एवं अग्रिम अंतर्राज्यीय समायोजन XI. वर्ष के अंत में रोकड़ शेष कोषागार में नकद और स्थानीय प्रेषण रिजर्व बैंक में जमा स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष चिन्हित निधि का निवेश	162.90 11,123.50 15,084.84 0 3,463.48 0 -54.14 47.00 400.00	3,463.48
0	जमा एवं अग्रिम अंतर्राज्यीय समायोजन XI. भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट का	11,106.53 16,322.25	1,04,058.12	-87.99 10,587.99 11,686.35 0 795.39 0 188.30 39.19	उचंत एवं विविध प्रेषण जमा एवं अग्रिम अंतर्राज्यीय समायोजन XI. वर्ष के अंत में रोकड़ शेष कोषागार में नकद और स्थानीय प्रेषण रिजर्व बैंक में जमा स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष	162.90 11,123.50 15,084.84 0 3,463.48 0 -54.14 47.00 400.00 3,070.62	3,463.48

परिशिष्ट 2.1 राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आँकड़े

(संदर्भ: कंडिका 2.3.1.1 व 2.4)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	(₹ कराइ <i>म</i>) 2019-20
भाग - क. प्राप्तियाँ	2013-10	2010-17	2017-18	2010-19	2019-20
1. राजस्व प्राप्तियाँ	40,638.00	47,054.00	52,756.00	56,152.00	58,417.00
(i) कर राजस्व	11,478.00	13,299.00	12,353.00	14,752.00	16,771.00
वस्तु एवं सेवा कर	-	-	4,124.00	8,201.00	8,418.00
कृषि आय पर कर	-	-	-	-	-
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	8,999.00	10,549.00	5,715.00	3,475.00	3,996.00
राजस्व उत्पाद	912.00	962.00	841.00	1,083.00	2,009.00
वाहनों पर कर	633.00	682.00	779.00	864.00	1,129.00
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	532.00	607.00	469.00	451.00	560.00
भू-राजस्व	164.00	240.00	156.00	389.00	338.00
माल एवं यात्रियों पर कर	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य कर	237.00	259.00	270.00	289.00	321.00
(ii) कर भिन्न राजस्व	5,853.00	5,351.00	7,847.00	8,258.00	8,750.00
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	15,969.00	19,142.00	21,144.00	23,906.00	20,593.00
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	7,338.00	9,262.00	11,412.00	9,236.00	12,303.00
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
3. ऋण एवं अग्रिम की वस्ली	31.00	39.00	42.00	47.00	49.00
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत	40.660.00	47.002.00	E2 924 00	E6 100 00	E0 466 00
प्राप्तियाँ (1+2+3)	40,669.00	47,093.00	52,824.00	56,199.00	58,466.00
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	13,245.00	7,081.00	8,137.00	7,803.00	9,593.00
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं	13,080.00	6 947 00	7,905.00	7,531.00	0.167.00
ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	13,080.00	6,847.00	7,905.00	7,551.00	9,167.00
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अंतर्गत निवल लेन-देन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	165.00	234.00	232.00	273.00	426.00
6. संचित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	53,914.00	54,174.00	60,960.00	64,002.00	68,059.00
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	29,037.00	22,052.00	25,410.00	33,243.00	33,243.00
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	82,951.00	76,226.00	86,370.00	97,245.00	1,01,302.00
भाग - ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	36,553.00	45,089.00	50,952.00	50,631.00	56,457.00
योजना/राज्य योजनाएँ, के.प्रा.स्कीम- केंद्रांश, केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	15,793.00	22,194.00	22,999.00	23,983.00	27,627.00
गैर योजना/स्थापना	20,760.00	22,895.00	27,953.00	26,648.00	28,830.00
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भृगतान सहित)	12,002.00	13,024.00	16,558.00	17,656.00	18,714.00
सामाजिक सेवाएँ	14,844.00	18,557.00	19,575.00	18,786.00	21,448.00
आर्थिक सेवाएँ	9,707.00	13,508.00	14,819.00	14,189.00	16,294.00
सहायता अन्दान एवं अंशदान	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
11. पूँजीगत व्यय	8,159.00	10,861.00	11,953.00	10,712.00	9,879.00
योजना/राज्य योजनाएँ, के.प्रा.स्कीम-					
केंद्रांश, केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	8,087.00	10,814.00	11,884.00	10,669.00	9,832.00
गैर योजना/स्थापना	72.00	47.00	69.00	42.00	47.00
सामान्य सेवाएँ	571.00	590.00	807.00	791.00	1,239.00
सामाजिक सेवाएँ	1,024.00	1,532.00	1,528.00	1,616.00	1,431.00

आर्थिक सेवाएँ	6,564.00	8,739.00	9,618.00	8,305.00	7,209.00
12. ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	7,480.00	1,335.00	1,852.00	1,485.00	165.00
13. कुल व्यय(10+11+12)	52,192.00	57,285.00	64,756.00	62,828.00	66,501.00
14. लोक ऋण पुनर्भुगतान	2,246.00	2,078.00	2,950.00	3,060.00	4,231.00
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	2,079.00	1,920.00	2,788.00	2,893.00	4,058.00
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	167.00	158.00	161.00	167.00	173.00
15. आकस्मिकता निधि से विनियोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16. संचित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	54,438.00	59,363.00	67,706.00	65,888.00	70,732.00
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18. लोक लेखा संवितरण	27,053.00	16,820.00	23,279.00	27,902.00	27,903.00
19. राज्य द्वारा कुल वितरण (16+17+18)	81,491.00	76,183.00	90,985.00	93,790.00	98,635.00
भाग - ग. घाटे					
20. राजस्व घाटा(-)/राजस्व आधिक्य(+) (1-10)	4,085.00	1,965.00	1,804.00	5,521.00	1,960.00
21. राजकोषीय घाटा(-)/राजकोषीय आधिक्य(+) (4-13)	-11,523.00	-10,192.00	-11,933.00	-6,629.00	-8,035.00
22. प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य(+) (21- 23)	-8,203.00	-6,020.00	-7,271.00	-1,777.00	-2,727.00
भाग-घ. अन्य आँकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सन्निहित)	7,436.00	6,176.00	6,534.00	10,420.00	15,352.00
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	3,320.00	4,172.00	4,662.00	4,852.00	5,308.00
25. अर्थोपाय अग्रिम/उपमुक्त ओवरड्राफ्ट(दिन)	14,891.00	20,332.00	20,714.00	17,976.00	19,191.00
उपमुक्त अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	0.00	3.00	7.00	58.00	16.00
उपमुक्त ओवरड्राफ्ट (दिन)	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	0.00	0.00	0.21	6.23	3.95
27. (क) वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेल् उत्पाद (स.रा.घ.उ.)@	2,06,613.00	2,36,250.00	2,69,816.00	2,97,204.00	3,28,598.00
27. (ख) स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेल् उत्पाद (स.रा.घ.उ.)@	1,74,881.00	1,93,174.00	2,10,587.00	2,24,986.00	2,40,036.00
28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अंत में)	56,530.00	66,827.00	77,095.00	83,783.00	94,407.00
29. बकाया प्रतिभूतियाँ (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)	157.00	157.00	157.00	607.00	607.00
30. अधिकतम प्रत्याभूत राशि (वर्ष के अंत में)	157.00	157.00	157.00	450.00	450.00
31. अपूर्ण योजनाओं की संख्या (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक)	195.00	280.00	113.00	410.00	378.00
32. अपूर्ण योजनाओं में अवरूद्ध पूँजी	2,089.00	4,778.00	1,403.00	3,818.00	3,828.00
भाग - ङ. राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					

। संसाधन संग्रहण					
स्वयं के कर राजस्व/वर्तमान मूल्य पर	F F0	F 00	4.50	4.00	F 10
स.रा.घ.उ.	5.56	5.63	4.58	4.96	5.10
स्वयं के कर राजस्व/स्थिर मूल्य पर	6.56	6 00	E 07	6 56	6.00
स.रा.घ.उ.	6.56	6.88	5.87	6.56	6.99
स्वयं के कर-भिन्न राजस्व/वर्तमान मूल्य	2.02	2.20	2.01	0.70	2.00
पर स.रा.घ.उ.	2.83	2.26	2.91	2.78	2.66
स्वयं के कर-भिन्न राजस्व/स्थिर मूल्य	2.25	277	2 72	2 67	2.65
पर स.रा.घ.उ.	3.35	2.77	3.73	3.67	3.65
केंद्रीय अंतरण/वर्तमान मूल्य पर	7.73	8.10	7.84	8.04	6.27
स.रा.घ.उ.	7.73	0.10	7.04	0.04	0.27
केंद्रीय अंतरण/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	4.20	4.79	5.42	4.10	5.13
॥ व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	25.26	24.25	24.00	21.14	20.24
कुल व्यय/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	29.84	29.65	30.75	27.93	27.70
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	128.40	121.70	122.75	111.89	113.84
राजस्व व्यय/कुल व्यय	70.00	78.70	78.68	80.59	84.90
सामाजिक सेवाओं पर व्यय (ऋ. व अ.	30.50	35.20	32.64	32.47	34.44
सहित)/कुल व्यय	30.50	33.20	32.04	32.47	34.44
आर्थिक सेवाओं पर व्यय (ऋ. व अ.	45.30	41.00	40.46	35.84	35.48
सहित)/कुल व्यय	45.30	41.00	40.40	33.64	33.46
पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	15.60	19.00	18.46	17.05	14.86
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर	14.50	17.90	17.21	15.79	12.99
पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	14.50	17.90	17.21	13.78	12.99
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/वर्तमान मूल्य पर	1.98	0.83	0.67	1.86	0.60
स.रा.घ.उ.	1.50	0.00	0.07	1.00	0.00
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स्थिर मूल्य पर	2.34	1.02	0.86	2.45	0.82
स.रा.घ.उ.	2.04	1.02	0.00	2.40	0.02
राजकोषीय घाटा (आधिक्य)/वर्तमान मूल्य	-5.58	-4.31	-4.42	-2.23	-2.45
पर स.रा.घ.उ.	0.00			2.20	20
राजकोषीय घाटा (आधिक्य)/स्थिर मूल्य	-6.59	-5.28	-5.67	-2.95	-3.35
पर स.रा.घ.उ.					
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/वर्तमान मूल्य	-3.97	-2.55	-2.69	-0.60	-0.83
पर स.रा.घ.उ.					
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स्थिर मूल्य पर	-4.69	-3.12	-3.45	-0.79	-1.14
स.रा.घ.उ.		02	00	0.70	
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	-35.50	-19.30	-15.12	-83.28	-24.39
प्राथमिक राजस्व संतुलन/वर्तमान मूल्य	3.60	2.61	2.42	3.51	4.67
पर स.रा.घ.उ.	3.00	2.01	2.42	3.31	4.07
प्राथमिक राजस्व संतुलन/स्थिर मूल्य पर	4.25	3.20	3.10	4.63	6.40
स.रा.घ.उ.	4.23	3.20	3.10	4.03	0.40
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय दायित्व/वर्तमान मूल्य पर	07.00	00.00	00.57	00.40	00.70
स.रा.घ.उ.	27.36	28.29	28.57	28.19	28.73
राजकोषीय दायित्व/स्थिर मूल्य पर	00.00	0.1.50	00.04	07.07	00.00
स.रा.घ.उ.	32.32	34.59	36.61	37.24	39.33
राजकोषीय दायित्व/रा.प्रा.	139.10	142.00	146.00	149.00	162.00
प्रमात्रा विस्तार के संदर्भ में प्राथमिक			0.400.77	4 400 00	
Ť	-13,898.03	-2,083.16	-2,438.75	1,196.89	815.38

ऋण निर्मोचन (मूलधन+ब्याज)/कुल ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्राप्ति					
V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
निवेश पर आय	शून्य	शून्य	शून्य	*	शून्य
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	14,226.00	16,773.00	उ.न.	उ.न.	उ.न.
वित्तीय परिसम्पति/दायित्व	109.00	111.00	111.00	118.00	118.00
सामान्य सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सामाजिक सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम	43.00	47.00	32.00	23.00	24.00
आर्थिक सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम	7,388.00	1,236.00	1,764.00	1,462.00	89.00
परिसंपत्तियाँ	57,153.00	67,419.00	77,635.00	84,382.00	95,080.00
दायित्व	62,291.00	74,522.00	86,542.00	99,210.00	1,11,869.00

टिप्पणी: दूसरे अवयवों से तुलना के दौरान घाटा को (-) एवं आधिक्य को (+) के रूप में दिखाया गया है। @ आँकड़े सी.एस.ओ. से प्राप्त किये गये ।

^{∗ ₹ 15,000} मात्र

परिशिष्ट 2.2 31 मार्च 2020 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति

(संदर्भ: कंडिका 2.5.4)

31.03.2019 को	दायित्व		31.03.2020 को
58436.19	आंतरिक ऋण		63545.46
37110.68	ब्याज वाले बाजार ऋण	42766.70	
0.07	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.04	
6.30	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	5.59	
12993.27	अन्य संस्थाओं से ऋण	13216.75	
0	अर्थोपाय अग्रिम	0	
8325.87	केन्द्र सरकार के एन.एस.एस. निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	7556.38	
0	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	0	
2339.08	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम		2591.52
0	1984-85 के पूर्व के ऋण	0	
15.79	गैर योजना ऋण	14.02	
2323.29	राज्य योजनागत योजना हेतु ऋण	2577.5	
500	आकस्मिकता निधि		500
1211.11	लघु बचत भविष्य निधि		1216.86
19866.44	जमा		21104.74
1930.10	रक्षित निधि		5948.02
99.27	अंतरण शेष		82.3
0	उचंत एवं विविध शेष		91.29
14828.18	व्यय से अधिक संचित आधिक्य की प्राप्ति		16788.69
99210.37	कुल		111868.88
	परिसम्पत्तियाँ		
77673.30	अचल संपत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय		87552.02
331.18	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयर में निवेश	328.43	
77342.12	अन्य पूँजीगत परिव्यय	87223.59	
0	अन्तर्राज्यीय समायोजन		0
20730.00	ऋण एवं अग्रिम		20846.24
19857.29	ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण	19946.61	
848.49	अन्य विकास ऋण	871.66	
24.22	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अन्य ऋण	27.97	
6.28	अग्रिम		7.14
5.41	उचंत एवं विविध शेष		0
795.38	नकद		3463.48
0	कोषागार में नकद एवं स्थानीय प्रेषण	0	
188.3	रिजर्व बैंक में जमा	-54.14	
400	जमा निधि का निवेश	400	
39.18	विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम सहित	47	
167.9	नकद शेष निवेश	3070.62	
0.00	प्रेषण शेष		0
0	सरकारी लेखे में घाटा		0
	(i) वर्ष के दौरान राजस्व घाटा/आधिक्य		
	(ii) विविध घाटा		
	वर्ष के आरंभ में संचित घाटा/आधिक्य		
99210.37	कुल		111868.88

परिशिष्ट 3.1 बजट प्रावधान के बिना खर्च वाले योजनाओं का अनुदान- वार सार

(संदर्भ: कंडिका 3.3.1)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	व्यय	आधिक्य/बचत
1.	1	2401-00-109-01	44.35	44.35
2.		2401-00-796-A1	19.39	19.39
3.	3	2059-80-001-12	0.02	0.02
4.		2059-80-053-02	0.85	0.85
5.		6003-00-101-0026	0.03	0.03
6.	14	6003-00-101-0027	0.01	0.01
7.		6003-00-101-0028	2.47	2.47
8.		6003-00-101-110	51745.00	51745.00
9.		6003-00-101-111	47440.00	47440.00
10.		6003-00-101-112	59989.00	59989.00
11.		6003-00-101-113	25224.00	25224.00
12.	15	2071-01-101-01	26191.42	26191.42
13.	19	2406-01-796-03	0.17	0.17
14.		2406-01-796-05	2.29	2.29
15.	20	2210-06-101-10	0.41	0.41
16.	33	2070-00-796-06	12.74	12.74
17.	40	2029-00-102-19	7.43	7.43
18.	40	2029-00-102-20	0.01	0.01
19.		2070-00-115-03	8.51	8.51
20.		2070-00-796-03	12.74	12.74
21.	58	2202-02-109-66	207.36	207.36
22.	_	2202-02-796-15	3.15	3.15
		कुल	210911.35	210911.35

परिशिष्ट 3.2 मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 0.50 करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए (संदर्भ: कंडिका 3.3.4)

स्वाप्त स्व						(र कराइ म)
1 1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (शृषि प्रभाग) 3230.59 143.18 2062.07 13 2 2-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) 268.22 5.44 212.65 3 4-मॅरिमंडल सर्विवालय एवं निगरानी विभाग (मेडिमंडल सर्विवालय एवं समनवय प्रभाग) 11.83 42.14 4 6 मेडिमंडल सर्विवालय एवं निगरानी विभाग (मेडिमंडल सर्विवालय एवं समनवय प्रभाग) 11.83 42.14 5 10-ऊर्जी विभाग 61.33 340.81 348.16 5 10-ऊर्जी विभाग (विभाग (विभाग) 3533.09 923.33 3059.1 14 6 मेडिमंडल (मेडिमंबल) विभाग 355.22 6.54 33.32 7 12-पोजला सह वित विभाग (वित प्रभाग) 64.53 15.50 55.77 8 17-वाणिज्यकर विभाग 160.88 17.22 84.20 9 18-खाद्य, सार्वजिनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग 1341.66 199.26 1134.35 4 10 19-वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 3529.22 289.31 2780.61 10 12 20-वास-व्य- विकित पर्य पर्य परिवाल कर्याणा विभाग 3529.22 289.31 2780.61 10 12 21-उच्च एवं तक्कीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग) 1305.85 452.60 1447.55 3 13 22-गृह, कारा और आपदा प्रवंधन विभाग (गृह प्रभाग) 4883.73 567.03 5256.74 1 14 23-उद्योग विभाग 431.08 11.90 272.47 1 15 24-युवना एवं जलवर्षके विभाग 431.08 23.34 192.37 1 16 26-अम, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग 254.49 28.80 142.88 1 17 27-शिष्ट विभाग 387.67 52.57 360.98 1 18 29- खान एवं मुस्तल विभाग 387.67 52.57 360.98 1 19 32-विधान सभा 93.48 5.78 91.43 1 20 33-कार्मिक, पशासिनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 1789.76 50.30 641.46 11 23 33-कार्मिक, पशासिनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 1789.76 50.30 641.46 11 24 37-कार्मिक, पशासिनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 1789.76 50.30 641.46 11 25 30-गृह, कारा एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग) 26.43 8.82 24.90 38.97, कारा एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	क्र.सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान		मूल प्रावधान में से बचत
2 2-कृषि, रघुपालन एवं सहलारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) 268.22 5.44 212.65 4 संगितालय एवं समनवय प्रभाग) 4 6 मंगितंडल सरिवालय एवं विमानी विभाग (मंगितंडल सिवालय एवं समनवय प्रभाग) 4 6 मंगितंडल (मिर्वावन) विभाग 61.33 340.81 348.16 5 10-3-जी विभाग 3533.09 923.33 3059.1 14 6 11-3-ट्या एवं मद्रव विभेध विभाग 355.52 6.54 33.32 7 12-योजना सह वित विभाग (वित प्रभाग) 80.88 17.22 84.20 9 18-वाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग 1341.66 199.26 1134.35 4 10 19-वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 728.11 272.76 714.44 2 11 20-स्वास्थ्य, होकेस्सा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग) 80.88 17.22 84.20 12 21-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग) 4305.85 452.60 1447.55 12 12 21-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग) 4883.73 567.03 5256.74 1 13 22-गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (पृह प्रभाग) 4883.73 567.03 5255.74 1 14 23-उद्योग विभाग 431.08 11.90 272.47 1 15 24-सुचना एवं जलवंपक विभाग 841.08 11.90 272.47 1 16 26-अम, रोजगार एवं जीवल विकास विभाग 954.49 28.80 142.88 1 17 27-विपि विभाग 387.67 552.57 360.98 1 18 29- खान एवं मुतत्व विभाग (प्रक्षा प्रभाग) 33.48 5.78 91.43 3.3-कामिक सुधार तथा राजभाणा विभाग (कामिक पर्य प्रशासिक सुधार प्रभाग) 33.648 3.45 270.39 2.5 विभाग 19 32-विपान समा 93.48 5.78 91.43 3.3-कामिक सुधार प्रभाग) 336.48 3.45 270.39 2.5 विभाग (प्रभाग) 37-कामिक सुधार प्रभाग) 386.48 3.45 270.39 2.5 वि-पा जलवंपक विभाग (प्रजान प्रभाग) 366.84 3.45 270.39 2.5 विभाग प्रभाग) 39-तृह, कारा एवं अमित सुधार विभाग (जिल्चा प्रभाग) 26.43 8.82 24.90 39-गृह, कारा एवं अमित सुधार विभाग (जिल्चा प्रभाग) 26.43 8.82 24.90 39-गृह, कारा एवं अमित विभाग (प्रजान एवं प्रविप्त प्रभाग) 5586.94 130.16 4452.58 24 49.3-रच एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विजान एवं प्रविप्त प्रभाग) 5586.94 130.16 4452.58 24 49.3-रच एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विजान एवं प्रविप्त प्रभाग) 30.69 18.08 229.94 49.11 49-जल संसाधन विभाग (प्रविप्त प्रभाग) 5586.94 130.16 4452.58 24 49.0-रच प्रविप्त प्रभाग (प्रविप्त प्रभाग) 5586.94 130.16 4452.58 24 49.0-रच प्रविप्त प्रभाग (प्रविप्त प्रभाग) 5586.94 130.16 4452.58 24 49.0-रच प्रविप्त प्रभाग (प्रविप्त प्रभाग) 5586.9	राजस्व ((दत्तमत)				
2 2-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) 268.22 5.44 212.65 4 मंगिंवजलय एवं तिमरावी विभाग (मंगिंवजंवल प्रभाग) 54.35 11.83 42.14 4 6 मंगिंवजंवलय एवं तिमरावी विभाग (विभाग विभाग 56.33 340.81 348.16 5 10-उन्जी विभाग 3533.09 923.33 3059.1 14 6 11-उन्जी विभाग 3535.2 6.54 33.32 7 12-योजना सह वित विभाग (वित प्रभाग) 64.53 15.90 58.77 8 17-वाणिञ्चकर विभाग 80.88 17.22 84.20 9 18-वाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामते विभाग 1341.66 199.26 1134.35 4 10 19-वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 728.11 272.76 714.44 2 11 20-स्वास्थ्य, विवर्तन विभाग उच्च विभाग 3529.22 289.31 2780.61 10 12 21-उच्च एवं तकनींकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग) 4883.73 567.03 5255.74 1 13 22-गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (मृह प्रभाग) 4883.73 567.03 5255.74 1 14 23-उद्योग विभाग 431.08 11.90 272.47 1 15 24-कृपता एवं जलवंपक विभाग (मृह प्रभाग) 4883.73 567.03 5255.74 1 16 26-अम, रोजगार एवं कीकात विकास विभाग 254.49 28.80 142.88 1 17 27-विगि विभाग 38.767 52.57 360.98 1 18 29-खान एवं भूतत्व विभाग (मृह प्रभाग) 39.48 5.78 91.43 3 23-विधान सभा 33-कार्यिक सुधार तथा राजभागा विभाग (कार्यिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभागा विभाग (कार्यिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग) 336.48 3.45 270.39 3.46 विभाग (प्रभाग) 37-कार्यक विकास विभाग (प्रभाग) 336.48 3.45 270.39 3.50 विभाग (प्रभाग) 37-कार्यक विकास विभाग (प्रभाग) 336.48 3.45 270.39 3.50 विभाग (प्रभाग) 39-गृह, कारा एवं अग्रित सुधार विभाग (जाना प्रभाग) 336.48 3.45 270.39 3.50 विभाग (प्रभाग) 39-गृह, कारा एवं अग्रित सुधार विभाग (जाना प्रभाग) 336.48 3.45 270.39 3.50 विभाग (प्रभाग) 39-गृह, कारा एवं अग्रित सुधार विभाग (जाना प्रभाग) 336.48 3.45 270.39 3.50 विभाग (जाना प्रभाग) 336.48 3.50 3.50 24.65 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.5	1	1-कृषि, पश्पालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	3230.59	143.18	2062.07	1311.70
3	2	5 5	268.22	5.44	212.65	61.00
4 6- मंत्रिमंडल (मिर्ताचन) विभाग 61.33 340.81 348.16 5 10-ऊर्जी विभाग 3533.09 923.33 3059.1 14 6 11-उत्पाद एवं मदय निषेध विभाग 35.52 6.54 33.32 7 12-योजना सह वित्त विभाग (वित द्रभाग) 64.53 15.90 58.77 8 17-प्राणिज्यकर विभाग 80.88 17.22 84.20 9 18-खाद्य, सार्वजिनक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग 1341.66 199.26 1134.35 4 10 19-वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 728.11 272.76 714.44 2 11 20-तवस्था विभाग 3529.22 289.31 2780.61 10 12 21-उच्च एवं तक्नीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग) 1305.85 452.60 1447.55 3 12 21-उच्च एवं तक्नाजीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग) 1305.85 452.60 1447.55 3 12 21-उच्च एवं तक्नाजीकी शिक्षा प्रमेशना (उच्च शिक्षा प्रमाग) 1305.85 452.60 1447.55 3 14 23-उच्च एवं तक्नीकी शिक्षा प्रमेशना (3	4-मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल	54.35	11.83	42.14	24.04
5 10-ऊर्जी विभाग 3533.08 923.33 3059.1 14 6 11-उत्पाद एवं मद्द्रण निषेध विभाग 355.2 6.54 33.32 7 12-योजना सह वित विभाग (वित प्रभाग) 64.53 15.90 58.77 8 17-वाणिज्यकर विभाग (वित प्रभाग) 80.88 17.22 84.20 9 18-खाद्रण, सार्वजिनक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग 1341.66 199.26 1134.35 4 10 19-जन, पर्वावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 728.11 272.76 714.44 2 11 20-व्यास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 3529.22 289.31 2780.61 10 12 21-उच्च एवं तल्जीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग) 1305.85 452.60 1447.55 3 13 22-गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग) 4883.73 567.03 525.74 1 15 24-युवना एवं जनसंपर्क विभाग 180.68 23.34 192.37 16 26-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग 254.49 28.80 142.88 1 17 27-विधि विभाग 387.67 52.57 360.98 18 29-खान एवं प्रतत्व विभाग 387.67 52.57 360.98 18 29-खान एवं प्रतत्व विभाग 387.67 52.57 360.98 19 32-विधान सभा 33-कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (याजना प्रवंधन प्रजाम) 336.48 3.45 270.39 20 36-पेय जल एवं स्वच्छता विभाग (याजना प्रभाग) 336.48 3.45 270.39 21 35-रोजना सह वित विभाग (या राजभाषा विभाग (याजना प्रवंधन प्रमाग) 26.43 8.82 24.90 39-गृह, कारा एवं आपदा प्रवंधन विभाग (भापदा प्रवंधन प्रमाग) 26.43 8.82 24.90 39-गृह, कारा एवं अपित सुधार विभाग (भापदा प्रवंधन प्रमाग) 27.82 407.88 437.42 60 140 राजस्व, निकंधन एवं भूमि सुधार विभाग (भापदा प्रवंधन प्रमाग) 37.82 407.88 437.42 60 140 राजस्व, निकंधन एवं भूमि सुधार विभाग (जान्य एवं प्रवंधनिकी प्रमाग) 28.33 70.87 777.31 1 30 परापदा विभाग (विनास एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (परिवहन प्रभाग) 2930.18 429.66 2535.15 80 40 राजस्व, निकास एवं आगास विभाग (वान्य एवं प्रवंधन एवं प्रवंधन एवं प्रवंधन एवं प्रवंधन एव	4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	61.33	340.81	348.16	53.98
6 11-उत्पाद एवं मद्द निषेध विभाग 35.52 6.54 33.32 7 12-योजना सह वित विभाग (वित प्रभाग) 64.53 15.90 58.77 8 17-वाणिज्यक्त विभाग 80.88 17.22 84.20 9 18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग 1341.66 199.26 1134.35 4 10 19-वत, पर्यंवरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 728.11 272.76 714.44 2 11 20-व्यास्थ्य, विकिद्धा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 3529.22 289.31 2780.61 10 12 21-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग) 1305.85 452.60 1447.55 3 13 22-गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग) 4883.73 567.03 5256.74 1 14 23-उद्योग विभाग (ये अपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग) 4883.73 567.03 5256.74 1 15 24-सूचना एवं अनसंपर्क विभाग (विभाग (गृह प्रभाग) 488.83 142.88 1 17 27-विधि विभाग 387.67 52.57 360.98 18 29- खान एवं अनुत्व विभाग (अ.76 52.57 360.98 18 29- खान एवं अनुत्						1400.32
7 12-योजना सह वित विक्षाम (वित प्रभाग) 64.53 15.90 58.77	6	11-उत्पाद एवं मदय निषेध विभाग	35.52			
8 17-वाणिज्यकर विभाग 80.88 17-22 84.20 9 18-खाद्य, सार्वजिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग 1341.66 199.26 1134.35 4 10 19-वन, पर्योवरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 728.11 272.76 714.44 2 11 20-व्यास्ट्य, विकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 3529.22 289.31 2780.61 10 12 21-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग) 1305.85 452.60 1447.55 3 13 22-गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग) 4883.73 567.03 5256.74 1 14 23-उद्योग विभाग 431.08 11.90 272.47 1 15 24-सूचना एवं जनसंपर्क विभाग 180.68 23.34 192.37 16 26-अम, रोजगार एवं कीशल विकास विभाग 254.49 28.80 142.88 1 17 27-विधि विभाग 337.67 52.57 360.98 18 29-खान एवं मृतत्व विभाग 37.77 15.12 57.46 19 32-विधान सभा 93.48 5.78 91.43 33-कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक पूर्व प्रशासनिक सुधार प्रभाग) 336.48 3.45 270.39 20 36-पेय जल एवं स्वच्छता विभाग 1789.76 50.30 641.46 11 23 35-योजना सह वित्त विभाग (योजना प्रभाग) 336.48 3.45 270.39 22 36-पेय जल एवं स्वच्छता विभाग 1789.76 50.30 641.46 11 23 35-योजना सह वित्त विभाग (योजना प्रभाग) 26.43 8.82 24.90 24 38-राजस्त, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (तिबंधन प्रभाग) 26.43 8.82 24.90 25 39-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (राजस्व एवं कृमि सुधार प्रभाग) 5586.94 1360.16 4452.58 24 40-राजस्त, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं कृमि सुधार प्रभाग) 5586.94 1360.16 4452.58 24 41-यामण विकास विभाग (यामण विकास प्रभाग) 533.38 70.87 177.31 1 48-जल विकास प्रभाग) 233.38 70.87 177.31 1 48-वल संसाधन विभाग (परिवहन प्रभाग) 2930.18 429.66 2535.15 8 17 18 19 30 30 30 30 30 30 30 3	7	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		15.90		21.67
9 18-खाद्य, सार्वजिनक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग 1341.66 199.26 1134.35 4 10 19-वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 728.11 272.76 714.44 2 11 20-स्वास्थ्य, विकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 3529.22 289.31 2780.61 10 12 21-उच्च एवं तलनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग) 1305.85 452.60 1447.55 3 13 22-गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग) 4883.73 567.03 5256.74 1 14 23-उद्योग विभाग 431.08 11.90 272.47 1 15 24-सूचना एवं जनसंपर्क विभाग 180.68 23.34 192.37 16 26-अम, रोजगार एवं कशिल विकास विभाग 254.49 28.80 142.88 1 17 27-विधि विभाग 387.67 52.57 360.98 1 18 29- खान एवं भृतत्व विभाग 63.77 15.12 57.46 1 19 32-विधान सभा 93.48 5.78 91.43 33-कार्मिक, प्रशासनिक सुधार प्रभाग 31.55 3.10 29.64 19 23 24-सूचना सह वित्त विभाग (योजना प्रभाग) 336.48 3.45 270.39 2 20 20 20 20 20 20 2	8		80.88	17.22	84.20	
10 19-वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 728.11 272.76 714.44 2 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 3529.22 289.31 2780.61 10 12 21-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग) 1305.85 452.60 1447.55 3 3 22-गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग) 4883.73 567.03 5256.74 1 1 23-उद्योग विभाग 431.08 11.90 272.47 1 1 24-सूचना एवं जनसंपर्क विभाग 180.68 23.34 192.37 1 1 26-अम, रोजगार एवं कौशत विकास विभाग 254.49 28.80 142.88 1 1 27-विधि विभाग 387.67 52.57 360.98 1 29- खान एवं भूतन्त्व विभाग 63.77 15.12 57.46 1 32-विधान सभा 93.48 5.78 91.43 33-कार्मिक, सुधार प्रभाग 33-कार्मिक, सुधार प्रभाग 336.48 3.45 270.39 2 35-योजना सह वित्त विभाग (योजना प्रभाग) 336.48 3.45 270.39 2 36-पेय जल एवं स्वच्छता विभाग (योजना प्रभाग) 22.55 2.63 24.65 (राजभाषा प्रभाग) 2 2.55 2.63 24.65 (राजभाषा प्रभाग) 2 37- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (जिमान प्रभाग) 2 2.55 2 2.63 2 2.65 (राजभाषा प्रभाग) 2 39-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) 2 2 39-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रवंधन प्रभाग) 2 40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग) 3 40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (योजना एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग) 3 40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (विजान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग) 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4	9	18-खादय, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग				
11 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 3529.22 289.31 2780.61 10 12 21-उच्च एवं तक्जीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग) 1305.85 452.60 1447.55 3 3 22-गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग) 4883.73 567.03 5256.74 1 1 23-उद्योग विभाग 431.08 11.90 272.47 1 1 22-उद्योग विभाग 431.08 11.90 272.47 1 1 2 24-सूचना एवं जनसंपर्क विभाग 180.68 23.34 192.37 1 26-श्रम, रोजगार एवं जीशत विकास विभाग 254.49 28.80 142.88 1 1 27-विधि विभाग 387.67 52.57 360.98 1 29- खान एवं भूतत्व विभाग 63.77 15.12 57.46 1 32-विधान सभा 93.48 5.78 91.43 33-कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग) 336.48 3.45 270.39 2 35-योजना सह वित विभाग (योजना प्रभाग) 336.48 3.45 270.39 2 36-पेय जल एवं स्वच्छता विभाग (वोजना प्रभाग) 22.55 2.63 24.65 (राजभाषा प्रभाग) 2 38-राजन, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (विभाग (योजना प्रभाग) 2 25.50 2.63 24.65 (राजभाषा प्रभाग) 2 39-गृह, कारा एवं भूमि सुधार विभाग (विन्तंधन प्रभाग) 2 26.43 8.82 24.90 2 39-गृह, कारा एवं भूमि सुधार विभाग (योजना प्रचंधन विभाग (योजना प्रयोगनिकी प्रभाग) 233.38 70.87 177.31 1 49- जल संसाधन विभाग (योजना विभाग (योजना विभाग (योजना विभाग (योजना विभाग (योवना विभाग (योजना विभाग	10	·				
12 21-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)						1037.91
13 22-गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग) 4883.73 567.03 5256.74 1 14 23-उद्योग विभाग 431.08 11.90 272.47 1 15 24-सूचना एवं जनसंपर्क विभाग 180.68 23.34 192.37 16 26-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग 254.49 28.80 142.88 1 17 27-विधि विभाग 387.67 52.57 360.98 18 29- खान एवं भूतत्व विभाग 63.77 15.12 57.46 19 32-विधान सभा 93.48 5.78 91.43 20 या अशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग) 336.48 3.45 270.39 21 35-योजना सह वित विभाग (योजना प्रभाग) 336.48 3.45 270.39 22 36-पेय जल एवं स्वच्छता विभाग 1789.76 50.30 641.46 11 23 37-कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 1789.76 50.30 641.46 11 23 37-कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 22.55 2.63 24.65 24 38-राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग) 26.43 8.82 24.90 25 39-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) 718.82 407.88 437.42 6 40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं कृष्टि सुधार प्रभाग) 586.94 1360.16 4452.58 24 48-जार विकास विभाग (खानीण विकास प्रभाग) 586.94 1360.16 4452.58 24 49 48-जार विकास एवं आवास विभाग (विजान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग) 233.38 70.87 177.31 1 48-जार विकास एवं आवास विभाग (विजान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग) 2930.18 429.66 2535.15 8 61 49 जल संसाधन विभाग (विजान प्रभाग) 2930.18 429.66 2535.15 8 51 39 49 जल संसाधन विभाग (अनुस्चित जनजाति, अनुस्चित विनान (वि.69 120.39 1210.71 5		•				
14 23-उद्योग विभाग 431.08 11.90 272.47 1 15 24-स्चना एवं जनसंपर्क विभाग 180.68 23.34 192.37 16 26-अम, रोजगार एवं कौशत विकास विभाग 254.49 28.80 142.88 1 17 27-विधि विभाग 387.67 52.57 360.98 18 29- खान एवं भूतत्व विभाग 63.77 15.12 57.46 19 32-विधान सभा 93.48 5.78 91.43 20 या अत्मानिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग) 31.55 3.10 29.64 21 35-योजना सह वित्त विभाग (योजना प्रभाग) 336.48 3.45 270.39 22 36-पेय जल एवं स्वच्छता विभाग 1789.76 50.30 641.46 11 23 37- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 22.55 2.63 24.65 (राजभाषा प्रभाग) 22.55 2.63 24.65 (राजभाषा प्रभाग) 718.82 407.88 437.42 6 24 38-राजस्त, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग) 26.43 8.82 24.90 25 39-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग) 718.82 407.88 437.42 6 26 40-राजस्त, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग) 5586.94 1360.16 4452.58 24 28 43-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विजान एवं पौद्योगिकी प्रभाग) 233.38 70.87 177.31 1 30 47-परिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग) 233.38 70.87 177.31 1 30 48-नगर विकास एवं आवास विभाग (वाना एवं पौद्योगिकी प्रभाग) 2930.18 429.66 2535.15 8 31 49 जल संसाधन विभाग (अनुस्चित जाति, अल्पसंख्यक एवं 100.89 120.39 1210.71 5						
15 24-सूचना एवं जनसंपर्क विभाग 180.68 23.34 192.37 16 26-त्रम, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग 254.49 28.80 142.88 1 17 27-विधि विभाग 387.67 52.57 360.98 18 29- खान एवं भूतत्व विभाग 63.77 15.12 57.46 19 32-विधान सभा 93.48 5.78 91.43 20 एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग) 31.55 3.10 29.64 21 35-योजना सह वित विभाग (योजना प्रभाग) 336.48 3.45 270.39 22 36-पेय जल एवं स्वच्छता विभाग 1789.76 50.30 641.46 11 37- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 22.55 2.63 24.65 (राजभाषा प्रभाग) 26.43 8.82 24.90 23 38-राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग) 26.43 8.82 24.90 25 39-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) 40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग) 40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग) 5586.94 73.24 523.63 2 26 42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग) 307.69 18.08 229.94 27 42-ग्रामीण विकास विभाग (विजान एवं प्रौद्योगिकी विभाग) 233.38 70.87 177.31 1 30 48-नगर विकास एवं आवास विभाग 2930.18 429.66 2535.15 8 31 49- जल संसाधन विभाग (अनुस्चित जनजाति, अनुस्चित जनजाति, अनुस्चित जनजाति, अनुस्चित जनजाति, अनुस्चित जनजाति, अनुस्चित 1616.69 120.39 1210.71 5		<u> </u>				170.51
16 26-अम, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग 254.49 28.80 142.88 1 17 27-विधि विभाग 387.67 52.57 360.98 18 29- खान एवं भूतत्व विभाग 63.77 15.12 57.46 19 32-विधान सभा 93.48 5.78 91.43 20 20 20 20 20 20 20 2						11.65
17 27-विधि विभाग 387.67 52.57 360.98 18 29- खान एवं भूतत्व विभाग 63.77 15.12 57.46 19 32-विधान सभा 93.48 5.78 91.43 20 33-कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग) 31.55 3.10 29.64 21 35-योजना सह वित विभाग (योजना प्रभाग) 336.48 3.45 270.39 22 36-पेय जल एवं स्वच्छता विभाग 1789.76 50.30 641.46 11 23 37- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 22.55 2.63 24.65 (राजभाषा प्रभाग) 22.55 2.63 24.65 24 38-राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (मिलंधन प्रभाग) 26.43 8.82 24.90 25 39-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) 718.82 407.88 437.42 6 26 40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग) 5586.94 73.24 523.63 2 27 42-यामीण विकास विभाग (यामीण विकास प्रभाग) 5586.94 1360.16 4452.58 24 28 43-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग) 233.38 70.87 177.31 1 30 48-नगर विकास एवं आवास विभाग 2930.18 429.66 2535.15 8 31 49- जल संसाधन विभाग (अनुस्चित जनजाति, अनुस्चित जन		·	254.49	28.80		140.41
18 29- खान एवं भूत्तव विभाग 63.77 15.12 57.46 19 32-विधान सभा 93.48 5.78 91.43 20 33-कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग) 31.55 3.10 29.64 29.65 20.30 641.46 11 23 37- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (राजभाषा प्रभाग) 22.55 2.63 24.65 24.	17			52.57		
19 32-विधान सभा 93.48 5.78 91.43 20 33-कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग) 31.55 3.10 29.64 29.64 21 35-योजना सह वित विभाग (योजना प्रभाग) 336.48 3.45 270.39 22 36-पेय जल एवं स्वच्छता विभाग 1789.76 50.30 641.46 11 37- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 22.55 2.63 24.65 (राजभाषा प्रभाग) 26.43 8.82 24.90 25 38-राजस्त, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग) 26.43 8.82 24.90 25 39-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) 718.82 407.88 437.42 6 407.87 407.88 437.42 6 42-ग्रामीण विकास विभाग (यामीण विकास प्रभाग) 5586.94 73.24 523.63 2 28 43-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग) 307.69 18.08 229.94 43-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग) 233.38 70.87 177.31 1 48-नगर विकास एवं आवास विभाग (व्रामण विकास प्रभाग) 2930.18 429.66 2535.15 8 31 49- जल संसाधन विभाग (अनुस्चित जनजाति, अनुस्चित विनितं 1616.69 120.39 1210.71 5	18	29- खान एवं भृतत्व विभाग				
प्वं प्रशासनिक सुधार प्रभाग) 21 35-योजना सह वित्त विभाग (योजना प्रभाग) 22 36-पेय जल एवं स्वच्छता विभाग 336.48 3.45 270.39 22 36-पेय जल एवं स्वच्छता विभाग 37- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (राजभाषा प्रभाग) 24 38-राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग) 25 प्रभाग) 26.43 39-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) 40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग) 26 प्रभाग) 27 42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग) 28 प्रभाग) 29 47-परिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग) 30 प्रभाग विकास एवं आवास विभाग 30 प्रभाग विकास एवं आवास विभाग 30 प्रभाग विकास एवं आवास विभाग 31 49- जल संसाधन विभाग 31 49- जल संसाधन विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित 31 1616.69 32 प्रिख्डा कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित 1616.69		·	93.48	5.78	91.43	7.83
21 35-योजना सह वित विभाग (योजना प्रभाग) 336.48 3.45 270.39 22 36-पेय जल एवं स्वच्छता विभाग 1789.76 50.30 641.46 11 23 37- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 22.55 2.63 24.65 (राजभाषा प्रभाग) 24 38-राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग) 26.43 8.82 24.90 25 39-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) 718.82 407.88 437.42 6 26 40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग) 698.54 73.24 523.63 2 27 42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग) 5586.94 1360.16 4452.58 24 28 43-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग) 233.38 70.87 177.31 1 30 48-नगर विकास एवं आवास विभाग (उजस्व एवं विकास प्रभाग) 2930.18 429.66 2535.15 8 31 49- जल संसाधन विभाग (अनुस्चित जनजाति, अनुस्चित 1616.69 120.39 1210.71 5	20		31.55	3.10	29.64	5.00
22 36-पेय जल एवं स्वच्छता विभाग 1789.76 50.30 641.46 11 37- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 22.55 2.63 24.65 24.65 (राजभाषा प्रभाग) 26.43 8.82 24.90 25 39-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) 718.82 407.88 437.42 6 40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग) 698.54 73.24 523.63 2 2 2 42-यामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग) 5586.94 1360.16 4452.58 24 43-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग) 307.69 18.08 229.94 29 47-परिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग) 233.38 70.87 177.31 1 48-नगर विकास एवं आवास विभाग 2930.18 429.66 2535.15 8 3 49- जल संसाधन विभाग 3 49- जल संसाधन विभाग 407.54 1.14 318.54 51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित वि. 120.39 1210.71 5	21	Š	336.48	3.45	270.39	69.54
23 37- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 22.55 2.63 24.65 24.65 24.05 24 38-राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग) 26.43 8.82 24.90 25 39-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) 718.82 407.88 437.42 6 40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग) 698.54 73.24 523.63 2 2 42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग) 5586.94 1360.16 4452.58 24 43-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग) 307.69 18.08 229.94 29 47-परिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग) 233.38 70.87 177.31 1 30 48-गर विकास एवं आवास विभाग 2930.18 429.66 2535.15 8 49- जल संसाधन विभाग 407.54 1.14 318.54 51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित 1616.69 120.39 1210.71 5	22	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
25 39-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रिमाण) 718.82 407.88 437.42 6 26 40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग) 5586.94 73.24 523.63 2 27 42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग) 5586.94 1360.16 4452.58 24 28 43-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग) 307.69 18.08 229.94 29 47-परिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग) 233.38 70.87 177.31 1 30 48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) 2930.18 429.66 2535.15 8 31 49- जल संसाधन विभाग (अनुस्चित जाति, अल्पसंख्यक एवं 32 पिछड़ा कल्याण विभाग (अनुस्चित जनजाति, अनुस्चित जनजाति, अनुस्चचित जनजाति, अनुस्चचित जनजाति, अनुस्चचित जनजाति, अनुस्चचित जनजाति, अनुस्चचित जनजाति, अनुस्चचचित जनजाति, अनुस्चचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचच		37- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग		2.63		
25 39-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रिमाण) 718.82 407.88 437.42 6 26 40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग) 5586.94 73.24 523.63 2 27 42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग) 5586.94 1360.16 4452.58 24 28 43-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग) 307.69 18.08 229.94 29 47-परिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग) 233.38 70.87 177.31 1 30 48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) 2930.18 429.66 2535.15 8 31 49- जल संसाधन विभाग (अनुस्चित जाति, अल्पसंख्यक एवं 32 पिछड़ा कल्याण विभाग (अनुस्चित जनजाति, अनुस्चित जनजाति, अनुस्चचित जनजाति, अनुस्चचित जनजाति, अनुस्चचित जनजाति, अनुस्चचित जनजाति, अनुस्चचित जनजाति, अनुस्चचचित जनजाति, अनुस्चचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचच	24	38-राजस्व, निबंधन एवं भूमि स्धार विभाग (निबंधन प्रभाग)	26.43	8.82	24.90	10.35
26 भूमि सुधार प्रभाग 523.63 22 27 42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग 5586.94 1360.16 4452.58 24 28 43-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग 307.69 18.08 229.94 29 47-परिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग 233.38 70.87 177.31 1 1 30 48-नगर विकास एवं आवास विभाग 2930.18 429.66 2535.15 8 31 49- जल संसाधन विभाग 407.54 1.14 318.54 51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुस	25	39-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन	718.82	407.88	437.42	689.27
28 43-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग) 307.69 18.08 229.94 29 47-परिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग) 233.38 70.87 177.31 1 30 48-नगर विकास एवं आवास विभाग 2930.18 429.66 2535.15 8 (नगर विकास प्रभाग) 407.54 1.14 318.54 51-अनुस्चित जनजाति, अनुस्चित जाति, अल्पसंख्यक एवं 32 पिछड़ा कल्याण विभाग (अनुस्चित जनजाति, अनुस्चित जाति, अनुस्चित 1616.69 120.39 1210.71 5	26	. 3	698.54	73.24	523.63	248.15
28 प्रभाग) 307.69 18.08 229.94	27	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	5586.94	1360.16	4452.58	2494.51
30 48-नगर विकास एवं आवास विभाग 2930.18 429.66 2535.15 8 (नगर विकास प्रभाग) 407.54 1.14 318.54 51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित 1616.69 120.39 1210.71 5	28		307.69	18.08	229.94	95.82
30 (नगर विकास प्रभाग) 2930.18 429.66 2535.15 8	29	47-परिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग)	233.38	70.87	177.31	126.93
31 49- जल संसाधन विभाग 407.54 1.14 318.54 51-अनुसूचित जनजाित, अनुसूचित जाित, अल्पसंख्यक एवं 32 पिछड़ा कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाित, अनुसूचित 1616.69 120.39 1210.71 5		48-नगर विकास एवं आवास विभाग		429.66		
51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं 32 पिछड़ा कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित 1616.69 120.39 1210.71 5	31		407.54	1.14	318.54	90.14
जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण प्रभाग)		51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं				526.37

33 (पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग 83.46 2.86 70.26 16.0			1		1	
प्रभाग 34 55- व्यामीण विकास विभाग (यामीण कार्य प्रभाग) 1945.38 155.77 950.56 1150.5 35- व्यामीण विकास विभाग (यंवायती राज प्रभाग) 1978.09 875.89 2482.11 371.8 36 58-क्क्ली विश्वा एवं साक्षरता विभाग (सेकंडरी शिक्षा प्रभाग) 2097.62 21.29 1457.62 661.2 37 59-क्ली शिक्षा पर्य साक्षरता विभाग (सोवंकडरी शिक्षा प्रभाग) 2097.62 21.29 1457.62 661.2 37 59-क्ली शिक्षा पर्य साक्षरता विभाग (सोवंकडरी शिक्षा प्रभाग) 2097.62 21.29 1457.62 661.2 37 59-क्ली शिक्षा पर्य साक्षरता विभाग (सोवंकडरी पर्य प्रणाप पर्य पर्य पर्य प्रणाप पर्य पर्य पर्य पर्य पर्य पर्य पर्य पर्		52-पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग				
34 55- ब्रामीण विकास विभाग (यामीण कार्य प्रमाण) 1945.38 155.71 950.56 1150.5 35- ब्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रमाण) 1978.09 875.89 2482.11 371.8 371.8 35- व्यूमीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रमाण) 2097.62 21.29 1457.62 661.2 37 59-क्ज़ी शिक्षा पर्य साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं प्रोद शिक्षा पर्य सामाजिक सुरक्षा विभाग 4291.59 634.87 3911.60 1014.8 50- विभाग (प्राथमिक पर्य प्राथमिक पर्य प्रायमिक पर्य विभाग (प्रायमिक पर्य विभाग (प्रायमिक पर्य विभाग (पर्य प्रायमिक पर्य प्रायमिक पर्य विभाग पर्य विभाग (पर्य विभाग पर्य	33	(पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	83.46	2.86	70.26	16.05
35 56-जामीण विकास विकाग (पंचायती राज घकाग) 1978.09 875.88 2482.11 371.8 36 58-क्नूली शिक्षा एवं आकरता विकाग (सेकेडरी शिक्षा प्रकाग) 2097.62 21.29 1457.62 661.2 37 59-क्नूली शिक्षा एवं आकरता विकाग (सेकेडरी शिक्षा प्रकाग) 2097.62 21.29 1457.62 661.2 37 59-क्नूली शिक्षा एवं आकरता विकाग (सेकेडरी शिक्षा प्रकाग) 414.86 6400.54 1236.6 12						
36 58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (भार्यभिक एवं प्रीव		` '		155.71		1150.52
37 59-स्कृली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं प्राव शिक्षा प्रभाग) 7222.34 414.86 6400.54 1236.68 803.792 44500.7 16393.48 163	35	56-ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	1978.09	875.89	2482.11	371.87
1236.6 1236.6	36	58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)	2097.62	21.29	1457.62	661.29
कुल	37	I_ "	7222.34	414.86	6400.54	1236.65
कुल	38	60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक स्रक्षा विभाग	4291.59	634.87	3911.60	1014.87
39 5-राज्यपात संचिवालय		Ţ.	52853.28	8037.92	44500.7	16393.44
39 5-राज्यपात संचिवालय	राजस्व ।	। <u>=</u>				
40 28-झारखण्ड उच्च न्यायालय 94.90 21.18 97.54 18.5 14.13 34- झारखण्ड लोक सेवा आयोग 9.67 6.51 14.71 1.4 14.14 14.15 14.236 122.36 22.4 16.15 16.15 16.236 122.3			11.86	0.66	10.11	2.41
41 34 - झारखण्ड लोक सेवा आयोग 9.67 6.51 14.71 1.4	40					18.55
चुल स्वाप्त (दिसमत) 42 3-आवन निर्माण विभाग 587.17 90.00 458.51 618.6 43 11- उत्पाद एवं मद्य निर्भेध विभाग 10.00 2.74 2.74 10.0 44 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 602.22 161.08 347.69 415.6 45 22- गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग) 674.86 428.46 808.23 295.0 46 23- उद्योग विभाग 10.33 0.66 4.00 6.9 47 26-अम, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग 10.882 32.88 18.36 123.3 30- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग) 750.00 1.00 538.73 212.2 50 41-पथ निर्माण विभाग 4700.00 50.00 3674.33 1075.6 51 42-यामीण विकास विभाग (आमीण विकास प्रभाग) 538.11 2.39 416.40 124.1 52 48-जगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) 38.15 0.50 23.59 15.0 53 50-जल संसाधन विभाग (अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण विभाग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित विकास प्रभाग) 579-56 0.80 158.85 421.5 51 -अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित विभाग प्रभाग) 579-56 0.80 158.85 421.5 52 -प्रयंटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग प्रभाग) 48.20 4.0 24.89 27.3 53 -कृति, पशुपाजन एवं सहकारिता विभाग (मरस्य प्रभाग) 42.26 12.00 38.67 15.5 50 -जनिहल, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग प्रभाग) 42.26 12.00 38.67 15.5 50 -जनिहल, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग प्रभाग) 42.26 12.00 38.67 15.5 50 -जिनिहल, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग प्रभाग) 42.26 12.00 38.67 15.5 50 -जनिहल, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग प्रभाग) 42.26 12.00 38.67 15.5 50 -जनिहल, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग (अनुस्कृत (अवल्व एवं युवा कार्य विभाग प्रभाग) 42.26 12.00 38.67 15.5 50 -जनिहल, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग (अवन्त (अवन्त (अवन्त (अवन्त विभाग प्रभाग)) 42.26 12.00 38.67 15.5 50 -जनिहल, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग (अवन्त (अवन्त (अवन्त (अवन्त विकास प्रभाग)) 42.26 12.00 38.67 15.5 51			9.67		14.71	1.46
पूँजीगत (दासत) 42 3-अवन निर्माण विभाग 587.17 90.00 458.51 618.6 43 11- उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 10.00 2.74 2.74 10.0 44 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 602.22 161.08 347.69 415.6 45 22- गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग) 674.86 428.46 808.23 295.0 46 23- उद्योग विभाग 10.33 0.66 4.00 6.9 47 26-अम, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग 108.82 32.88 18.36 123.3 48 पेट-अम, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग 100.20 2.04 57.63 44.6 49 36- पेय जल एवं स्वच्छता विभाग 750.00 1.00 538.73 212.2 50 41-पथ निर्माण विभाग (अमा (आमाण विकास प्रभाग) 538.11 2.39 416.40 124.1 52 48-गगर विकास एवं आवास विभाग (लगर विकास प्रभाग) 538.11 2.39 416.40 124.1 50-जल संसाधन विभाग (अमुस्चित जाती, अनुस्चित जाती, अनुस्चित जान (ती,			116.43		122.36	
42 3-अवन निर्माण विभाग 587.17 90.00 458.51 618.6 43 11- उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 10.00 2.74 2.74 10.0 44 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 602.22 161.08 347.69 415.6 45 22- गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग) 674.86 428.46 808.23 295.0 46 23- उद्योग विभाग 10.33 0.66 4.00 6.9 47 26-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग 108.82 32.88 18.36 123.3 48 30- अनुस्चित जनजाति, अनुस्चित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग) 100.20 2.04 57.63 44.6 49 36- पेय जल एवं स्वच्छता विभाग 4700.00 50.00 3674.33 1075.6 51 42-यामीण विकास विभाग (यामीण विकास प्रभाग) 538.11 2.39 416.40 124.1 52 48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) 38.15 0.50 23.59 15.0 51-अनुस्चित जनजाति, अनुस्चित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण विभाग (अनुस्चित जनजाति, अनुस्चित जनजाति, अनुस्वित जनजाति, अनुस्चित जनजाति, अनुस्चित जनजाति, अनुस्चित जनजाति, अनुस्चित जनजाति, अनुस्चित जनजाति, अनुस्वित जनजाति, अनुस्वत्व विभाग प्रभाग) 48.20 4.0 24.89 27.3 56.2 53-कृषि प्रथानन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) 48.20 4.0 24.89 27.3 56.2 57.5 50.2 57.5 50.2 57.5 50.2 57.5 50.2 57.5 50.2 57.5 50.2 57.5 50.2 57.5 50.2 57.5 50.2 57.5 50.2 57.5 50.2 57.5 50.2 57.5 50.2 57.5 50.2 57.5 50.2 57.5 50.2 57.5 50.2 57.5 50.2 57.5 50.2 5				<u> </u>		
43 11- उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 10.00 2.74 2.74 10.0 44 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 602.22 161.08 347.69 415.6 45 22- गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग) 674.86 428.46 808.23 295.0 46 23- उद्योग विभाग 10.33 0.66 4.00 6.9 47 26-श्रम, रोजगार एवं कौशत विकास विभाग 108.82 32.88 18.36 123.3 30- अनुस्चित जनजाति, अनुस्चित जाति, अन्यसंख्यक एवं चिख्डा कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग) 100.20 2.04 57.63 44.6 428.48 428.46		,	587.17	90.00	458.51	618.66
44 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 602.22 161.08 347.69 415.6 45 22- गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग) 674.86 428.46 808.23 295.0 46 23- उद्योग विभाग 10.33 0.66 4.00 6.9 47 26-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग 108.82 32.88 18.36 123.3 48 30- अनुस्चित जनजाित, अनुस्चित जाित, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग) 100.20 2.04 57.63 44.6 42.0 43.0 44.6 42.0 43.0 44.6 42.0 43.0 44.6 43.0 44.6 43.0 44.6 44.						10.00
45 22- गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग) 674.86 428.46 808.23 295.0 46 23- उद्योग विभाग 10.33 0.66 4.00 6.9 47 26-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग 108.82 32.88 18.36 123.3 48 30- अनुसूचित जनजाित, अनुसूचित जाित, अल्पसंख्यक एवं चिछड़ा कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग) 100.20 2.04 57.63 44.6 49 36- पेय जल एवं स्वच्छता विभाग 750.00 1.00 538.73 212.2 50 41-पश निर्माण विभाग 4700.00 50.00 3674.33 1075.6 51 42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग) 538.11 2.39 416.40 124.1 52 48-नगर विकास एवं आवास विभाग (लगर विकास प्रभाग) 38.15 0.50 23.59 15.0 53 50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) 579-56 0.80 158.85 421.5 51-अनुसूचित जनजाित, अनुसूचित जाित, अल्पसंख्यक एवं चिछड़ा कल्याण प्रभाग 61.50 2.50 107.73 56.2 51-अनुस्चित जनजाित, अनुसूचित जनजाित, अनुस्चित जाित, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण प्रभाग 62-पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूट एवं युवा कार्य विभाग प्रभाग 48.20 4.0 24.89 27.3 55 53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) 42.26 12.00 38.67 15.5 57 60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग 25.57 9.90 0.86 34.6 कुल कुल 8397.39 800.95 6681.21 3496.6 पुँगीगत (भारित) 22.9 कुल विवास प्रभारी/अदायगी 3844.37 410.00 4231.40 22.9 कुल विवास प्रभारी/अदायगी 3844.37 410.00 4231.40 22.9	44	`				415.61
46 23- उद्योग विभाग 10.33 0.66 4.00 6.9 47 26-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग 108.82 32.88 18.36 123.3 48 30- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग) 100.20 2.04 57.63 44.6 49 36- पेय जल एवं स्वच्छता विभाग 750.00 1.00 538.73 212.2 50 41-पथ निर्माण विभाग 4700.00 50.00 3674.33 1075.6 51 42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग) 538.11 2.39 416.40 124.1 52 48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) 38.15 0.50 23.59 15.0 53 50-जल संसाधन विभाग (लगु सिंचाई प्रभाग) 579-56 0.80 158.85 421.5 51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित 161.50 2.50 107.73 56.2 51-अनुस्वित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित 161.50 2.50 107.73 56.2 52-पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग प्रभाग) 48.20 4.0 24.89 27.3 55 53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) 42.26 12.00 38.67 15.5 57 60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग 25.57 9.90 0.86 34.6 कुल कुल 8397.39 800.95 6681.21 3496.6 पूँजीगत (भारित) 4231.40 22.9 कुल 3844.37 410.00 4231.40 22.9						
47 26-अम, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग 108.82 32.88 18.36 123.3 30- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग) 100.20 2.04 57.63 44.6 49 36- पेय जल एवं स्वच्छता विभाग 750.00 1.00 538.73 212.2 50 41-पथ निर्माण विभाग 4700.00 50.00 3674.33 1075.6 51 42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग) 538.11 2.39 416.40 124.1 52 48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) 38.15 0.50 23.59 15.0 50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) 579-56 0.80 158.85 421.5 51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण प्रभाग) 48.20 4.0 24.89 27.3 56.2 52-पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग प्रभाग) 48.20 4.0 24.89 27.3 55 53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) 42.26 12.00 38.67 15.5 57 50-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग 25.57 9.90 0.86 34.6		Š				6.99
30- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंध्यक एवं पिछड़ा कल्याण विभाग (अल्पसंध्यक कल्याण विभाग) 2.04 57.63 44.6		`				123.33
पिछड़ा कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग) 49 36- पेय जल एवं स्वच्छता विभाग 750.00 1.00 538.73 212.2 50 41-पथ निर्माण विभाग 4700.00 50.00 3674.33 1075.6 51 42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग) 538.11 2.39 416.40 124.1 52 48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) 38.15 0.50 23.59 15.0 53 50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) 579-56 0.80 158.85 421.5 51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण प्रभाग) 52-पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग प्रभाग) 56 53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) 48.20 4.0 24.89 27.3 56 60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग 25.57 9.90 0.86 34.6 कुल 8397.39 800.95 6681.21 3496.6 पूँजीगत (भारित) 3844.37 410.00 4231.40 22.9				32.53		
49 36- पेय जल एवं स्वच्छता विभाग 750.00 1.00 538.73 212.2 50 41-पथ निर्माण विभाग 4700.00 50.00 3674.33 1075.6 51 42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग) 538.11 2.39 416.40 124.1 52 48-गर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) 38.15 0.50 23.59 15.0 53 50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) 579-56 0.80 158.85 421.5 51-अनुस्चित जनजाति, अनुस्चित जाते, अल्पसंख्यक एवं 54 पिछड़ा कल्याण विभाग (अनुस्चित जाती, अल्पसंख्यक एवं 54 पिछड़ा कल्याण विभाग (अनुस्चित जाती, अनुस्चित जाती, अनुस्चित जाती, अल्पसंख्यक एवं 55 52-पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग प्रभाग) 48.20 4.0 24.89 27.3 56 53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) 42.26 12.00 38.67 15.5 57 60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग 25.57 9.90 0.86 34.6 कुल 8397.39 800.95 6681.21 3496.6 पूँजीगत (भारित) 3844.37 410.00 4231.40 22.9 कुल 3844.37 410.00 4231.40 22.9	48	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	100.20	2.04	57.63	44.61
50 41-पथ निर्माण विभाग 4700.00 50.00 3674.33 1075.65 51 42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग) 538.11 2.39 416.40 124.15 52 48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) 38.15 0.50 23.59 15.05 53 50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) 579-56 0.80 158.85 421.55 51-अनुस्चित जनजाित, अनुस्चित जाती, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण विभाग (अनुस्चित जानजाित, अनुस्चित जाती, अनुस्चचित जाती, अनुस्चच्च एवं पुचा कार्य विभाग प्रभाग) 48.20 4.0 24.89 27.3 24.89 27.3 25.57 29.90 26.57 29.90 28.67 25.57 29.90 26.67 25.	49		750.00	1.00	538.73	212.27
51 42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग) 538.11 2.39 416.40 124.1 52 48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) 38.15 0.50 23.59 15.0 53 50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) 579-56 0.80 158.85 421.5 51-अनुसूचित जनजाित, अनुसूचित जाित, अल्पसंख्यक एवं 161.50 2.50 107.73 56.2 जाित, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण प्रभाग) 52-पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग प्रभाग) 48.20 4.0 24.89 27.3 55 53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) 42.26 12.00 38.67 15.5 57 60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग (मत्स्य प्रभाग) 25.57 9.90 0.86 34.6 कुल कुल कुल 8397.39 800.95 6681.21 3496.6 पुँजीगत (भारित) 3844.37 410.00 4231.40 22.9 कुल कुल किता प्रसिक्त कित	50					
52 48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) 38.15 0.50 23.59 15.0 53 50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) 579-56 0.80 158.85 421.5 51-अनुस्चित जनजाति, अनुस्चित जाति, अल्पसंख्यक एवं 161.50 2.50 107.73 56.2 54 पिछड़ा कल्याण विभाग (अनुस्चित जनजाति, अनुस्चित जाति, अनुस्चित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण प्रभाग) 161.50 2.50 107.73 56.2 55 उट-पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग प्रभाग) 48.20 4.0 24.89 27.3 56 53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) 42.26 12.00 38.67 15.5 57 60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग 25.57 9.90 0.86 34.6 कृत 8397.39 800.95 6681.21 3496.6 पूँजीगत (भारित) 3844.37 410.00 4231.40 22.9 कृत 3844.37 410.00 4231.40 22.9	51	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)				124.10
53 50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) 579-56 0.80 158.85 421.5 51-अनुस्चित जनजाित, अनुस्चित जाती, अनुस्चित जनजाित, अनुस्चित जाती, अनुस्चचित जाती, अनुस्चचचित जाती, अनुस्चचचचित जाती, अनुस्चचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचच					23.59	
51-अनुस्चित जनजाति, अनुस्चित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण विभाग (अनुस्चित जनजाति, अनुस्चित जनजाति, अनुस्चचित जनजाति, अनुस्चित जनजाति, अनुस्चचित जनजाति, अनुस्चचचित्र जनजाति, अनुस्चचचित्र जनजाति, अनुस्चचचित्र जनजाति, अनुस्चचचित्र जनजाति, अनुस्चचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचच						421.51
54 पिछड़ा कल्याण विभाग (अनुस्चित जनजाति, अनुस्चित जनजाति, अनुस्चित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण प्रभाग) 161.50 2.50 107.73 56.2 55 उट-पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग प्रभाग) 48.20 4.0 24.89 27.3 56 53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) 42.26 12.00 38.67 15.5 57 60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग 25.57 9.90 0.86 34.6 कृत 8397.39 800.95 6681.21 3496.6 पूँजीगत (भारित) 3844.37 410.00 4231.40 22.9 कृत 3844.37 410.00 4231.40 22.9		Š		3130		
जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण प्रभाग) 52-पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग प्रभाग) 56 53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) 57 60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग 58 14-ऋण की वापसी/अदायगी 58 14-ऋण की वापसी/अदायगी 59 3844.37 410.00 4231.40 22.9	54		161.50	2.50	107.73	56.27
(पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग प्रभाग) 56 53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) 57 60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग 58 14-ऋण की वापसी/अदायगी 58 14-ऋण की वापसी/अदायगी 58 3844.37 410.00 40.20 40						
(पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग प्रभाग) 56 53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) 57 60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग 58 14-ऋण की वापसी/अदायगी 58 14-ऋण की वापसी/अदायगी 58 3844.37 410.00 40.20 40		,				
56 53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) 42.26 12.00 38.67 15.5 57 60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग 25.57 9.90 0.86 34.6 कुल 8397.39 800.95 6681.21 3496.6 पूँजीगत (भारित) 3844.37 410.00 4231.40 22.9 कुल 3844.37 410.00 4231.40 22.9	55		48.20	4.0	24.89	27.31
57 60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग 25.57 9.90 0.86 34.6 कुल कुल 8397.39 800.95 6681.21 3496.6 पूँजीगत (भारित) 3844.37 410.00 4231.40 22.9 कुल 3844.37 410.00 4231.40 22.9	56		42.26	12.00	38.67	15.59
कुल कुल 8397.39 800.95 6681.21 3496.6 पूँजीगत (भारित) 58 14-ऋण की वापसी/अदायगी 3844.37 410.00 4231.40 22.9 कुल 3844.37 410.00 4231.40 22.9	57	<u> </u>	25.57	9.90	0.86	34.60
पूँजीगत (भारित) 58 14-ऋण की वापसी/अदायगी 3844.37 410.00 4231.40 22.9 कुल 3844.37 410.00 4231.40 22.9	कुल		8397.39	800.95	6681.21	3496.67
58 14-ऋण की वापसी/अदायगी 3844.37 410.00 4231.40 22.9 कुल 3844.37 410.00 4231.40 22.9						
কুল 3844.37 410.00 4231.40 22.9	58	*	3844.37	410.00	4231.40	22.97
						22.97
		कुल योग	65211.47	9277.22	55535.67	19935.49

परिशिष्ट 3.3 अनावश्यक अथवा अत्यधिक पुनर्विनियोग

(संदर्भ: कंडिका 3.3.5)

क्र. सं.	अनुदानों की संख्या	मुख्य शीर्ष		प्राट	नधा न		वास्तविक व्यय	अंतिम बचत (-)/ आधिक्य(+)
			मूल	अनुप्रक	प्रत्यर्पण	कुल		
1	2	2403- पशुपालन 001- निदेशन एवम प्रशासन 04-देख-रेख	146.93	0	0.12	147.05	126.37	20.68
2	3	2052-सचिवालय -सामान्य सेवा 090- सचिवालय 20-भवन निर्माण विभाग	165.31	0	25.50	190.81	178.60	12.21
3	3	2059- लोक निर्माण कार्य 80- सामान्य 001- निदेशन एवम प्रशासन 01- निदेशन	520.42	0	2.55	522.97	392.03	130.94
4	3	2059- लोक निर्माण कार्य 80- सामान्य 001- निदेशन एवम प्रशासन 02- सथापतय कला	91.94	0	2.00	93.94	85.98	7.96
5	12	2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ 800- अन्य व्यय 08- विविध और आकस्मिक व्यय	200.00	550.00	5.00	755.00	575.99	179.01
6	13	2049- ब्याज भुगतान 60- अन्य कर्तव्यों पर ब्याज 701- विविध 03- अन्य विविध निर्णयों पर ब्याज	200.00	0	150.00	350.00	309.02	40.98
7	18	3456- जन आपूर्ति 796-टी ए एस पी 23- मुख्यमंत्री दाल-भात योजना	1750.00	0	264.50	2014.50	1412.72	601.78
8	19	2406- वन एवं वन्य जीवन 01-वानिकी 005- वन संसाधनों का सर्वेक्षण एवं उपयोग - 12- निष्पादन सह योजना प्रकोष्ठ	530.56	9.68	3.07	543.31	420.82	122.49
9	22	2056-जेल 101-जेल 01- केन्द्रीय जेल	7262.10	1246.15	500.00	9008.25	8711.3	296.95
10	41	3054- सड़क एवं पुल 80- सामान्य 001- निदेशन एवम प्रशासन 01 निदेशन	1409.19	4.31	10.00	1423.50	1064.17	359.33
11	41	3451- सचिवालय- आर्थिक सेवाएं 090- सचिवालय 12- सड़क निर्माण विभाग	258.95	20.00	12.73	291.68	260.32	31.36
12	48	2217- शहरी विकास 80-सामान्य 193- नगर पंचायत /अधिसूचित क्षेत्र समिति या उसके समकक्ष को सहायता 83- 14वें वित आयोग के सिफारिश पर नगर पंचायत /अधिसूचित क्षेत्र समिति को सामान्य मूल अनुदान	2994.79	1000.00	367.31	4362.10	4201.76	160.34
13	51	2225- अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण 02- अनुसूचित जनजाति का कल्याण 796- टी ए एस पि 59- प्रवेश के बाद छात्रवृति	4500.00	0	1000.00	5500.00	1430.53	4069.47
14	55	2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम 001- निदेशन एवम प्रशासन 26- मुख्य अभियंता (ग्रामीण कार्य विभाग , मुख्यालय स्थापना)	185.76	10.00	85.00	280.76	267.41	13.35
		कुल	20215.95	2840.14	2427.78	25483.87	19437.02	6046.85

परिशिष्ट 3.4 वर्ष के दौरान बड़े बचत (बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक)

(संदर्भ: कंडिका 3.3.6.1)

							(≼ कराइ म
क्र.सं.	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	अनुप्रक प्रावधान	कुल	वास्तविक	बचत	प्रत्यर्पण
राजस्व	। (दत्तमत)						
1	1- 1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	3230.59	143.18	3373.77	2062.07	1311.70	1311.51
2	9- कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	264.59	0.41	265.00	66.09	198.91	198.88
3	10- ਤर्जा विभाग	3533.09	926.33	4459.42	3059.10	1400.32	1379.8
4	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	1341.66	199.26	1540.92	1134.35	406.57	405.31
5	19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	728.11	272.76	1000.87	714.44	286.43	206.95
6	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	3529.22	289.31	3818.53	2780.61	1037.92	1016.13
7	21- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान व प्रौद्योगिकी प्रभाग)	1305.85	452.60	1758.45	1447.55	310.90	307.29
8	22- गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	4883.73	567.03	5450.76	5256.74	194.02	173.07
9	23- उद्योग विभाग	431.08	11.90	442.98	272.47	170.51	170.51
10	26- श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	254.49	28.80	283.29	142.88	140.41	137.02
11	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	1789.76	50.30	1840.06	641.45	1198.61	1198.41
12	39- गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	718.82	407.88	1126.70	437.42	689.28	687.28
13	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	698.54	73.24	771.78	523.63	248.15	240.56
14	41- सड़क निर्माण विभाग	427.98	0.30	428.28	247.05	181.23	163.49
15	42- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	5586.94	1360.16	6947.1	4452.58	2494.52	2494.47
16	47-परिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग)	233.38	70.86	304.24	177.31	126.93	126.93
17	48- नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2930.18	429.66	3359.84	2535.14	824.70	823.99
18	51- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण विभाग	1616.69	120.39	1737.08	1210.71	526.37	515.52
19	54- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	243.09	0.32	243.41	58.79	184.62	184.62
20	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	1945.38	155.70	2101.08	950.56	1150.52	1060.72
21	56- ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	1978.09	875.89	2853.98	2482.11	371.87	371.86
22	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)	2097.62	21.29	2118.91	1457.62	661.29	661.10

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

							ı
23	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा प्रभाग)	7222.34	414.85	7637.19	6400.54	1236.65	1236.45
24	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	4291.59	634.87	4926.46	3911.60	1014.86	1007.83
	कुल	51282.81	7507.29	58790.10	42422.81	16367.29	16079.70
पूँजीग	त (दत्तमत)						
25	3- भवन निर्माण विभाग	587.17	90.00	677.17	458.51	218.66	218.66
26	10- ਤਰ੍ਹੀ विभाग	1790.13	0.00	1790.13	89.32	1700.81	1700.81
27	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	602.22	161.08	763.30	347.69	415.61	415.42
28	22- गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	674.86	428.46	1103.32	808.23	295.09	293.30
29	26- श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	108.82	32.87	141.69	18.36	123.33	123.33
30	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	750.00	1.00	751.00	538.73	212.27	212.11
31	41- सड़क निर्माण विभाग	4700.00	50.00	4750	3674.33	1075.67	1075.22
32	42- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	538.11	2.39	540.50	416.40	124.10	121.51
33	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	2195.8	0	2195.80	1574.72	621.08	627.11
	कुल	11947.11	765.80	12712.91	7926.29	4786.62	4787.47
	कुल योग	63229.92	8273.09	71503.01	50349.10	21153.91	20867.17

परिशिष्ट 3.5 मार्च महीने के अंत में ₹ 10 करोड़ व अधिक की प्रत्यर्पित राशि

(संदर्भ: कंडिका 3.3.8)

क. अनुदान संख्या मूल प्रावधान अनुपुरक प्रावधान कहात वस्तिक अवस्तिक प्रावधन(+) प्रत्यर्ण की (ग्रिश) 1 1 3230.59 143.18 3373.77 2062.07 1311.70 1311.51 2 2 268.22 5.44 273.66 212.65 61.01 60.11 3 3 119.59 0.11 119.70 91.04 226.66 28.55 4 4 54.35 11.183 66.18 42.14 24.04 31.52 5 6 61.33 340.81 402.14 348.16 53.98 53.73 6 9 264.59 0.41 265.00 66.09 198.91 198.88 7 10 3533.09 926.33 4459.42 3059.10 1400.32 1379.80 8 12 64.53 15.90 80.43 58.77 2166 21.66 21.66 199.26 1540.93 1134.35 406.58 405.31 11						(र कर				
1		अनुदान संख्या		अनुपूरक प्रावधान	कुल	वास्तविक				
1 1 3230.59 143.18 3373.77 2062.07 1311.70 1311.51 2 2 268.22 5.44 273.66 212.65 61.01 60.11 3 3 119.59 0.11 119.70 91.04 28.66 28.55 4 4 54.35 11.83 66.18 42.14 24.04 31.52 5 6 61.33 340.81 402.14 348.16 53.98 53.73 6 9 264.59 0.41 265.00 66.09 198.91 198.88 7 10 3533.09 926.33 4459.42 3059.10 1400.32 1379.80 8 12 64.53 15.90 80.43 58.77 21.66 21.66 9 17 80.88 17.22 98.11 34.2 13.90 13.90 10 18 1341.66 199.26 1540.93 1134.35 406.58 405.31 11 19			प्रावधान				आ।धक्य(म)	राारा		
2 2 268.22 5.44 273.66 212.65 61.01 60.11 3 3 119.59 0.11 119.70 91.04 28.66 28.55 4 4 54.35 11.83 66.18 42.14 24.04 31.52 5 6 61.33 340.81 402.14 348.16 53.98 53.73 6 9 264.59 0.41 265.00 66.09 198.91 198.88 7 10 3533.09 926.33 4459.42 3059.10 1400.32 1379.80 8 12 64.53 15.90 80.43 58.77 21.66 21.66 9 17 80.88 17.22 98.11 84.2 13.90 13.90 10 18 1341.66 1199.26 1540.93 1134.35 406.58 405.31 11 19 728.11 227.76 1000.87 714.44 286.42 206.95 12 20			0000.50	110.10	0070 77	222227	1011 70	1011 51		
3 3 119.59 0.11 119.70 91.04 28.66 28.55 4 4 54.35 11.83 66.18 42.14 24.04 31.52 5 6 61.33 340.81 402.14 348.16 53.98 53.73 6 9 264.59 0.41 265.00 66.09 198.91 198.88 7 10 3533.09 926.33 445.942 305.910 1400.32 1379.80 8 12 64.53 15.90 80.43 58.77 21.66 21.66 9 17 80.88 17.22 98.11 84.2 13.90 13.90 10 18 1341.66 199.26 1540.93 113.435 406.58 405.31 11 19 728.11 272.76 1000.87 714.44 286.42 206.95 12 20 352.92 289.31 381.53 2780.61 1037.91 1016.13 13 21	-									
4 4 54.35 11.83 66.18 42.14 24.04 31.52 5 6 61.33 340.81 402.14 348.16 53.98 53.73 6 9 264.59 0.41 265.00 66.09 198.91 198.88 7 10 3533.09 926.33 4459.42 3059.10 1400.32 1379.86 8 12 64.53 15.90 80.43 58.77 21.66 29 9 17 80.88 17.22 98.11 84.2 13.90 13.90 10 18 1341.66 199.26 1540.93 1134.35 406.58 405.31 11 19 728.11 272.76 1000.87 714.44 286.42 206.95 12 20 3529.22 289.31 3818.53 2780.61 1037.91 1016.13 13 21 1305.85 452.60 1758.45 1447.55 310.90 307.22 14	\vdash									
5 6 61.33 340.81 402.14 348.16 53.98 53.73 6 9 264.59 0.41 265.00 66.09 198.91 198.88 7 10 3533.09 926.33 4459.42 3059.10 1400.32 1379.80 8 12 64.53 15.90 80.43 58.77 21.66 21.66 9 17 80.88 17.22 98.11 84.2 13.90 13.90 10 18 1341.66 199.26 1540.93 1134.35 406.53 405.31 11 19 728.11 272.76 1000.87 714.44 286.42 206.95 12 20 3529.22 289.31 3818.53 2780.61 1037.91 1016.13 13 21 1305.85 452.60 1758.45 1447.55 310.90 307.29 14 22 4883.73 567.03 5450.76 5256.74 194.02 173.07 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>										
6 9 264.59 0.41 265.00 66.09 198.91 198.88 7 10 3533.09 926.33 4459.42 3059.10 1400.32 1379.80 8 12 64.53 15.90 80.43 58.77 21.66 21.66 9 17 80.88 17.22 98.11 84.2 13.90 13.90 10 18 1341.66 199.26 1540.93 1134.35 406.58 405.31 11 19 728.11 272.76 1000.87 714.44 286.42 206.95 12 20 3529.22 289.31 3818.53 2780.61 1037.91 1016.13 13 21 1305.85 452.60 1758.45 1447.55 310.90 307.29 14 22 4883.73 567.03 5450.76 5256.74 194.02 173.07 15 23 431.08 11.90 442.98 272.47 170.51 170.51	-									
7 10 3533.09 926.33 4459.42 3059.10 1400.32 1379.80 8 12 64.53 15.90 80.43 58.77 21.66 21.66 9 17 80.88 17.22 98.11 84.2 13.90 13.90 10 18 1341.66 199.26 1540.93 1134.35 406.58 405.31 11 19 728.11 272.76 1000.87 714.44 286.42 206.95 12 20 3529.22 289.31 3818.53 2780.61 1037.91 1016.13 13 21 1305.85 452.60 1758.45 1447.55 310.90 307.29 14 22 4883.73 567.03 5450.76 5256.74 194.02 173.07 15 23 431.08 11.90 442.98 272.47 170.51 170.51 16 24 180.67 23.34 204.01 192.37 11.64 12.18	5		61.33	340.81	402.14		53.98	53.73		
8 12 64.53 15.90 80.43 58.77 21.66 21.66 9 17 80.88 17.22 98.11 84.2 13.90 13.90 10 18 1341.66 199.26 1540.93 1134.35 406.58 405.31 11 19 728.11 272.76 1000.87 714.44 286.42 206.95 12 20 3529.22 289.31 3818.53 2780.61 1037.91 1016.13 13 21 1305.85 452.60 1758.45 1447.55 310.90 307.29 14 22 4883.73 567.03 5450.76 5256.74 194.02 173.07 15 23 431.08 11.90 442.98 272.47 170.51 16 24 180.67 23.34 204.01 192.37 11.64 12.18 17 26 254.49 28.80 283.29 142.88 140.41 137.02 18 27 3	\vdash									
9 17 80.88 17.22 98.11 84.2 13.90 13.90 10 18 1341.66 199.26 1540.93 1134.35 406.58 405.31 11 19 728.11 272.76 1000.87 714.44 286.42 206.95 12 20 3529.22 289.31 3818.53 2780.61 1037.91 1016.13 13 21 1305.85 452.60 1758.45 1447.55 310.90 307.29 14 22 4883.73 567.03 5450.76 5256.74 194.02 173.07 15 23 431.08 11.90 442.98 272.47 170.51 170.51 16 24 180.67 23.34 204.01 192.37 11.64 12.18 17 26 254.49 28.80 283.29 142.88 140.41 137.02 18 27 387.67 52.57 440.24 360.98 79.26 69.27	7	10	3533.09		4459.42	3059.10	1400.32	1379.80		
10 18 1341.66 199.26 1540.93 1134.35 406.58 405.31 11 19 728.11 272.76 1000.87 714.44 286.42 206.95 12 20 3529.22 289.31 3818.53 2780.61 1037.91 1016.13 13 21 1305.85 452.60 1758.45 1447.55 310.90 307.29 14 22 4883.73 567.03 5450.76 5256.74 194.02 173.07 15 23 431.08 11.90 442.98 272.47 170.51 170.51 16 24 180.67 23.34 204.01 192.37 11.64 12.18 17 26 254.49 28.80 283.29 142.88 140.41 137.05 18 27 387.67 52.57 440.24 360.98 79.26 69.27 19 29 63.77 15.12 78.89 57.46 21.43 21.43	8	12	64.53	15.90	80.43	58.77	21.66	21.66		
11 19 728.11 272.76 1000.87 714.44 286.42 206.95 12 20 3529.22 289.31 3818.53 2780.61 1037.91 1016.13 13 21 1305.85 452.60 1758.45 1447.55 310.90 307.29 14 22 4883.73 567.03 5450.76 5256.74 194.02 173.07 15 23 431.08 11.90 442.98 272.47 170.51 170.51 16 24 180.67 23.34 204.01 192.37 11.64 12.18 17 26 254.49 28.80 283.29 142.88 140.41 137.02 18 27 387.67 52.57 440.24 360.98 79.26 69.27 19 29 63.77 15.12 78.89 57.46 21.43 21.43 20 35 336.48 3.45 339.93 270.39 69.54 67.63 <td< td=""><td>9</td><td>17</td><td>80.88</td><td>17.22</td><td>98.11</td><td>84.2</td><td>13.90</td><td>13.90</td></td<>	9	17	80.88	17.22	98.11	84.2	13.90	13.90		
12 20 3529.22 289.31 3818.53 2780.61 1037.91 1016.13 13 21 1305.85 452.60 1758.45 1447.55 310.90 307.29 14 22 4883.73 567.03 5450.76 5256.74 194.02 173.07 15 23 431.08 11.90 442.98 272.47 170.51 170.51 16 24 180.67 23.34 204.01 192.37 11.64 12.18 17 26 254.49 28.80 283.29 142.88 140.41 137.02 18 27 387.67 52.57 440.24 360.98 79.26 69.27 19 29 63.77 15.12 78.89 57.46 21.43 21.43 20 35 336.48 3.45 339.93 270.39 69.54 67.63 21 36 1789.76 50.30 1840.06 641.45 1198.61 1198.41 <	10	18	1341.66	199.26	1540.93	1134.35	406.58	405.31		
13 21 1305.85 452.60 1758.45 1447.55 310.90 307.29 14 22 4883.73 567.03 5450.76 5256.74 194.02 173.07 15 23 431.08 11.90 442.98 272.47 170.51 170.51 16 24 180.67 23.34 204.01 192.37 11.64 12.18 17 26 254.49 28.80 283.29 142.88 140.41 137.02 18 27 387.67 52.57 440.24 360.98 79.26 69.27 19 29 63.77 15.12 78.89 57.46 21.43 21.43 20 35 336.48 3.45 339.93 270.39 69.54 67.63 21 36 1789.76 50.30 1840.06 641.45 1198.61 1198.41 22 38 26.43 8.82 35.25 24.90 10.35 10.35 23	11	19	728.11	272.76	1000.87	714.44	286.42	206.95		
14 22 4883.73 567.03 5450.76 5256.74 194.02 173.07 15 23 431.08 11.90 442.98 272.47 170.51 170.51 16 24 180.67 23.34 204.01 192.37 11.64 12.18 17 26 254.49 28.80 283.29 142.88 140.41 137.02 18 27 387.67 52.57 440.24 360.98 79.26 69.27 19 29 63.77 15.12 78.89 57.46 21.43 21.43 20 35 336.48 3.45 339.93 270.39 69.54 67.63 21 36 1789.76 50.30 1840.06 641.45 1198.61 1198.41 22 38 26.43 8.82 35.25 24.90 10.35 10.35 23 39 718.82 407.88 1126.70 437.42 689.27 687.28 24	12	20	3529.22	289.31	3818.53	2780.61	1037.91	1016.13		
15 23 431.08 11.90 442.98 272.47 170.51 170.51 16 24 180.67 23.34 204.01 192.37 11.64 12.18 17 26 254.49 28.80 283.29 142.88 140.41 137.02 18 27 387.67 52.57 440.24 360.98 79.26 69.27 19 29 63.77 15.12 78.89 57.46 21.43 21.43 20 35 336.48 3.45 339.93 270.39 69.54 67.63 21 36 1789.76 50.30 1840.06 641.45 1198.61 1198.41 22 38 26.43 8.82 35.25 24.90 10.35 10.35 23 39 718.82 407.88 1126.70 437.42 689.27 687.28 24 40 698.54 73.25 771.79 523.63 248.15 240.56 25	13	21	1305.85	452.60	1758.45	1447.55	310.90	307.29		
16 24 180.67 23.34 204.01 192.37 11.64 12.18 17 26 254.49 28.80 283.29 142.88 140.41 137.02 18 27 387.67 52.57 440.24 360.98 79.26 69.27 19 29 63.77 15.12 78.89 57.46 21.43 21.43 20 35 336.48 3.45 339.93 270.39 69.54 67.63 21 36 1789.76 50.30 1840.06 641.45 1198.61 1198.41 22 38 26.43 8.82 35.25 24.90 10.35 10.35 23 39 718.82 407.88 1126.70 437.42 689.27 687.28 24 40 698.54 73.25 771.79 523.63 248.15 240.56 25 41 427.98 0.30 428.28 247.05 181.23 163.49 26	14	22	4883.73	567.03	5450.76	5256.74	194.02	173.07		
17 26 254.49 28.80 283.29 142.88 140.41 137.02 18 27 387.67 52.57 440.24 360.98 79.26 69.27 19 29 63.77 15.12 78.89 57.46 21.43 21.43 20 35 336.48 3.45 339.93 270.39 69.54 67.63 21 36 1789.76 50.30 1840.06 641.45 1198.61 1198.41 22 38 26.43 8.82 35.25 24.90 10.35 10.35 23 39 718.82 407.88 1126.70 437.42 689.27 687.28 24 40 698.54 73.25 771.79 523.63 248.15 240.56 25 41 427.98 0.30 428.28 247.05 181.23 163.49 26 42 5586.94 1360.16 6947.10 4452.58 2494.52 2494.47 27	15	23	431.08	11.90	442.98	272.47	170.51	170.51		
18 27 387.67 52.57 440.24 360.98 79.26 69.27 19 29 63.77 15.12 78.89 57.46 21.43 21.43 20 35 336.48 3.45 339.93 270.39 69.54 67.63 21 36 1789.76 50.30 1840.06 641.45 1198.61 1198.41 22 38 26.43 8.82 35.25 24.90 10.35 10.35 23 39 718.82 407.88 1126.70 437.42 689.27 687.28 24 40 698.54 73.25 771.79 523.63 248.15 240.56 25 41 427.98 0.30 428.28 247.05 181.23 163.49 26 42 5586.94 1360.16 6947.10 4452.58 2494.52 2494.47 27 43 307.69 18.08 325.77 229.94 95.83 95.83 28	16	24	180.67	23.34	204.01	192.37	11.64	12.18		
19 29 63.77 15.12 78.89 57.46 21.43 21.43 20 35 336.48 3.45 339.93 270.39 69.54 67.63 21 36 1789.76 50.30 1840.06 641.45 1198.61 1198.41 22 38 26.43 8.82 35.25 24.90 10.35 10.35 23 39 718.82 407.88 1126.70 437.42 689.27 687.28 24 40 698.54 73.25 771.79 523.63 248.15 240.56 25 41 427.98 0.30 428.28 247.05 181.23 163.49 26 42 5586.94 1360.16 6947.10 4452.58 2494.52 2494.47 27 43 307.69 18.08 325.77 229.94 95.83 95.83 28 45 192.19 0.08 192.27 146.53 45.74 45.74 29	17	26	254.49	28.80	283.29	142.88	140.41	137.02		
20 35 336.48 3.45 339.93 270.39 69.54 67.63 21 36 1789.76 50.30 1840.06 641.45 1198.61 1198.41 22 38 26.43 8.82 35.25 24.90 10.35 10.35 23 39 718.82 407.88 1126.70 437.42 689.27 687.28 24 40 698.54 73.25 771.79 523.63 248.15 240.56 25 41 427.98 0.30 428.28 247.05 181.23 163.49 26 42 5586.94 1360.16 6947.10 4452.58 2494.52 2494.47 27 43 307.69 18.08 325.77 229.94 95.83 95.83 28 45 192.19 0.08 192.27 146.53 45.74 45.74 29 46 91.55 0.17 91.72 72.82 18.90 18.9 30	18	27	387.67	52.57	440.24	360.98	79.26	69.27		
21 36 1789.76 50.30 1840.06 641.45 1198.61 1198.41 22 38 26.43 8.82 35.25 24.90 10.35 10.35 23 39 718.82 407.88 1126.70 437.42 689.27 687.28 24 40 698.54 73.25 771.79 523.63 248.15 240.56 25 41 427.98 0.30 428.28 247.05 181.23 163.49 26 42 5586.94 1360.16 6947.10 4452.58 2494.52 2494.47 27 43 307.69 18.08 325.77 229.94 95.83 95.83 28 45 192.19 0.08 192.27 146.53 45.74 45.74 29 46 91.55 0.17 91.72 72.82 18.90 18.9 30 47 233.38 70.86 304.24 177.31 126.93 126.93 31	19	29	63.77	15.12	78.89	57.46	21.43	21.43		
22 38 26.43 8.82 35.25 24.90 10.35 10.35 23 39 718.82 407.88 1126.70 437.42 689.27 687.28 24 40 698.54 73.25 771.79 523.63 248.15 240.56 25 41 427.98 0.30 428.28 247.05 181.23 163.49 26 42 5586.94 1360.16 6947.10 4452.58 2494.52 2494.47 27 43 307.69 18.08 325.77 229.94 95.83 95.83 28 45 192.19 0.08 192.27 146.53 45.74 45.74 29 46 91.55 0.17 91.72 72.82 18.90 18.9 30 47 233.38 70.86 304.24 177.31 126.93 126.93 31 48 2930.18 429.66 3359.84 2535.14 824.70 823.99 32	20	35	336.48	3.45	339.93	270.39	69.54	67.63		
23 39 718.82 407.88 1126.70 437.42 689.27 687.28 24 40 698.54 73.25 771.79 523.63 248.15 240.56 25 41 427.98 0.30 428.28 247.05 181.23 163.49 26 42 5586.94 1360.16 6947.10 4452.58 2494.52 2494.47 27 43 307.69 18.08 325.77 229.94 95.83 95.83 28 45 192.19 0.08 192.27 146.53 45.74 45.74 29 46 91.55 0.17 91.72 72.82 18.90 18.9 30 47 233.38 70.86 304.24 177.31 126.93 126.93 31 48 2930.18 429.66 3359.84 2535.14 824.70 823.99 32 49 407.54 1.14 408.68 318.54 90.14 90.13 33 <td>21</td> <td>36</td> <td>1789.76</td> <td>50.30</td> <td>1840.06</td> <td>641.45</td> <td>1198.61</td> <td>1198.41</td>	21	36	1789.76	50.30	1840.06	641.45	1198.61	1198.41		
24 40 698.54 73.25 771.79 523.63 248.15 240.56 25 41 427.98 0.30 428.28 247.05 181.23 163.49 26 42 5586.94 1360.16 6947.10 4452.58 2494.52 2494.47 27 43 307.69 18.08 325.77 229.94 95.83 95.83 28 45 192.19 0.08 192.27 146.53 45.74 45.74 29 46 91.55 0.17 91.72 72.82 18.90 18.9 30 47 233.38 70.86 304.24 177.31 126.93 126.93 31 48 2930.18 429.66 3359.84 2535.14 824.70 823.99 32 49 407.54 1.14 408.68 318.54 90.14 90.13 33 50 111.83 0.08 111.91 75.33 36.58 36.58 34	22	38	26.43	8.82	35.25	24.90	10.35	10.35		
25 41 427.98 0.30 428.28 247.05 181.23 163.49 26 42 5586.94 1360.16 6947.10 4452.58 2494.52 2494.47 27 43 307.69 18.08 325.77 229.94 95.83 95.83 28 45 192.19 0.08 192.27 146.53 45.74 45.74 29 46 91.55 0.17 91.72 72.82 18.90 18.9 30 47 233.38 70.86 304.24 177.31 126.93 126.93 31 48 2930.18 429.66 3359.84 2535.14 824.70 823.99 32 49 407.54 1.14 408.68 318.54 90.14 90.13 33 50 111.83 0.08 111.91 75.33 36.58 36.58 34 51 1616.69 120.39 1737.08 1210.71 526.37 515.52 35	23	39	718.82	407.88	1126.70	437.42	689.27	687.28		
26 42 5586.94 1360.16 6947.10 4452.58 2494.52 2494.47 27 43 307.69 18.08 325.77 229.94 95.83 95.83 28 45 192.19 0.08 192.27 146.53 45.74 45.74 29 46 91.55 0.17 91.72 72.82 18.90 18.9 30 47 233.38 70.86 304.24 177.31 126.93 126.93 31 48 2930.18 429.66 3359.84 2535.14 824.70 823.99 32 49 407.54 1.14 408.68 318.54 90.14 90.13 33 50 111.83 0.08 111.91 75.33 36.58 36.58 34 51 1616.69 120.39 1737.08 1210.71 526.37 515.52 35 52 83.45 2.86 86.31 70.26 16.05 16.03 36	24	40	698.54	73.25	771.79	523.63	248.15	240.56		
27 43 307.69 18.08 325.77 229.94 95.83 95.83 28 45 192.19 0.08 192.27 146.53 45.74 45.74 29 46 91.55 0.17 91.72 72.82 18.90 18.9 30 47 233.38 70.86 304.24 177.31 126.93 126.93 31 48 2930.18 429.66 3359.84 2535.14 824.70 823.99 32 49 407.54 1.14 408.68 318.54 90.14 90.13 33 50 111.83 0.08 111.91 75.33 36.58 36.58 34 51 1616.69 120.39 1737.08 1210.71 526.37 515.52 35 52 83.45 2.86 86.31 70.26 16.05 16.03 36 53 73.10 0 73.10 58.68 14.42 14.41 37 54	25	41	427.98	0.30	428.28	247.05	181.23	163.49		
28 45 192.19 0.08 192.27 146.53 45.74 45.74 29 46 91.55 0.17 91.72 72.82 18.90 18.9 30 47 233.38 70.86 304.24 177.31 126.93 126.93 31 48 2930.18 429.66 3359.84 2535.14 824.70 823.99 32 49 407.54 1.14 408.68 318.54 90.14 90.13 33 50 111.83 0.08 111.91 75.33 36.58 36.58 34 51 1616.69 120.39 1737.08 1210.71 526.37 515.52 35 52 83.45 2.86 86.31 70.26 16.05 16.03 36 53 73.10 0 73.10 58.68 14.42 14.41 37 54 243.09 0.32 243.41 58.79 184.62 184.62 38 55	26	42	5586.94	1360.16	6947.10	4452.58	2494.52	2494.47		
29 46 91.55 0.17 91.72 72.82 18.90 18.9 30 47 233.38 70.86 304.24 177.31 126.93 126.93 31 48 2930.18 429.66 3359.84 2535.14 824.70 823.99 32 49 407.54 1.14 408.68 318.54 90.14 90.13 33 50 111.83 0.08 111.91 75.33 36.58 36.58 34 51 1616.69 120.39 1737.08 1210.71 526.37 515.52 35 52 83.45 2.86 86.31 70.26 16.05 16.03 36 53 73.10 0 73.10 58.68 14.42 14.41 37 54 243.09 0.32 243.41 58.79 184.62 184.62 38 55 1945.38 155.70 2101.08 950.56 1150.52 1060.72	27	43	307.69	18.08	325.77	229.94	95.83	95.83		
30 47 233.38 70.86 304.24 177.31 126.93 126.93 31 48 2930.18 429.66 3359.84 2535.14 824.70 823.99 32 49 407.54 1.14 408.68 318.54 90.14 90.13 33 50 111.83 0.08 111.91 75.33 36.58 36.58 34 51 1616.69 120.39 1737.08 1210.71 526.37 515.52 35 52 83.45 2.86 86.31 70.26 16.05 16.03 36 53 73.10 0 73.10 58.68 14.42 14.41 37 54 243.09 0.32 243.41 58.79 184.62 184.62 38 55 1945.38 155.70 2101.08 950.56 1150.52 1060.72	28	45	192.19	0.08	192.27	146.53	45.74	45.74		
31 48 2930.18 429.66 3359.84 2535.14 824.70 823.99 32 49 407.54 1.14 408.68 318.54 90.14 90.13 33 50 111.83 0.08 111.91 75.33 36.58 36.58 34 51 1616.69 120.39 1737.08 1210.71 526.37 515.52 35 52 83.45 2.86 86.31 70.26 16.05 16.03 36 53 73.10 0 73.10 58.68 14.42 14.41 37 54 243.09 0.32 243.41 58.79 184.62 184.62 38 55 1945.38 155.70 2101.08 950.56 1150.52 1060.72	29	46	91.55	0.17	91.72	72.82	18.90	18.9		
32 49 407.54 1.14 408.68 318.54 90.14 90.13 33 50 111.83 0.08 111.91 75.33 36.58 36.58 34 51 1616.69 120.39 1737.08 1210.71 526.37 515.52 35 52 83.45 2.86 86.31 70.26 16.05 16.03 36 53 73.10 0 73.10 58.68 14.42 14.41 37 54 243.09 0.32 243.41 58.79 184.62 184.62 38 55 1945.38 155.70 2101.08 950.56 1150.52 1060.72	30	47	233.38	70.86	304.24	177.31	126.93	126.93		
33 50 111.83 0.08 111.91 75.33 36.58 36.58 34 51 1616.69 120.39 1737.08 1210.71 526.37 515.52 35 52 83.45 2.86 86.31 70.26 16.05 16.03 36 53 73.10 0 73.10 58.68 14.42 14.41 37 54 243.09 0.32 243.41 58.79 184.62 184.62 38 55 1945.38 155.70 2101.08 950.56 1150.52 1060.72	31	48	2930.18	429.66	3359.84	2535.14	824.70	823.99		
34 51 1616.69 120.39 1737.08 1210.71 526.37 515.52 35 52 83.45 2.86 86.31 70.26 16.05 16.03 36 53 73.10 0 73.10 58.68 14.42 14.41 37 54 243.09 0.32 243.41 58.79 184.62 184.62 38 55 1945.38 155.70 2101.08 950.56 1150.52 1060.72	32	49	407.54	1.14	408.68	318.54	90.14	90.13		
34 51 1616.69 120.39 1737.08 1210.71 526.37 515.52 35 52 83.45 2.86 86.31 70.26 16.05 16.03 36 53 73.10 0 73.10 58.68 14.42 14.41 37 54 243.09 0.32 243.41 58.79 184.62 184.62 38 55 1945.38 155.70 2101.08 950.56 1150.52 1060.72	-							36.58		
35 52 83.45 2.86 86.31 70.26 16.05 16.03 36 53 73.10 0 73.10 58.68 14.42 14.41 37 54 243.09 0.32 243.41 58.79 184.62 184.62 38 55 1945.38 155.70 2101.08 950.56 1150.52 1060.72	34	51		120.39			526.37	515.52		
36 53 73.10 0 73.10 58.68 14.42 14.41 37 54 243.09 0.32 243.41 58.79 184.62 184.62 38 55 1945.38 155.70 2101.08 950.56 1150.52 1060.72										
37 54 243.09 0.32 243.41 58.79 184.62 184.62 38 55 1945.38 155.70 2101.08 950.56 1150.52 1060.72	-									
38 55 1945.38 155.70 2101.08 950.56 1150.52 1060.72	\vdash									
	-									
	39	56	1978.09	875.89	2853.98	2482.11	371.87	371.86		

	कुल योग	69848.54	8824.75	78673.31	55103.72	23569.54	23263.18
	कल	15654.46	800.43	16454.89	9965.75	6489.14	6475.53
69	60	25.57	9.89	35.46	0.86	34.60	24.71
68	58	56.00	0	56.00	0	56.00	56.00
67	55	2195.80	0	2195.80	1574.72	621.08	627.11
66	53	42.26	12.00	54.26	38.67	15.59	14.03
65	52	48.20	4.00	52.20	24.89	27.31	27.31
64	51	161.50	2.50	164.00	107.73	56.27	56.27
63	50	579.56	0.80	580.36	158.85	421.51	421.55
62	49	1940.04	0	1940.04	1169.93	770.11	767.07
61	48	38.15	0.50	38.65	23.59	15.06	15.06
60	47	22.01	0	22.01	9.20	12.81	12.81
59	46	92.50	0	92.50	44.46	48.04	48.04
58	45	20.01	0	20.01	7.04	12.97	12.97
57	43	260.00	0	260.00	226.20	33.80	33.80
56	42	538.11	2.39	540.50	416.40	124.10	121.51
55	41	4700.00	50.00	4750.00	3674.33	1075.67	1075.22
54	36	750.00	1.00	751.00	538.73	212.27	212.11
52	30	100.20	2.04	102.24	57.63	44.61	44.61
51	26	108.82	32.87	141.69	18.36	123.33	123.33
50	22	674.86	428.46	1103.32	808.23	295.09	293.30
49	20	602.22	161.08	763.30	347.69	415.61	415.42
48	12	78.24	0.01	78.25	54.52	23.73	23.72
47	11	10.00	2.74	12.74	2.74	10.00	10.00
46	10	1790.13	0	1790.13	89.32	1700.81	1700.81
45	9	83.50	0	83.50	47.98	35.52	35.52
44	8	35.01	0.15	35.16	3.41	31.75	31.75
43	3	587.17	90.00	677.17	458.51	218.66	218.66
42	1	114.60	0	114.6	61.76	52.84	52.84
पूँजीग		3	30232				
	क्ल	54194.08	8024.32	62218.42	45137.97	17080.40	16787.65
42	60	4291.59	634.87	4926.46	3911.6	1014.86	1007.83
41	59	7222.34	414.85	7637.19	6400.54	1236.65	1236.45
40	58	2097.62	21.29	2118.91	1457.62	661.29	661.10

परिशिष्ट 3.6 2019-20 के दौरान अनुदान/विनियोजन से अधिक का संवितरण

(संदर्भ: कंडिका 3.3.8.1)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष	कुल	पुनर्विनियोग	कुल	व्यय	आधिक्य
			विवरण	प्रावधान				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401-00-109-01 (CS)	कृषि कर्म	0.00	0.00	0.00	0.44	0.44
3	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401-00-789-99	कृषि कर्म	2.19	0.01	2.17	2.18	0.00
4	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401-00-796-99	कृषि कर्म	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05
5	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401-00-796-A1	कृषि कर्म	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19
6	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401-00-796- AG	कृषि कर्म	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15
7	3- भवन निर्माण विभाग	2059-80-001-04	लोक निर्माण कार्य	52.85	14.68	38.17	38.17	0.00
8	3- भवन निर्माण विभाग	2059-80-001-12	लोक निर्माण कार्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	3- भवन निर्माण विभाग	2059-80-053-02	लोक निर्माण कार्य	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
10	3- भवन निर्माण विभाग	2059-80-053-02	लोक निर्माण कार्य	0.13	0.07	0.06	0.07	0.01
11	3- भवन निर्माण विभाग	4059-01-051-39	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत व्यय	45.00	44.11	0.89	0.99	0.10
12	3- भवन निर्माण विभाग	4059-01-051-39	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत व्यय	30.00	19.56	10.44	10.49	0.05
13	3- भवन निर्माण विभाग	4059-01-796-39	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत व्यय	67.50	57.61	9.89	10.01	0.12
14	4- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)	2013-00-108-01	मंत्री परिषद्	2.00	1.69	0.31	0.49	0.19
15	4- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)	2070-00-115-02	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	10.71	10.71	0.00	7.30	7.30

क्र.सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोग	कुल	व्यय	आधिक्य
16	5-राज्यपाल सचिवालय	2012-03-103-02	राष्ट्रपति, उप- राष्ट्रपति/ राज्यपाल / संघशासित प्रदेश के प्रशासक	0.73	0.37	0.37	0.37	0.00
17	7- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग)	2070-00-104-04	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	29.54	0.23	29.31	29.32	0.00
18	10- ऊर्जा विभाग	2070-00-800-08	लोक निर्माण कार्य	42.37	4.50	37.86	37.99	0.12
19	12-योजना-सह-वित्त-विभाग (वित्त प्रभाग)	2058-00-105-01	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	7.50	1.74	5.76	5.76	0.00
20	13- ब्याज भुगतान	2049-01-101-01	ब्याज भुगतान	2795.00	0.00	2795.00	2807.56	12.56
21	13- ब्याज भुगतान	2049-01-200-15	ब्याज भुगतान	473.00	0.00	473.00	709.05	236.05
22	13- ब्याज भुगतान	2049-03-104-01	ब्याज भुगतान	225.00	0.00	225.00	235.24	10.24
23	13- ब्याज भुगतान	2049-04-101-03	ब्याज भुगतान	32.57	0.00	32.57	73.39	40.82
24	14- ऋणों का पुनर्भुगतान	6003-00-101-26	राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	14- ऋणों का पुनर्भुगतान	6003-00-101-27	राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	14- ऋणों का पुनर्भुगतान	6003-00-101-28	राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
27	14- ऋणों का पुनर्भुगतान	6003-00-101- 110	राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	0.00	0.00	0.00	517.45	517.45
28	14- ऋणों का पुनर्भुगतान	6003-00-101- 111	राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	0.00	0.00	0.00	474.40	474.40
29	14- ऋणों का पुनर्भुगतान	6003-00-101- 112	राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	0.00	0.00	0.00	599.89	599.89
30	14- ऋणों का पुनर्भुगतान	6003-00-101- 113	राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	0.00	0.00	0.00	252.24	252.24
31	14- ऋणों का पुनर्भुगतान	6004-02-105-01		104.96	0.00	104.96	108.41	3.45
32	15-पेंशन	2071-01-101-01	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	0.00	0.00	0.00	261.91	261.91
33	15-पेंशन	2071-01-101-06	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	3351.59	0.00	3351.59	3538.44	186.85
34	15-पेंशन	2071-01-101-10	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	10.00	0.00	10.00	13.42	3.42
35	15-पेंशन	2071-01-102-04	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	300.00	0.00	300.00	306.09	6.09

क्र.सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोग	कुल	व्यय	आधिक्य
36	15-पेंशन	2071-01-104-03	पेंशन तथा अन्य	35.00	0.00	35.00	35.25	0.25
			सेवानिवृत्ति					
37	15-पेंशन	2071-01-105-03	हितलाभ ਸੰਅਤ ਤਾਸ ਪਤਾ	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22
37	13-परान	2071-01-103-03	सेवानिवृत्ति	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22
			हितलाभ					
38	15-पेंशन	2071-01-105-05		150.00	0.00	150.00	237.77	87.77
			सेवानिवृत्ति					
			हितलाभ					
39	15-पेंशन	2071-01-105-06		0.00	0.00	0.00	3.49	3.49
			सेवानिवृत्ति					
40	10	0400 01 700 02	हितलाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	2406-01-796-03	वानिकी तथा वन्य प्राणी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	19- वन, पर्यावरण एवं	2406-01-796-05		0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
	जलवाय् परिवर्तन विभाग	2400 01 700 00	वन्य प्राणी	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
42	19- वन, पर्यावरण एवं	2406-01-796-39		2.78	0.66	2.12	2.14	0.02
	जलवायु परिवर्तन विभाग		वन्य प्राणी					
43	19- वन, पर्यावरण एवं	2406-01-110-01	वानिकी तथा	19.84	4.36	15.48	15.48	0.00
	जलवायु परिवर्तन विभाग		वन्य प्राणी					
44	19- वन, पर्यावरण एवं	2406-02-110-03		2.70	1.33	1.37	1.42	0.05
	जलवायु परिवर्तन विभाग		वन्य प्राणी					
45	19- वन, पर्यावरण एवं	2406-02-110-03		1.80	0.88	0.92	0.94	0.02
46	जलवायु परिवर्तन विभाग 20- स्वास्थ्य, चिकित्सा	2210-01-110-69	वन्य प्राणी चिकित्सा तथा	45.00	0.46	44.54	44.60	0.06
	शिक्षा एवं परिवार कल्याण	2210-01-110-09	लोक स्वास्थ्य	45.00	0.40	44.54	44.00	0.00
	विभाग		,					
47	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा	2210-01-796-68	चिकित्सा तथा	10.00	1.47	8.53	8.58	0.05
	शिक्षा एवं परिवार कल्याण		लोक स्वास्थ्य					
	विभाग							
48	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा	2210-03-103-03		125.48	31.70	93.77	93.77	0.00
	शिक्षा एवं परिवार कल्याण		लोक स्वास्थ्य					
	विभाग 20- स्वास्थ्य, चिकित्सा	0010 00 101 10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20- स्वास्थ्य, ।चाकत्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	2210-06-101-10	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	विभाग		(गाफ स्पास्च्य					
50	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा	2210-06-102-01	चिकित्सा तथा	2.98	1.11	1.87	1.89	0.02
	शिक्षा एवं परिवार कल्याण		लोक स्वास्थ्य					
	विभाग							
51	22- गृह, कारा एवं आपदा	2055-00-101-06	पुलिस	141.82	4.08	137.73	137.95	0.22
	प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)							
52	C	2055-00-101-	पुलिस	0.05	0.00	0.05	0.06	0.01
	प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)			040.4=	00.70	404.05	404.6=	0.00
53	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2055-00-104-04	તાબસ	218.17	26.52	191.65	191.67	0.02
54	थ्य । विभाग (गृह प्रमाग) 22- गृह, कारा एवं आपदा	2055-00-104-05	प्रत्यस	321.92	8.47	313.45	313.46	0.01
] 54	प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2000-00-104-00	J. C.	JZ 1.JZ	0.47	515.45	313.40	0.01
	(-[6 Mollo])							

क्र.सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोग	कुल	व्यय	आधिक्य
55	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2055-00-109-01	पुलिस	2663.85	26.82	2637.03	2637.72	0.69
56	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2055-00-111-AJ	पुलिस	0.32	0.00	0.32	0.39	0.07
57	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2070-00-107-02	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	1.50	0.25	1.25	1.38	0.12
58	24-सूचना एवं जन संपर्क विभाग	2220-01-001-01	सूचना एवं प्रचार	10.61	1.28	9.33	9.86	0.53
59	26- श्रम नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	4250-00-796-06	अन्य समाजिक सेवाओं पर पुंजीगत व्यय	9.50	9.35	0.14	0.26	0.11
60	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	2215-01-101-01	ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	4.91	0.24	4.68	4.69	0.02
61	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	2215-01-102-02	ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	39.01	1.66	37.35	37.47	0.12
62	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	2215-01-102-14	ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	14.00	12.87	1.13	1.14	0.01
63	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	4215-01-796-02	ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	211.90	23.63	188.27	188.30	0.02
64	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	2029-00-102-19	सर्वक्षण एवं निपटान संचालन	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07
65	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	2070-00-115-03	गेस्ट हाउस, सरकारी छात्रावास	4.25	0.89	3.36	3.36	0.00
66	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	2070-00-115-03	गेस्ट हाउस, सरकारी छात्रावास	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09
67	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	2070-00-796-03	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13
68	41- सड़क निर्माण विभाग	2075-00-791-01	विनिमय द्वारा हानि	4.50	4.50	0.00	2.02	2.02
69	41- सड़क निर्माण विभाग	5054-03-796-01	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	1744.00	92.90	1651.10	1651.45	0.35
70	41- सड़क निर्माण विभाग	5054-03-799-01	उचंत	0.00	0.00	0.00	5.72	5.72
71	49- जल संसाधन विभाग	3451-80-789-13	अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना	127.00	35.78	91.22	91.57	0.36
72	49- जल संसाधन विभाग	4700-80-796-12	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	300.00	150.97	149.03	154.60	5.57
73	49- जल संसाधन विभाग	4700-80-796-12	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	120.00	71.48	48.52	48.73	0.21
74	49- जल संसाधन विभाग	4700-80-796-13	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	140.00	74.21	65.79	65.88	0.09
75	49- जल संसाधन विभाग	4701-03-799-01	उचंत	0.00	0.00	0.00	20.45	20.45

	·			c		_ ~~ ~			
क्र.सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	मुख्य शी	at.	कुल	पुनर्विनियोग	कुल	व्यय	आधिक्य
			विवरण		प्रावधान				
76	49- जल संसाधन विभाग	4701-80-052-70		एवं	6.50	5.50	1.00	1.01	0.01
			औजार						
77	49- जल संसाधन विभाग	4701-80-796-74	जनजातीय	क्षेत्र	33.20	27.10	6.10	6.11	0.01
			उप-योजना						
78	50- जल संसाधन विभाग	4702-00-796-18	जनजातीय	क्षेत्र	13.25	8.74	4.51	5.01	0.51
	(लघु सिंचाई प्रभाग)		उप-योजना						
79	50- जल संसाधन विभाग	4702-00-796-37	जनजातीय	क्षेत्र	2.00	1.67	0.33	0.35	0.02
	(लघु सिंचाई प्रभाग)		उप-योजना						
80	51- अनुसूचित जनजाति,	2225-03-277-06	शिक्षा		3.00	1.93	1.07	2.63	1.56
	अनुसूचित जाति,								
	अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा								
	कल्याण विभाग (अनुसूचित								
	जनजाति, अनुसूचित जाति,								
	अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा								
	कल्याण प्रभाग)								
81	55- ग्रामीण विकास विभाग	2515-00-001-28	निर्देशन	एवं	125.00	72.76	52.24	52.49	0.25
	(ग्रामीण कार्य प्रभाग)		प्रशासन						
82	55- ग्रामीण विकास विभाग	4515-00-103-04	ग्रामीण विक	ास	630.00	232.24	397.76	411.87	14.11
	(ग्रामीण कार्य प्रभाग)								
83	55- ग्रामीण विकास विभाग	4515-00-103-10	ग्रामीण विक	ास	252.00	60.90	191.10	194.84	3.74
	(ग्रामीण कार्य प्रभाग)								
84	55- ग्रामीण विकास विभाग	4515-00-796-10	जनजातीय	क्षेत्र	288.00	56.86	231.14	240.68	9.54
	(ग्रामीण कार्य प्रभाग)		उप-योजना	-					
85	58- स्कूली शिक्षा एवं	2202-02-109-66			0.00	0.00	0.00	2.07	2.07
	साक्षरता विभाग		सेकेन्डरी स्क्	ल			-		
	(सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)		, , , , ,						
86	58- स्कूली शिक्षा एवं	2202-02-796-15	जनजातीय	क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03
	साक्षरता विभाग		उप-योजना	717	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)		5 1-9101011						
	(משיפלו וצומוו אסוייו)								

परिशिष्ट 3.7 पूर्व के वर्षों के प्रावधानों से अधिक व्यय का विनियमन अपेक्षित

(संदर्भ: कंडिका 3.3.8.2)

वर्ष	अनुदान/विनियोजन की संख्या	अनुदान/विनियोजन/विभाग का नाम	आधिक्य राशि (₹ करोड़ में)
2001-02	25	सांस्थिक वित एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	*
2001-02	32	विधानमंडल	0.04
2002-03	32	विधानमंडल	0.08
2003-04	46	पर्यटन विभाग	0.29
2004-05	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	@
2006-07	38	निबंधन विभाग	\$
2010-11	32	विधानमंडल	0.10
2011-12	14	ऋणों की अदायगी	219.56
2011-12	15	पेंशन	200.60
2011-12	25	संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	^
2012-13	7	निगरानी	0.07
2012-13	14	ऋणों की वापसी	556.01
2012-13	15	पेंशन	703.44
2012-13	42	ग्रामीण विकास विभाग	3.66
2013-14	13	ब्याज भुगतान	139.42
2013-14	14	ऋणों की वापसी	181.58
2013-14	15	पेंशन	373.05
2014-15	13	ब्याज भुगतान	191.68
2014-15	42	ग्रामीण विकास विभाग	169.53
2016-17	14	ऋणों की अदायगी	10.42
2016-17	32	विधान सभा	0.33
2017-18	13	ब्याज भुगतान	193.69
2017-18	15	पेंशन	71.81
		- कुल	3,015.37

म्रोत : संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे *आधिक्य राशि मात्र ₹ 8,807 था।

@ आधिक्य राशि मात्र ₹ 1,072 था।

\$ आधिक्य राशि मात्र ₹ 81,665 था।

^ आधिक्य राशि मात्र ₹ 11,160 था।

परिशिष्ट 3.8 योजनाओं का विवरण (₹ एक करोड़ व अधिक) जिनके लिए प्रावधान किया गया था लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया

(संदर्भ: कंडिका 3.4.3)

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	अनुमोदित	संशोधित	वास्तविक
ж.ст.	ापकाण यग जान	वाजना का नाव	परिव्यय	परिव्यय	व्यय
1	1- कषि. पशपालन	2401-00-104- बी.डी.लघु सिचाई योजना (एस.एस.)	15.00	0	शून्य
2	एवं सहकारिता	2401-00-105-ए.वी मृदा स्वास्थ्य एवं उत्पादकता	1.26	0	शून्य
_	विभाग (कृषि	प्रबंधन राष्ट्रीय योजना (सी.ए.एस.सी.)	20	· ·	Α.
3	प्रभाग) प्रभाग)	2401-00-105-B7 - मृदा सुधार एवं मृदा प्रबंधन की	3.00	0	शून्य
	,	योजना (सी.ए.एस.एस.)			Α.
4		2401-00-109-28- राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना	7.50	0	शून्य
		(सी.ए.एस.एस.)			^
5	-	2401-00-115-बी9- संकट एवं कृषि सहायता किसानों	1.50	0	शून्य
		के लिए आकस्मिक निधि (एस.एस.)			^
6	-	2401-00-195- बी3- ब्याज माफी (एस.एस.)	6.00	0	शून्य
7	-	2401-00-789-28- राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना	2.50	0	शून्य
		(CASS)			~
8		2401-00-789- बी3-ब्याज माफी (एस.एस.)	2.00	0	शून्य
9	-	2401-00-789- बी7- मृदा सुधार एवं मृदा प्रबंधन की	1.00	0	शून्य
		योजना			~
10	1	2401-00-789 - बी डी-स्क्ष्म सिंचाई योजना (एस.एस.)	5.00	0	शून्य
11		2401-00-796-28- राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना	15.00	0	शून्य
		(सी.ए.एस.एस.)			,
12	1	2401-00-796-ए 0 नेशनल मिशन फॉर ससटेनेबल	2.88	0	शून्य
		एग्रीकल्चर (सी.ए.एस.सी.)			·
13]	2401-00-796- ए 0 नेशनल मिशन फॉर ससटेनेबल	1.92	0	शून्य
		एग्रीकल्चर (सी.ए.एस.सी.)			
14		2401-00-796- ए टी. नेशनल मिशन ऑन	1.80	0	शून्य
		एग्रीकल्चर मेकनाइजेशन (सी.ए.एस.सी.)			
15		2401-00-796- ए टी. नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर	1.20	0	शून्य
		मेकनाइजेशन (सी.ए.एस.एस.)			
16		2401-00-796- ए वि-नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट	2.52	0	शून्य
		ऑफ सॉयल हेल्थ फर्टिलिटी (सी.ए.एस.सी.)			
17		2401-00-796- ए वि - नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट	1.68	0	शून्य
		ऑफ सॉयल हेल्थ फर्टिलिटी (सी.ए.एस.एस.)			
18		2401-00-789-बी7 मृदा सुधार एवं मृदा प्रबंधन की	6.00	0	शून्य
		योजना, (एस.एस.)			
19		2401-00-796-बी9 असहाय कृषकों तथा कृषि तथा	3.00	0	शून्य
		कृषि हेल्पलाईन के लिए आकस्मिकता कोष (एस.एस.)			
20	_	2401-00-796-बी.डी सूक्ष्म सिंचाई योजना (एस.एस.)	30.00	0	शून्य
21		4401-00-796-12-आधरभूत संरचनाओं की स्थापना	2.40	0	शून्य
		एवं सुद्दवीकरण तथा ग्रामीण कृषि हाट का निर्माण			
	- 0	(एस.एस.)			
22		2403-00-106-ए2- कृषि विज्ञान केन्द्र के द्वारा	4.00	0	शून्य
	एवं सहकारिता	समेकित खेती हेतु पशु प्रजनन प्रक्षेत्र का विकास			
	विभाग (पशुपालन	(एस.एस.)			

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	अनुमोदित	अनुमोदित संशोधित	
			परिव्यय	परिव्यय	व्यय
23	प्रभाग)	2403-00-789-A2- कृषि विज्ञान केन्द्र के द्वारा	1.00	0	शून्य
		समेकित खेती हेतु पशु प्रजनन प्रक्षेत्र का विकास			·
		(एस.एस.)			
24		2403-00-796-84- इन्टरग्रेटेड पोल्ट्री डेवलपमेंट	12.00	0	शून्य
		(एस.एस.)			
25		2403-00-796-ए. 2 कृषि विज्ञान केन्द्र के द्वारा	3.00	0	शून्य
		समेकित खेती हेतु पशु प्रजनन प्रक्षेत्र का विकास			
	_	(एस.एस.)			
26		4403-00-101-07- पशु औषधालयों का आधुनिकीकरण	1.40	0	शून्य
		(एस.एस.)			
27		4403-00-796-07- पशु औषधालयों का आधुनिकीकरण	1.00	0	शून्य
		(एस.एस.)			
28	8-परिवहन विभाग	5053-02-102-09- देवघर विमानपत्तन का विकास एवं	25.00	0	शून्य
	(नागरिक उड्डयन	विस्तारीकरण (एस.एस.)			
29	प्रभाग)	5053-02-796-01 बिरसा मुंडा विमानपत्तन के	1.00	0	शून्य
		विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण			
30		5053-02-796-03 राँची विमानपत्तन पर राज्य हवाई	2.00	0	शून्य
	_	बेस के लिए निधि आवंटन (एस.एस.)			
31	6 3	2425-00-107-27 फसल बीमा योजना अंतर्गत	42.00	0	श्नय
	एवं सहकारिता	प्रीमियम सबसिडी एवं अन्य व्यय तथा किसानों के			
		फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान (एस.एस.)			
32	प्रभाग)	2425-00-107-62-एपेक्स और अन्य सहकारी समितियों	9.00	0	शून्य
		के लिए अनुदान (एस.एस.)			
33		2425-00-108-60 मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय,	3.00	0	शून्य
		लैम्पस/पैक्स एवं अन्य सहकारी समितियों के			
		इन्फ्रासट्रक्चर डेवेलपमेंट और कम्प्युटरीकरन न के लिए			
		अनुदान (एस.एस.)			_
34		2425-00-789-27- फसल बीमा योजना अंतर्गत	28.00	0	शून्य
		प्रीमियम सबसिडी एवं अन्य व्यय तथा किसानों के			
	-	फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान (एस.एस.)	0.00		
35		2425-00-789-60 मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय,	2.00	0	शून्य
		लैम्पस/पैक्स एवं अन्य सहकारी समितियों के			
		इन्फ्रासट्रक्चर डेवेलपमेंट और कम्प्युटरीकरन रन न के			
20	-	तिए अनुदान (एस.एस.) 2425-00-789-62- एपेक्स और अन्य सहकारी	C 00	0	AT-17
36			6.00	0	शून्य
27	-	समितियों के लिए अनुदान (एस.एस.)	2.00	0	9111
37		2425-00-789-63- सुचना प्रसार, सेमिनार, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन, आलेखन एवं सहकारिता प्रक्षेत्र में विभिन्न	3.00	0	शून्य
		गतिविधियों के प्रचार-प्रसार तथा कौशल विकास एवं			
		प्रशिक्षण हेतु अनुदान (एस.एस.)			
38	1	2425-00-796-27- फसल बीमा योजना अंतगर्त	70.00	0	शस्य
50		प्रीमियम सबसिडी एवं अन्य व्यय तथा किसानों के	70.00		शून्य
		फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान (एस.एस.)			
39	-	2425-00-796-60- मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय,	5.00	0	शून्य
		लैम्पस/पैक्स एवं अन्य सहकारी समितियों के	3.00		1,0
		इन्फ्रासट्रक्चर डेवेलपमेंट और कम्प्युटरीकरन न के लिए			
		अन्दान (एस.एस.)			
40	1	2425-00-796-62- एपेक्स और अन्य सहकारी	15.00	0	शून्य
		समितियों के लिए अनुदान (एस.एस.)	13.00		7.
	I .				

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक
41	10-उर्जा विभाग	2801-01-052-10-ग्रामीण विध्तीकरण (एस.एस.)	294.50	पारव्यय 0	व्यय
42	10-3जा विमान	2801-01-789-10- ग्रामीण विधुतीकरण (एस.एस.)	57.00	0	शून्य
	-	2801-01-796-10- ग्रामीण विध्तीकरण (एस.एस.)			शून्य
43	-		123.50		शून्य
44		2801-05-052-05 -एकीकृत उर्जा विकास योजना (आई.पी.डी.एस. के अधीन सूचना प्रौधोगिकी-चरण ॥	62.00	0	शून्य
		•			
45	-	(एस.एस.) 2801-05-789-05- एकीकृत उर्जा विकास योजना	12.00	0	91-31
45		(आई.पी.डी.एस. के अधीन सूचना प्रौधोगिकी-चरण II -II	12.00	U	शून्य
		(एस.एस.)			
46	-	2801-05-796-05 एकीकृत उर्जा विकास योजना	26.00	0	शून्य
40		(आई.पी.डी.एस. के अधीन सूचना प्रौधोगिकी-चरण II -II	20.00	U	1 10 4
		(एस.एस.)			
47	-	2801-06-052-01- तिलका मांझी कृषि पम्प	1.00	0	शून्य
48	-	2801-80-101-02- झारखण्ड राज्य विध्त विनियामक	4.58	0	Ť
40		आयोग (स्था. व्यय.) के लिए अनुदान	4.50	U	शून्य
49	-	2801-80-796-10-जे.एस.ई.आर.सी के नए भवन के	1.00	0	शून्य
43		निर्माण के लिए सहायता-अनुदान (एस.एस.)	1.00	U	1 10 4
50	-	2801-80-796-18-उदय योजना के अधीन	100.00	0	शून्य
30		जे.बी.वी.एन.एल को अनुदान (एस.एस.)	100.00	U	1 10 4
51		6801-00-201-24- प्रदूषण नियंत्रण उपाय (एस.एस.)	5.00	0	शून्य
52	-	6801-00-201-36- वार्षिक विकास कार्यक्रम एवं अति	170.50	0	शून्य
32		विशाल उर्जा परियोजना के लिए झारखण्ड बिजली	170.50	U	1 10 4
		वितरण निगम लिमिटेड को ऋण (एस.एस.)			
53	-	6801-00-202-01- कोयला खदानों एवं उर्जा प्लांट	15.00	0	शून्य
33		(संयंत्र) नई योजना (एस.एस.)	13.00	U	1 10 4
54	-	6801-00-205-23-आर-ए. पी.डी.आर.पी. भाग- बी	124.00	0	शून्य
34		(एस.एस.)	124.00	U	1 10 4
55	-	6801-00-205-34-एकीकृत उर्जा विकास योजना	120.52	0	शून्य
33		(आई.पी.डी.एस.) (एस.एस.)	120.52	U	1 10 4
56		6801-00-205-39 झारखण्ड उर्जा प्रणाली स्धार	62.00	0	शून्य
30		परियोजना के अधीन झारखण्ड बिजली वितरण निगम	02.00	U	1 10 4
		लिमिटेड (एस.एस.)			
57	-	6801-00-789-23 आर-ए. पी.डी.आर.पी. पार्ट-बी	24.00	0	शून्य
37		(एस.एस.)	24.00	J	(10.4
58	-	6801-00-789-34-समेकित विकाश उर्जा योजना	23.33	0	शून्य
30		(आई.डी.पी.एस) (एस.एस.)	20.00	J	(10.4
59	-	6801-00-789-36- झारखण्ड बिजली वितरण निगम	33.00	0	शून्य
55		लिमिटेड को ऋण	33.00	J	(10.4
60	-	6801-00-789-39 झारखण्ड उर्जा प्रणाली स्धार	12.00	0	शून्य
		परियोजना के अधीन झारखण्ड बिजली वितरण निगम	12.00	· ·	(10-1
		लिमिटेड को ऋण (एस.एस.)			
61	1	6801-00-796-23- आर-ए. पी.डी.आर.पी. पार्ट-बी	52.00	0	शून्य
•		(एस.एस.)	52.00		
62	1	6801-00-796-34- समेकित विकाश उर्जा योजना	50.54	0	शून्य
"-		(आई.डी.पी.एस) (एस.एस.)	55.54		, K
63	1	6801-00-796-36- झारखण्ड उर्जा प्रणाली सुधार	71.50	0	शून्य
		परियोजना के अधीन झारखण्ड बिजली वितरण निगम	, 1.00		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		लिमिटेड को ऋण (एस.एस.)			
	l	The second second			

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	अनुमोदित संशोधित		वास्तविक
			परिव्यय	परिव्यय	व्यय
64		6801-00-796-39- झारखण्ड उर्जा प्रणाली सुधार	26.00	0	शून्य
		परियोजना के अधीन झारखण्ड बिजली वितरण निगम			·
		लिमिटेड को ऋण (एस.एस.)			
65	11- उत्पाद एवं	4047-00-796-07- राज्य उत्पाद भवन का निर्माण	10.00	0	शून्य
	मद्य निषेध	(एस.एस.)			
	विभाग				
66	12- योजना सह	2075-00-791-02-राज्य सरकार पर बकाया के	2.00	0	शून्य
	वित्त विभाग (वित्त	समतुल्य रूपये का समायोजन			
67	प्रभाग)	7610-00-202-03-मंत्री इत्यादि को मोटरगाड़ी क्रय	1.00	0	शून्य
		करने के लिए अग्रिम (स्था.व्यय.)			
68		7610-00-202-04-विधान मंडल के सदस्यों को	3.00	0	शून्य
		मोटरगाड़ी क्रय करने के लिए अग्रिम			
69	14- कर्ज की	2048-00-101-01-निक्षेप निधि में योगदान (स्था.व्यय.)	280.16	0	शून्य
	अदायगी				
70	18- खाद्य,	3456-00-102-03-अन्नपूर्णा योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय	2.05	0	शून्य
		सहायता (एस.एस.)			
71	एवं उपभोक्ता	3456-00-102-35-कौशल विकास योजना (नई योजना)	1.85	0	शून्य
	मामले विभाग	(एस.एस.)			
72		3456-00-102-43-मूल्य स्थिरीकरण कोष	1.85	0	शून्य
73		3456-00-102-44-जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को	7.40	0	शून्य
		डिजिटल भार-मापक यंत्र वितरण (एस.एस.)			
74		3456-00-102-60-उपभोक्ता संरक्षण एवं प्रचार-	1.85	0	शून्य
		प्रसार/सेमिनार आदि (एस.एस.)			
75		3456-00-102-61-चना वितरण योजना	55.50	0	शून्य
76		3456-00-102-63-उचित मूल्य दुकान संचालन अनुदान	7.01	0	शून्य
	_	योजना (एस.एस.)			
77		3456-00-789-44-पीडीएस डिलरों को तोलने वाली	2.60	0	शून्य
	_	डिजीटल मशीन का वितरण (एस.एस.)			
78	_	3456-00-789-61- चना वितरण योजना (एस.एस.)	19.50		शून्य
79		3456-00-789-63- उचित मूल्य दुकान संचालन उचित	2.41	0	शून्य
	_	मूल्य दुकान संचालन (एस.एस.)		_	
80	_	3456-00-796-03- अनपूर्णा योजना (एस.एस.)	2.45		शून्य
81	_	3456-00-796-43-दर नियंत्रण निधि (एस.एस.)	2.50		शून्य
82		3456-00-796-44-पीडीएस डिलरों को तोलने वाली	10.00	0	शून्य
	1	डिजीटल मशीन का वितरण			_
83		3456-00-796-60-उभोक्ता संरक्षण एवं	2.50	0	शून्य
	-	प्रचार/प्रसार/संगोष्ठी इत्यादि, (एस.एस.)	75.00		
84	_	3456-00796-61- चना वितरण योजना (एस.एस.)	75.00		शून्य
85		3456-00-796-62-पी. डी. एस. डीलर बीमा योजना	1.00	0	शून्य
00	-	(एस.एस.)	0.77	0	AT
86		3456-00-796-63 उचित मूल्य दुकान संचालन अनुदान	8.77	0	शून्य
87	-	योजना (एस.एस.) 4408-02-789-01- गोदाम निर्माण/नवीकरण (एस.एस.)	1.30	0	91
88	19-वन एवं	2406-01-101-46- ईको- टूरिज्म (एस.एस.)			शून्य
	। ५-वन ५व पर्यावरण विभाग	•	3.00		शून्य
89	न्यापरण पिमाण	2406-01-101-56- झारखण्ड राज्य जलवायु परिवर्तन कार्यन्वयन इकाई (एस.एस.)	1.00	0	शून्य
90	-	वायनवयन इकाइ (एस.एस.) 2406-01-101-57-वनरोपण योजनाओं का स्वतंत्र	1.00	0	91=31
90		2400-01-101-57-वनरापण याजनाआ का स्वतंत्र ऐजेंसी से मूल्यांकन (एस.एस.)	1.00		शून्य
		रजता त मूल्याफन (एस.एस.)			

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	अनुमोदित	संशोधित	वास्तविक
0.1		2400 04 400 00	परिव्यय	परिव्यय	व्यय
91		2406-04-103-02- प्रतिपुरक वनरोपण (एस.एस.)	36.39	0	शून्य
92		2406-04-103-03-जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना	2.50	0	शून्य
		(एस.एस.)			
93		2406-04-103-07 अन्य (एस.एस.)	4.67	0	शून्य
94	20-स्वास्थ्य,	2210-01-001-20-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा परामर्शी	20.00	0	शून्य
	चिकित्सा शिक्षा एवं	3			
95	परिवार कल्याण	2210-01-001-75- सामान्य सेवा केन्द्र के माध्यम से	6.00	0	शून्य
	विभाग	टेलिमेडिसीन द्वारा होमियोपैथिक ईलाज			
96		2210-01-103-78- प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना	99.15	0	शून्य
		(सी.ए.एस.सी.)			
97		2210-01-109-40 स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा अंतर्गत	12.00	0	शून्य
		मानव संसाधन (ए.एन.एम./जी.ए.एन. एम. स्कूल)			
		(सी.ए.एस.एस.)			
98		2210-01-109-40 स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा अंतर्गत	8.00	0	शून्य
		मानव संसाधन (ए.एन.एम./जी.ए.एन. एम. स्कूल)			
99		2210-01-110-55-निजी चिकित्सा महाविधालय	5.00	0	शून्य
		स्थापना हेतु प्रोत्साहन (एस.एस.)			
100		2210-01-110-62- वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय	1.20	0	शून्य
		स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम (सी.ए.एस.सी.)			
101		2210-01-789-77-मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना	34.44	44.44	शून्य
		(एस.एस.)			•
102		2210-01-789-78- प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना	19.19	0	शून्य
		(सी.ए.एस.सी.)			"
103		2210-01-796-55- निजी स्वास्थ्य महाविधालय की	5.00	0	शून्य
		स्थापना हेत् प्रोत्सहान (एस.एस.)			"
104		2210-01-796-75- सामान्य सेवा केन्द्र द्वारा टेली	6.00	0	शून्य
		मेडिसीन से होम्योपैथी ईलाज (सी.ए.एस.सी.)			^
105	1	2210-01-796-78- प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना	41.58	0	शून्य
		(सी.ए.एस.सी.)			^
106	1	2210-03-101-03- आदिम जनजातियों के स्वास्थ्य हेत्	5.00	0	शून्य
		विशेष पैकेज (एस.एस.)			^
107		2210-05-101-17- राष्ट्रीय आय्श मिशन (चाय वासा	4.75	0	शून्य
		आर्य्वेदिक मेडिकल कॉलेज) (सी.ए.एस.एस.)			ά.
108		2210-05-105-16- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा अंतर्गत	3.11	0	शून्य
		मानव संसाधन (चिकित्सा महाविधालय में पी. जी.	0		<i>'</i> '.
		कोर्स)			
109	-	2210-05-105-16- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा अंतर्गत	6.12	0	शून्य
100		मानव संसाधन (चिकित्सा महाविधालय में पी. जी.	0.12	ŭ	, N1
		कोर्स)			
110	1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	16.82		91=31
110		2210-05-105-21- हजारीबाग, पलामू और दुमका में	10.62		शून्य
	-	चिकित्सा महाविधालय एवं अस्पाताल (सी.ए.एस.सी.)		_	
111		2210-05-105-21- हजारीबाग, पलामू और दुमका में	77.14	0	शून्य
		चिकित्सा महाविधालय एवं अस्पाताल (सी.ए.एस.एस.)			
112		2210-05-105-22- जी.एन.एम. स्कूल से बी. एस. सी	4.18	0	शून्य
		र्नसिंग कॉलेज में उन्नयन (सी.एस.एस.)			
113		2210-06-101-21-नेत्र विज्ञान संस्थान रिम्स को	2.00	0	शून्य
		सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)			•

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	अनुमोदित	संशोधित	वास्तविक
			परिव्यय	परिव्यय	व्यय
114		2210-06-112-19-तीन वर्ष बी.एस. सी सामुदायिक	10.00	0	शून्य
		स्वास्थय पाठक्रम (एस.एस.)			
115	21- उच्च एवं	2202-03-102-बी1-म्ख्यमंत्री फैलोसीप योजना	1.30	0	शून्य
	तकनिकी शिक्षा	(एस.एस.)			.,
116	विभाग (उच्च	2202-03-796-बी1- म्ख्यमंत्री फैलोसीप योजना	3.70	0	शून्य
	शिक्षा प्रभाग)	(एस.एस.)			
117	22- गृह, कारा एवं	2056-00-101-04-ई अभियोजन परीक्षण (एस.एस.)	1.00	0	शून्य
118	आपदा प्रबंधन	2056-00-796-04- ई अभियोजन परीक्षण (एस.एस.)	2.00	0	शून्य
119	विभाग (गृह	4055-00-796-45-पुलिस आधुनिकीकरण के लिए	3.68	12.32	शून्य
	प्रभाग)	उपकरणों का क्रय (सी.ए.एस.सी.)			
120	-	4055-00-796-45- पुलिस आधुनिकीकरण के लिए	2.45	0	शून्य
		उ उपकरणों का क्रय (सी.ए.एस.एस.)			^
121		4070-00-796-77-झारखण्ड अग्निशमन न सेवा के	6.85	0	शून्य
		आधुनिकीकरण के लिए फार्म टेंडर उपकरण एवं फायर			
		इंजन की खरीदी (एस.एस.)			
122		4070-00-796-84-होम गार्ड के सुदृढीकरण हेतु योजना	2.00	0	शून्य
		(एस.एस.)			
123		4070-00-800-65- अग्नी सेवाओं सुदृढीकरण	1.47	0	शून्य
		(एस.एस.)			_
124	23-उद्योग विभाग	2851-00-796-18- प्राथमिक बुनकर सहकारिता	3.00	0	शून्य
105	<u> </u>	समितियों का सुदृढीकरण (एस.एस.)	4.00	0	AT - VI
125		2851-00-796-43- हैन्डीक्राफ्ट विकास एवं हैन्डलुम विकास हेत् स्थापना	4.00	0	शून्य
126	_	2851-00-796-55- खादी पार्क की स्थापना (एस.एस.)	1.20	0	शून्य
127	-	2852-80-102-10-औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधीकरण	20.00	0	शून्य
127		(एस.एस.)	20.00	· ·	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
128	-	2852-80-102-19 भूमि अधिग्रहण हेत् अनुदान	2.00	0	शून्य
129	-	2852-80-102-74-झारखण्ड औद्योगिक निती 2012 के	1.00	0	शून्य
		तहत औद्योगिक ईकायों को निवल वैट सबसिडी			.,
		(एस.एस.) औद्योगिक			
130		2852-80-102-78-झारखण्ड खाद्य प्रसंसकरण	2.00	0	शून्य
		औद्योगिक निती 2015			
131		2852-80-102-81 झारखण्ड औद्योगिक एवं निवेश	35.00	0	शून्य
		उन्नयन नीति 2016 के तहत औद्योगिक ईकायों को			
		अनुदान (एस.एस.)			
132		2852-80-102-86- शुरुआती अविश्रव पूंजीगत निधि	5.00	0	शून्य
		(एस.एस.)			
133		2852-80-796-10 । औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधीकरण	40.00	0	शून्य
		(एस.एस.)			
134		2852-80-796-76 सेन्ट्रल टुल रूम सुविधा हेतु अनुदान	1.00	0	शून्य
]	(एस.एस.)			
135		4851-00-796-02- नीफ्ट केन्द्र की स्थापना (एस.एस.)	4.00	0	शून्य
136	26- श्रम, रोजगार,	4059-01-001-55-श्रम कार्यालय में भवन निर्माण	3.00	0	शून्य
	एवं कौशल विकास	(एस.एस.)			-,
137	विभाग	4250-00-203-04- एल. डब्लू. ई. जिले में युवाओं के	8.00	0	शून्य
		कौशल विकास के लिए योजना (सी.ए.एस.सी.)			"
	•				

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	अनुमोदित संशोधित		वास्तविक	
ж.кі.	ापकाण यग गान	वाजना का नाम	परिव्यय	परिव्यय	व्यय	
138		4250-00-203-04- एल. डब्लू. ई. जिले में युवाओं के	4.00	0	शून्य	
		कौशल विकास के लिए योजना (सी.ए.एस.एस.)			~ .	
139		4250-00-796-04- एल. डब्लू. ई. जिले में युवाओं के	10.00	0	शून्य	
		कौशल विकास के लिए योजना (सी.ए.एस.एस.)			^	
140		4250-00-796-04- एल. डब्लू. ई. जिले में युवाओं के	8.00	0	शून्य	
		कौशल विकास के लिए योजना (सी.ए.एस.एस.)			^	
141	29- खनन एवं	4853-02-004-03- भू-तात्विक अन्वेषण इकाई का	5.00	0	शून्य	
	भूतत्व विभाग	जीर्णोद्धार (एस.एस.)			~	
142	30- कल्याण	4225-80-277-20-बहक्षेत्र विकास योजना (एस.एस.)	1.00	0	शून्य	
143	विभाग		1.00	0	शून्य	
144	(अल्पसंख्यक	4225-80-796-21- बह्क्षेत्र विकास योजना	10.00	0	शून्य	
	कल्याण प्रभाग)	(सी.एस.एस.)			~	
145	41- स्कूली शिक्षा	5054-03-052-06-मशीन एवं उपकरण (एस.एस.)	1.30	0	शून्य	
	 एवं साक्षरता				.,	
	विभाग					
146	47- परिवहन	5055-00-190-02-परिवहन निदेशालय का सुददीकरण-	5.00	0	शून्य	
	विभाग (परिवहन	भवनों का विवरण (एस.एस.)			·	
	प्रभाग)					
147	49- जल संसाधन	4701-80-789-65-छोटानागपुर एवं संथाल परगना	12.00	0	शून्य	
	विभाग	सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नई योजनाओं का				
		(एस.एस.)				
148		4701-80-796-14-झारखण्ड सिंचाई भवन का निर्माण	1.00	0	शून्य	
		(एस.एस.)				
149		4701-80-796-39-वाल्मी एवं सिंचाई भवन का निर्माण	1.10	0	शून्य	
		(एस.एस.)				
150		4701-80-80065- छोटानागपुर एवं संथाल परगना	16.65	0	शून्य	
		सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नई योजनाओं का निर्माण				
		(एस.एस.)				
151		4701-80-800-66- जीर्ण वाहनों को पुनस्थापित एवं	4.00	0	शून्य	
		नई वाहनों का क्रय (एस.एस.)				
152	50 -जल संसाधन	4702-00-101-24-नई योजना का भूगर्भ जल	1.30	0	शून्य	
	विभाग (लघु	सर्वेक्षण/कृत्रिम भूगर्भ एव जल संरक्षण (एस.एस.)				
153		4702-00-79624- नई योजना का भूगर्भ जल	1.50	0	शून्य	
	संसाधन विभाग	सर्वेक्षण/कृत्रिम भूगर्भ एव जल संरक्षण (एस.एस.)				
154	(लघु सिंचाई	4702-00-796-31- सर्वेक्षण एवं अनुसंधान परामर्श एवं	1.00	0	शून्य	
	प्रभाग)	मुल्यांकन (एस.एस.)				
155	51- अनुसूचित	4225-01-789-02- बालक/ बालिका छात्रवास बृहत कार्य	2.00	0	शून्य	
	जनजाति,	(सी.ए.एस.सी.)			·	
156	अनुसूचित जाति,	4225-01-789-02- बालक/ बालिका छात्रवास बृहत कार्य	2.00	0	शून्य	
	अल्पसंख्यक एवं	(सी.ए.एस.सी.)			·	
157	पिछड़ा वर्ग	4225-01-789-19-आवासीय विधालयों जीर्णीद्धार एवं	5.00	0	शून्य	
	कल्याण विभाग	निर्माण (एस.एस.)				
158	(अनुसूचित	4225-02-277-05- आवासीय विधालयों जीर्णीद्धार एवं	3.00		शून्य	
	जनजाति,	निर्माण (एस.एस.)				
159	अनुसूचित जाति	4225-02-277-43-पी.वी.टी.जी. ग्राम उत्थान योजना	2.00	0	शून्य	
160	एवं पिछड़ा वर्ग	4225-02-796-43- पी.वी.टी.जी. ग्राम उत्थान योजना	13.00	0	शून्य	
161	कल्याण प्रभाग)	4225-03-796-02-बालक/ बालिका छात्रवास बृहत कार्य	2.00	0	शून्य	
		(सी.ए.एस.सी.)				

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	अनुमोदित संशोधित		वास्तविक
			परिव्यय	परिव्यय	व्यय
162		4225-03-796-02- बालक/ बालिका छात्रवास बृहत कार्य	2.00	0	शून्य
		(CASS)			.,
163	52- पर्यटन, कला,	4202-03-102-09-खेल छात्रावास का निर्माण रख-रखाव	1.25	0	शून्य
	संस्कृति, खेल एवं	एवं सामग्री आपूर्ति तथा क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र में मैदान			~
	युवा मामले विभाग				
164	(कला, संस्कृति,	4202-03-79609- खेल छात्रावास का निर्माण रख-	2.75	0	शून्य
	खेल एवं युवा	रखाव एवं सामग्री आपूर्ति तथा क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र में			~
	मामले प्रभाग)	मैदान निर्माण (एस.एस.)			
165	<u>'</u>	4202-04-101-13-रवीन्द्र भवन ऑडीटोरियम का	1.80	0	शून्य
		निर्माण, मरम्मत और स्थापना (सी.ए.एस.सी.)			χ.
166	-	4202-04-101-13- रवीन्द्र भवन ऑडीटोरियम का	1.80	0	शून्य
100		निर्माण, मरम्मत और स्थापना (सी.ए.एस.सी.)	1.50		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
167	53- कृषि,	4405-00-796-71 मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं	1.50	0	शस्य
107	५५ पृश्व, पशुपालन एवं	प्रशिक्षण योजना (एस.एस.)	1.50		शून्य
	सहकारिता विभाग	त्रारादाण पाठाणा (रस.रस.)			
	(मत्स्य प्रभाग)				
168	54- कृषि,	4404-00-102-78- कैटल हॉस्टल (एस.एस.)	2.00	0	91-31
100		4404-00-102-78- 45CM (44.44.)	2.00	U	शून्य
	पशुपालन एवं सहकारिता विभाग				
100	(डेयरी प्रभाग)	4202 02 202 70 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	10.00	0	AT-11
169	58-स्कूली शिक्षा	4202-02-202-78-नेतरहाट आवासीय विधालय और	16.00	0	शून्य
	एवं साक्षरता	इंदिरा गांधी आवासीय विधालय के प्रतिरूप (ढ़ाचे पर)			
170	विभाग (सेकेंडरी	तीन आवासीय विधालय (एस.एस.)	40.00	0	A
170	शिक्षा प्रभाग)	4202-02-202-78- नेतरहाट आवासीय विधालय और	40.00	0	शून्य
		इंदिरा गांधी आवासीय विधालय के प्रतिरूप (ढ़ाचे पर)			
474	22	तीन आवासीय विधालय (एस.एस.)	1.50		
171	60-महिला, बाल	4235-02-103-77- कामकाजी महिला छात्रावास योजना	1.58	0	शून्य
470	विकास एवं	(सी.ए.एस.सी.)			
172	सामाजिक सुरक्षा	4235-02-103-77- कामकाजी महिला छात्रावास योजना	1.06	0	शून्य
	विभाग परिशिष्ट	(सी.ए.एस.सी.)		_	
173		4235-02-106-74-विभिन्न स्कूलों/पुनर्वास केन्द्रों/	3.00	0	शून्य
L	4	छात्रावासों/गृहों इत्यादि का निर्माण (एस.एस.)			
174		4235-02-796-73-आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण	3.26	0	शून्य
<u> </u>	4	एवं उन्नयन (पूँजी)) (सी.ए.एस.सी.)			
175		4235-02-103-73- आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण	2.18	0	शून्य
]	एवं उन्नयन (पूँजी) (सी.ए.एस.सी.)			
176		4235-02-796-77-कामकाजी महिला छात्रावास योजना	2.38	0	शून्य
		(सी.ए.एस.सी.)			
177		4235-02-796-77- कामकाजी महिला छात्रावास योजना	1.58	0	शून्य
		(सी.ए.एस.सी.)			
178		4235-02-796-78-नि: शक्त व्यक्ति अधिकार	12.97	0	शून्य
		अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु योजना (सी.एस.एस.)			
		कुल	3118.08	56.76	

परिशिष्ट 3.9 व्यय का वेग

(संदर्भ: कंडिका 3.5)

(₹ करोड में)

अनुदान	मुख्य शीर्ष	जनवरी	फ़रवरी	मार्च	4थी तिमाही	4थी तिमाही	वितीय वर्ष	मार्च में व्यय का
संख्या					का योग	के योग का	का योग	वित्तीय वर्ष के योग
						वित्तीय वर्ष के		से प्रतिशतता
						योग से		
						प्रतिशतता		
1	2435	0.20	1.30	2.68	4.17	70.59	5.91	45.27
1	2402	1.60	13.85	8.79	24.25	68.80	35.25	24.94
1	4402	0.45	13.96	16.63	31.03	50.31	61.68	26.96
9	4425		9.27	23.46	32.73	68.22	47.98	48.90
10	2810		155.00		155.00	100.00	155.00	0
19	2406	38.62	67.04	288.95	394.61	70.23	561.85	51.43
26	4250	0.00	2.68	12.25	14.93	83.50	17.88	68.51
36	2215	57.65	129.12	164.03	350.81	53.52	655.47	25.03
42	2501	162.63	150.22	63.51	376.36	61.93	607.69	10.45
43	2203	11.19	71.32	140.78	223.30	60.07	371.73	37.87
46	5452		0.57	43.73	44.31	99.66	44.46	98.37
47	3075		167.00		167.00	100.00	167.00	0
52	2204	3.25	6.93	18.21	28.39	53.17	53.40	34.11
53	4405	1.22	10.44	13.97	25.63	66.29	38.67	36.14
53	2405	4.86	7.04	20.17	32.07	54.65	58.69	34.36
54	2404	14.08	12.80	16.21	43.10	73.31	58.79	27.57
				833.39	1,947.69	66.22	2,941.45	28.33

परिशिष्ट 3.10 विभाग को बजट प्रेषित करने वाले निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों का ब्यौरा

(संदर्भ: कंडिका 3.6.4)

			देर से		प्रखंड विक	ास पदाधिकारी		
क्र. सं.	जिला	देर से बजट प्रेषित करने वाले उप- विकास आयुक्त	बजट प्रेषित करने वाले जिला पंचायती राज अधिकारी	जिले में प्रखंड विकास पदाधिकारियों की संख्या	देर से बजट प्रेषित करने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारियों की संख्या	बजट प्रेषित करने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारियों की देरी (दिनों में)	जिला पंचायती राज अधिकारी को बजट नहीं प्रेषित करनेवाले प्रखंड विकास पदाधिकारियों की संख्या	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी जिन्होंने समय पर बजट भेजा
1	राँची	प्रेषित नहीं	28 दिन	18	11	5 to 32 दिन	7	0
2	गुमला	प्रेषित नहीं	33 दिन	12	1	30 दिन	11	0
3	हज़ारीबाग	प्रेषित नहीं	28 दिन	16	1	36 दिन	15	0
4	बोकारो	प्रेषित नहीं	26 दिन	9	8	1 to 5 दिन	0	1
5	धनबाद	प्रेषित नहीं	25 दिन	10	9	12 to 34 दिन	1	0
6	पूर्वी सिंहभूम	प्रेषित नहीं	63 दिन	11	10	9 to 37 दिन	1	0
7	सराईकेला खरसावाँ	प्रेषित नहीं	47 दिन	09	07	23 to 46 दिन	2	0
8	पश्चिमी सिंहभूम	04 दिन	04 दिन	18	10	01 to 04 दिन	5	3
		कुल		103	57		42	4

परिशिष्ट 3.11 बजट प्रावधान एवं इसकी उपयोगिता की विवरणी

(संदर्भ: कंडिका 3.6.5)

क्र. सं.	जिला	शीर्ष	बजट प्रावधान /आबंटन	व्यय (प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार)	अव्ययित शेष
			1	2	(1-2)
	v 2	14 ^{वाँ} वित्त आयोग	150.72	89.1	61.62
1	राँची	आदिवासी विकास समिति	8.50	1.01	7.49
2		14 ^{वाँ} वित्त आयोग	88.99	48.2	40.79
2	गुमला	आदिवासी विकास समिति	1.27	0.46	0.81
3		14 ^{वॉ} वित्त आयोग	127.66	62.81	64.85
3	हज़ारीबाग	आदिवासी विकास समिति	6.70	0	6.7
4	बोकारो	14 ^{वाँ} वित्त आयोग	118.97	74.01	44.08
5	धनबाद	आदिवासी विकास समिति	3.31	2.41	0.9
6	गर्नी चिंद्रश्रम	14 ^{वाँ} वित्त आयोग	113.28	78	35.28
0	पूर्वी सिंहभूम	आदिवासी विकास समिति	4.17	0.3	3.87
7	सराईकेला खरसावाँ	14 ^{वॉ} वित्त आयोग	70.06	60.41	9.65
′	सराइकला खरसावा	आदिवासी विकास समिति	6.62	0.33	6.29
8	118=11h Dize111	14 ^{वाँ} वित्त आयोग	121.61	79.15	42.42
8	पश्चिमी सिंहभूम	आदिवासी विकास समिति	4.80	0	4.80
	कुल		826.66	496.19	329.55

परिशिष्ट 3.12 कुल बजट प्रावधान की अनुपयोगिता का ब्यौरा (संदर्भ: कंडिका 3.6.7)

क्र. सं.	शीर्ष	शीर्ष का नाम	केन्द्रीय/राज्य	प्रावधान (राशि)
1.	2515-00-001-42	42- मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना	राज्य	30.00
2.	2515-00-001-52	52- पेयजल आपूर्ति की स्थापना, स्वछता , जिला परिषद् में	राज्य	1.00
		शौचालय एवं सड़क प्रकाश प्रबंध (एल.ई.डी) तथा अन्य सूत्रों से		
		आमदनी में बढ़त		
3.	2515-00-001-56	56- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	केन्द्रीय	720.00
4.	2515-00-001-56	56- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	राज्य	480.00
5.	2515-00-003-03	03- कर्मचारियों का प्रशिक्षण (अ) पंचायत - दलपतियों का प्रशिक्षण	राज्य	1.00
6.	2515-00-101-06	06- पंचायत भवन का रख रखाव	राज्य	500.00
7.	2515-00-196-05	05- जिला बोर्ड के गैर शिक्षण कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन एवं	राज्य	26.66
		भत्तों हेतु सहायता		
8.	2515-00-198-45	45- 14वे वित्त आयोग की अनुशंषा पर सामान्य निष्पादन अनुदान	केन्द्रीय	19953.00
9.	2515-00-789-42	42- मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना	राज्य	20.00
10.	2515-00-789-56	56- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	केन्द्रीय	480.00
11.	2515-00-789-56	56- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	राज्य	320.00
12.	2515-00-796-42	42- मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्षाहन पुरस्कार योजना	राज्य	50.00
13.	2515-00-796-56	56- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	केन्द्रीय	1200.00
14.	2515-00-796-56	56- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	राज्य	800.00
15.	3604-00-198-01	01- झारखण्ड ग्राम पंचायत अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत के	राज्य	10.00
		नियत कार्य (6/4% कर)		
16.	6515-00-197-01	01- जिला एवं स्थानीय निधि समितियों को ऋण	राज्य	600.00
		कुल		25191.66

परिशिष्ट 3.13 व्यय के वेग को दर्शाती विवरणी

(संदर्भ: कंडिका 3.6.10)

क्र. सं.	शीर्ष	शीर्ष का नाम	कुल व्यय	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की
					प्रतिशतता
1.	20150010904	पंचायती चुनाव	10.00	10.00	100
2.	25150000158	दक्षता निर्माण एवं प्रशिक्षण	139.82	139.82	100
3.	25150078958	दक्षता निर्माण एवं प्रशिक्षण	54.00	54.00	100
4.	25150079658	दक्षता निर्माण एवं प्रशिक्षण	193.06	193.06	100
5.	25150000106	जिला पंचायत स्थापना- दलपतियों से संबन्धित व्यय	39.83	28.37	71.23
6.	25150078959	कार्यालयों / संस्थाओं का सुददीकरण /	48.65	29.96	61.58
		कार्यालयों/संस्थानों का उन्नयन			
7.	25150079657	विभिन्न प्रकार की भवन परिसंपतियों का निर्माण/	260.78	95.00	36.43
		मरम्मत/ नवीनीकरण			
8.	25150010104	पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों को मानदेय का	1251.63	423.57	33.84
		भुगतान/ दैनिक भत्ता/ यात्रा भत्ता का भुगतान			
9.	25150078957	विभिन्न प्रकार की भवन परिसंपतियों का निर्माण/	44.46	12.49	28.09
		मरम्मत/ नवीनीकरण			
10.	25150079659	कार्यालयों / संस्थाओं का सुददीकरण / उन्नयन	92.23	25.47	27.62

परिशिष्ट 3.14 वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतिम दिन में अभ्यर्पण

(संदर्भ: कंडिका 3.6.11)

क्र. सं.	जिला	कार्यालय	अभ्यर्पित राशि/ शेष राशि	अभ्यर्पण तिथि	टिपण्णी
1		जिला पंचायती राज अधिकारी	12.67	31.03.2020	
		डी डी सी - सह- सी ई ओ ,	513.09	31.03.2020	
	रांची	जिला परिषद्			
		डी डी सी , डी आर डी ए /	11.53	31.03.2020	
		विकास शाखा			
2		जिला पंचायती राज अधिकारी	266.85	31.03.2020	
		डी डी सी -सह- सी ई ओ ,	15.61	31.03.2020	
	गुमला	जिला परिषद्			
		डी डी सी , डी आर डी ए /	10.51	30.03.2020	
		विकास शाखा			
3		जिला पंचायती राज अधिकारी	833.91	31.03.2020	
		डी डी सी -सह- सी ई ओ ,			अभ्यर्पण प्रतिवेदन विभाग
	हजारीबाग	जिला परिषद्			को नहीं जमा किया गया
		डी डी सी , डी आर डी ए /	25.94	31.03.2020	
		विकास शाखा			
4		जिला पंचायती राज अधिकारी	79.56	31.03.2020	
		डी डी सी -सह- सी ई ओ ,	19.61	31.03.2020	
	बोकारो	जिला परिषद्			
		डी डी सी , डी आर डी ए /	0.34	31.03.2020	
		विकास शाखा			
5		जिला पंचायती राज अधिकारी	37.24	31.03.2020	
		डी डी सी -सह- सी ई ओ ,			अभ्यर्पण प्रतिवेदन विभाग
	धनबाद	जिला परिषद्			को नहीं जमा किया गया
		डी डी सी , डी आर डी ए /	2.21	31.03.2020	
		विकास शाखा			
6		जिला पंचायती राज अधिकारी	1.56		अभ्यर्पण प्रतिवेदन विभाग
					को नहीं जमा किया गया
	पूर्वी सिन्धभूम	डी डी सी -सह- सी ई ओ ,			अभ्यर्पण प्रतिवेदन विभाग
	, ,	जिला परिषद्			को नहीं जमा किया गया
		डी डी सी , डी आर डी ए /	2.16	31.03.2020	
		विकास शाखा		04.00.00	
7	सराइकेला खरसावाँ			31.03.2020	
		डी डी सी -सह- सी ई ओ ,	10.55	31.03.2020	
		जिला परिषद्		04.00.000	
		डी डी सी , डी आर डी ए /	1.11	31.03.2020	
		विकास शाखा	04.04		
8	पश्चिमी	जिला पंचायती राज अधिकारी	34.61		200-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-
	सिन्धभूम	डी डी सी -सह- सी ई ओ ,			अभ्यर्पण प्रतिवेदन विभाग को नहीं जमा किया गया
		जिला परिषद्	45.07		अभ्यर्पण प्रतिवेदन विभाग
		डी डी सी , डी आर डी ए / विकास शाखा	15.37		अभ्यपण प्रातवदन विभाग को नहीं जमा किया गया
			1007.10		भा नहा जमा ।कया गया
		कुल	1927.13		

परिशिष्ट 3.15 आदिवासी विकास समिति की संख्या तथा निधि अंतरण को दर्शाती विवरणी

(संदर्भ: कंडिका 3.6.13)

क्र. सं.	जिला	ब्लाक की संख्या	पंचायत की संख्या	गाँव की संख्या	गठित ए वी एस की संख्या	ए वी एस को निधि	э. э.	योजना की संख्या	योजना शुरू किया गया	अनुमानित लागत	प्रथम किश्त	दूसरी किश्त	कुल	दूसरी किश्त के लिए योजनाओ की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	पश्चिमी सिंहभूम	18	217	1658	1588	216	447.24	408	399	437.54	175.01	0	175.01	0
2	रांची	18	305	1321	1321	172	251.09	402	402	251.09	79.00	21.85	100.85	0
3	सराइकेला- खरसावाँ	9	132	1145	1080	24	273.26	122	57	82.14	32.86	0	32.86	0
4	पूर्वी सिंहभूम	11	231	1620	1513	131	570.87	253	213	451.21	180.48	32.65	213.13	36
5	धनबाद	10	256	1126	1078	194	638.5	538	538	638.5	270.23	58.10	328.33	66
6	बोकारो	9	249	695	673	81	297.62	129	129	297.62	119.05	9.33	128.38	11
7	गुमला	12	159	948	941	55	224.35	81	81	224.35	89.75	0	89.75	0
8	हजारीबाग	16	257	1324	1149	0	153.71	78	0	0	0	0	0	0
	कुल	103	1806	9837	9343	873	2856.64	2011	1819	2382.45	946.38	121.93	1068.31	113

परिशिष्ट 3.16 आठ जिलों में आदिवासी विकास समिति की आबंटन -व्यय को दर्शाती विवरणी

(संदर्भ: कंडिका 3.6.13.2)

			2018-	·19			201	9-20			जिलेवार निधि	Г			
क्र. सं.	जिला	आबंटन पत्र	आबंटन	आदिवासी विकास समिति को निधि अंतरण	शेष	आबंटन पत्र	आबंटन	आदिवासी विकास समिति को निधि अंतरण	शेष	आबंटन	आदिवासी विकास समिति को निधि अंतरण	शेष		ब्याज सहित बैंक में जमा	टिपण्णी
1	पश्चिमी सिंहभूम	30/ 14.12.18	500	175.01	324.99	10/ 06.06.19	480	0	0	500	175.01	324.99	324.99	0	480 लाख कालातीत
2	रांची	जारी नहीं किया गया	0	0	0	10/ 06.06.19	850	100.85	239.15	340	100.85	239.15	0	244.28	510 लाख अभ्यर्पित
3	सराइकेला- खरसावाँ	जारी नहीं किया गया	0	0	0	10/ 06.06.19	661.89	32.86	629.03	661.89	32.86	629.03	629.03	0	
4	पूर्वी सिंहभूम	30/ 14.12.18	500	180.48	319.52	10/ 06.06.19	416.84	29.83	387.01	916.84	210.31	706.53	706.53	0	
5	धनबाद	35/ 25.01.19	328.73	87.58	241.15	10/ 06.06.19	330.7	240.75	89.95	659.43	328.33	331.1	331.1	0	
6	बोकारो	35/ 25.01.19	300	0	300	10/ 06.06.19	125.94	128.38	-2.44	425.94	128.38	297.56	0	297.56	
7	गुमला	30/ 14.12.18	454.14	43.38	410.76	10/ 06.06.19	126.852	46.37	80.482	580.99	89.75	491.242	0	508.84	
8	हजारीबाग	जारी नहीं किया गया	0	0	0	10/ 06.06.19	670	0	0	0	0	0	0	0	670 लाख कालातीत
	कुल		2082.87	486.45	1596.42	कुल	3662.222	579.04	1423.182	4085.09	1065.49	3019.6	1991.65	1050.68	1660 लाख

परिशिष्ट 3.17 चौदहवें वित्त आयोग के बेसिक अनुदान के अंतर्गत जारी निधि

(संदर्भ: कंडिका 3.6.14.1)

जारी वर्ष	स्थानीय निकायों को जारी सं./ तिथि	स्वीकृति पत्र सं. /तिथि	सं. /तिथि	को स्वीकृत तथा आबंटित राशि	स्थानीय निकायों को अंतरण की तिथि ⁹	अंतरण में देरी (15 दिन से अधिक)	दंडात्मक ब्याज ¹⁰ @ 6 <i>प्रतिशत</i>
2018-19 2 [†] किश्त	03/2019-20 ਜਿੰथ- 26.04.2019	02 गैर-योजना 06/2017-1 (स्वी.), रांची तिथि - 09.05.2019	02 गैर-योजना -06/2017-8 (अ.), रांची तिथि - 10.05.2019	60412.00	12.06.2019	32 दिन	317.78
2019-20 1 ^ल किश्त	तिथि -	02 गैर-योजना -04/2019-08 (स्वी.), रांची तिथि - 09.08.2019	02 गैर-योजना -04/2019-22 (अ.), रांची तिथि - 09.08.2019	81629.50	27.08.2019 (₹ 78421.26 लाख अंतरित) 05.09.2019 (₹ 3208.24 लाख	13 दिन	167.58
2019-20 2 ^{री} किश्त	तिथि -	02 गैर-योजना -04/2019-09 (स्वी.), रांची तिथि - 01.11.2019	02 गैर-योजना -04/2019-32 (अ.), रांची तिथि - 01.11.2019	81629.50	अंतरित) 20.11.2019	11 दिन	147.60
	व	ल		223671.00			644.56

⁹ रोकड़ पंजी एवं ट्रेज़री सेड्युएल के अनुसार

¹⁰ जून 2019 का बैंक दर

परिशिष्ट 3.18 अवरूद्ध निधि को दर्शाती विवरणी

(संदर्भ: कंडिका 3.6.16)

क्र. सं.	जिले का नाम	प्राप्त राशि	बी डी ओ/ जिला परिषद् को अंतरित राशि	शेष राशि
1	रांची	34.60	34.10	0.50
2	गुमला	18.80	0.00	18.80
3	हजारीबाग	28.80	0.00	28.80
4	बोकारो	27.20	27.20	0.00
5	धनबाद	28.10	28.10	0.00
6	पूर्वी सिंहभूम	25.80	0.00	25.80
7	सराइकेला खरसावाँ	15.50	3.31	12.19
8	पश्चिमी सिंहभूम	25.80	25.80	0.00
	कुल	204.60	118.51	86.09

परिशिष्ट 3.19 सम्पूर्ण बजट प्रावधान का अनुपयोग एवं अभ्यर्पण

(संदर्भ: कंडिका 3.7.6)

क्र. सं.	जिला	सचिवालय/ कार्यालय	इकाईओं की संख्या जिनमे राशि अभ्यर्पित की गयी	आबंटन	अभ्यर्पित राशि
		उप-सचिव,खनन एवं भूतत्व विभाग, झा. स., (सरकार पक्ष)	02	0.53	0.53
	<u> </u>	जिला खनन कार्यालय	02	0.43	0.43
1	रांची	आप्त सचिव, खनन निदेशालय	04	15.00	15.00
		उप-निदेशक (भूतत्व) दक्षिण छोटानागपुर अंचल	03	0.43	0.43
		जिला भूतत्व कार्यालय	03	0.45	0.45
2	रामगढ	जिला खनन कार्यालय	01	0.20	0.20
2	3)371)	जिला खनन कार्यालय	02	1.06	1.06
3	बोकारो	जिला भूतत्व कार्यालय	03	0.20	0.20
4	सिमडेगा	जिला खनन कार्यालय	02	7.50	7.50
		जिला खनन कार्यालय	04	0.90	0.90
5	जमशेदपुर	जिला भूतत्व कार्यालय	05	1.08	1.08
6	सराइकेला	जिला खनन कार्यालय	04	0.90	0.90
0	सराइकला	जिला भूतत्व कार्यालय	01	0.15	0.15
7	77.77	जिला खनन कार्यालय	02	0.70	0.70
/	गुमला	जिला भूतत्व कार्यालय	02	0.25	0.25
		जिला खनन कार्यालय	03	4.27	4.27
		उप-निदेशक (भूतत्व) उत्तरी छोटानागपुर अंचल	06	3.10	3.10
8	हजारीबाग	जिला भूतत्व कार्यालय	01	0.25	0.25
		राज्य भूतत्व प्रयोगशाला	01	0.10	0.10
अपर निदेशक (भूतत्व)		अपर निदेशक (भूतत्व)	01	0.30	0.30
		कुल	52	37.80	37.80

परिशिष्ट: 3.20 वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन में निधि का अभ्यर्पण

(संदर्भ: कंडिका 3.7.7)

क्र. सं.	जिला	सचिवालय/ कार्यालय	इकाईयों की संख्या जिनमे राशी अभ्यर्पित की गयी	आबंटन	व्यय	अ¥यर्पित राशि	अभ्यर्पण की तिथि
		उप-सचिव, खनन एवं भूतत्व विभाग, झा. स., (सरकार पक्ष)	06	10.28	5.20	5.08(50%)	31.03.20
		जिला खनन कार्यालय	04	1.23	0.24	0.99(81%)	26.03.20
1	रांची	आप्त सचिव, खान निदेशालय	00	0.00	0.00		अभ्यर्पण प्रतिवेदन लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया
		खान निदेशालय	05	87.00	40.63	46.37(53%)	31.03.20
		उप-निदेशक (भूतत्व) दक्षिण छोटानागपुर अंचल	08	3.39	1.15	2.24(66%)	31.03.20
		जिला भूतत्व कार्यालय	08	5.02	1.80	3.22(64%)	31.03.20
2	रामगढ	जिला खनन कार्यालय	03	1.65	0.21	1.44 (87%)	31.03.20
3	बोकारो	जिला खनन कार्यालय	05	3.49	1.53	1.96 (56%)	31.03.20
	जापगरा	जिला भूतत्व कार्यालय	07	0.95	0.41	0.54(57%)	31.03.20
4	सिमडेगा	जिला खनन कार्यालय	05	17.30	4.16	13.14 (76%)	31.03.20
5	जमशेदपुर	जिला खनन कार्यालय	04	0.90	0.00	0.90 (100%)	31.03.20
	olvi (la 3	जिला भूतत्व कार्याल	06	1.68	0.20	1.48(88%)	31.03.20
6	सराइकेला	जिला खनन कार्यालय	06	2.13	0.39	1.74 (82%)	31.03.20
	(1(1)2-1/(1)	जिला भूतत्व कार्यालय	05	0.65	0.11	0.54(83%)	31.03.20
7	गुमला	जिला खनन कार्यालय	03	3.80	0.58	3.22 (85%)	31.03.20
	-3*1611	जिला भूतत्व कार्यालय	05	1.35	0.42	0.93(69%)	31.03.20
		जिला खनन कार्यालय	04	4.97	0.03	4.94(99%)	31.03.20
8	हजारीबाग	उप-निदेशक (भूतत्व) उत्तरी छोटानागपुर अंचल	08	4.88	0.42	4.46(91%)	31.03.20
		अपर निदेशक (भूतत्व)	02	2.30	1.09	1.21(51%)	
		कुल	94	152.97	58.57	94.40(62%)	

परिशिष्ट 3.21 व्यय का वेग

(संदर्भ: कंडिका 3.7.8)

(₹ लाख में)

जिला	सचिवालय/ कार्यालय	इकाईओं की संख्या	कुल व्यय	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता
रांची	उप-सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झा. स., (सरकार पक्ष)	03	5.49	5.49	100
	भूतत्व निदेशालय	05	495.21	233.96	45 to 93
जमशेदपुर	जिला भूतत्व कार्यालय	02	9.65	5.58	57 to 100
सराइकेला	जिला भूतत्व कार्यालय	04	0.12	0.12	100
गुमला	जिला भूतत्व कार्यालय	06	5.50	3.07	49 to 100
हजारीबाग	उप-निदेशक (भूतत्व) उत्तरी छोटानागपुर अंचल	02	0.47	0.47	100
	कुल	22	516.44	248.69	

परिशिष्ट 3.22 विभागीय व्यय के आंकड़ों का असमाशोधन का ब्यौरा

(संदर्भ: कंडिका 3.7.9)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जिला	कार्यालय	कुल व्यय	समाशोधित राशि	असमाशोधित राशि
		उप-सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झा. स., (सरकार पक्ष)	2.46	0.00	2.46
1	रांची	जिला खनन कार्यालय	2.74	0.00	2.74
		भूतत्व निदेशालय	8.17	4.30	3.87
		जिला भूतत्व कार्यालय	0.54	0.41	0.13
2	रामगढ	जिला खनन कार्यालय	0.37	0.00	0.37
3	बोकारो	जिला खनन कार्यालय	0.63	0.00	0.63
3	षापगरा	जिला भूतत्व कार्यालय	0.06	0.00	0.06
4	सिमडेगा	जिला खनन कार्यालय	0.28	0.00	0.28
5	जमशेदपुर	जिला खनन कार्यालय	0.67	0.53	0.14
	olorkid 3	जिला भूतत्व कार्यालय	0.10	0.00	0.10
6	सराइकेला	जिला खनन कार्यालय	0.23	0.00	0.23
7	गमना	जिला खनन कार्यालय	0.41	0.00	0.41
	गुमला	जिला भूतत्व कार्यालय	0.06	0.00	0.06
8	हजारीबाग	जिला खनन कार्यालय	0.24	0.00	0.24
ठ हजाराबाग		अपर निदेशक (भूतत्व)	0.58	0.08	0.50
		कुल	17.54	5.32	12.22

परिशिष्ट 4.1 खनन एवं भूतत्व विभाग के बकाये डी.सी.विपत्र का ब्यौरा

(संदर्भ: कंडिका 4.6)

(₹ लाख में)

वर्ष	शीर्ष	ए.सी. विपत्र की राशि	बकाये डी.सी. विपत्र की राशि
2001-02	2853	8.10	8.10
2003-04	2853	1.30	1.30
2004-05	2853	170.48	11.85
2005-06	2853	0.54	0.54
2006-07	2853	0.60	0.60
2007-08	2853	5.00	5.00
2010-11	2853	0.51	0.51
2013-14	2853	0.33	0.33
2018-19	2853	0.25	0.25
2019-20	2853	2.61	2.61
	कुल	189.72	31.09

स्रोतः वी एल सी डाटा

परिशिष्ट 4.2 "800 अन्य प्राप्तियाँ" के रूप में वर्गीकृत प्राप्तियों के ब्योरे को दर्शाती विवरणी

(संदर्भ: कंडिका 4.10)

(₹ करोड़ में)

豖.	मुख्य	शब्दावली	"800" के	कुल	"800" के अंतर्गत अंकित
सं.	शीर्ष		अंतर्गत अंकित	प्राप्तियां	राशि की कुल प्राप्तियों से
			राशि		प्रतिशतता
1	0575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	100.00
2	0801	शक्ति	83.15	83.15	100.00
3	1075	अन्य परिवहन सेवाएं	0.00	0.00	100.00
4	1054	सड़क एवं पुल	106.49	106.49	99.99
5	0047	अन्य राजकोषीय सेवाएं	0.00	0.00	99.96
6	0702	लघु सिंचाई	2.42	2.42	99.88
7	1055	सड़क परिवहन	0.00	0.00	99.78
8	0059	लोक निर्माण कार्य	5.76	5.78	99.74
9	0852	उ द्योग	1.46	1.47	99.31
10	0220	सूचना और प्रचार	0.01	0.01	95.69
11	0701	मध्यम सिंचाई	28.25	30.52	92.58
12	0215	जल आपूर्ति और स्वच्छता	9.12	11.89	76.67
13	0211	परिवार कल्याण	0.00	0.01	75.32
14	1456	जन आपूर्ति	296.06	419.74	70.53
15	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	54.91	89.28	61.50
16	0210	चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	4.19	8.75	47.84
17	0071	पेंशन के लिए योगदान और वसूली	2.76	5.99	46.15
18	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	13.52	30.38	44.49
19	0058	स्टेशनरी और प्रिंटिंग	0.00	0.00	34.31
20	0041	वाहनों पर कर	367.45	1128.98	32.55
21	0425	सहकारिता	4.87	16.40	29.71
22	0406	वानिकी और वन्य जीवन	3.67	17.59	20.88
23	0056	जे ल	0.55	2.87	19.30
24	0029	भू राजस्व	64.51	337.98	19.09
25	0700	मुख्य सिंचाई	80.29	423.73	18.95
26	0049	ब्याज प्राप्तियां	38.85	309.51	12.55
27	0057	आपूर्ति और निपटान	0.01	0.05	11.93
		कुल	1168.30	3032.99	
		10 09- 1 + 10			

नोट: वर्ष के दौरान 46 प्रमुख शीर्षों में "अन्य प्राप्तियों" के तहत ₹ 1,401.43 करोड़ बुक किए गए हैं । "800 अन्य प्राप्तियों" के तहत बुक की गई कुल प्राप्तियों के 10 *प्रति शत* से अधिक को इस अनुबंध में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट 4.3 नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के अधीन चिन्हित लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची

(संदर्भ: कंडिका 4.18)

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
1	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	बोकारो	2018-19
2	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	चतरा	2018-19
3	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	देवघर	2012-13
4	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	धनबाद	2018-19
5	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	दुमका	2013-14
6	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पूर्वी सिंहभूम	2014-15
7	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गढ़वा	2017-18
8	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गिरिडीह	2013-14
9	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गोड्डा	2015-16
10	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गुमला	2010-11
11	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	हजारीबाग	2014-15
12	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	जामताड़ा	2011-12
13	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	खूँटी	2015-16
14	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	कोडरमा	2013-14
15	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	लातेहार	2015-16
16	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	लोहरदगा	2013-14
17	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पाकुड़	2018-19
18	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पलाम्	2013-14
19	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	राँची	2011-12
20	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	रामगढ़	2015-16
21	स्वास्थ्य	झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी, नामकम	राँची	2015-16
22	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	सराइकेला खरसावाँ	2013-14
23	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	सिमडेगा	2013-14
24	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	(प. सिंहभूम) चाईबासा	2018-19
25	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	साहेबगंज	2013-14
26	शिक्षा	झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची	राँची	2014-15
27	स्वास्थ्य	झारखण्ड एड्स नियंत्रण सोसाइटी, राँची	राँची	2002-03
28	शिक्षा	नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट	नेतरहाट	2015-16
29	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	देवघर	2015-16
30	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	लातेहार	2014-15
31	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	हजारीबाग	2015-16
32	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गिरिडीह	2016-17
33	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गढ़वा	2016-17
34	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	राँची	2016-17
35	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर)	2016-17
36	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	रामगढ़	2015-16
37	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा)	2015-16
38	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	सिमडेगा	2015-16
39	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	कोडरमा	2015-16
40	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	दुमका	2015-16

		1		
41	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गोड्डा	2016-17
42	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पाकुड़	2015-16
43	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	सरायकेला	2015-16
44	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	लोहरदगा	2015-16
45	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	बोकारो	2011-12
46	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	चतरा	2014-15
47	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	धनबाद	2012-13
48	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गुमला	2016-17
49	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पलामू	2014-15
50	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	साहेबगंज	2016-17
51	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	जामताइा	2010-11
52	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	खूँटी	2016-17
53	शिक्षा (उ. एवं त.)	बिइला तकनीकी संस्थान, मेसरा, राँची	राँची	2016-17
54	उड्डयन	नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, राँची	राँची	2016-17
55	सूचना प्रौद्योगिकी	झारखण्ड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ़ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी (जैप-आई.टी.)	राँची	2013-14
56	सूचना प्रौद्योगिकी	झारखण्ड अन्तरिक्ष क्रियान्वयन केंद्र , धुर्वा, राँची	राँची	2007-08
57	सामाजिक कल्याण	झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राँची	राँची	2006-07
58	आई.टी. एवं इ- गवर्नेंस	राज्य सूचना आयोग	राँची	2015-16
59	<u> उद्</u> योग	औधोय्गिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण , राँची	राँची	2015-16
60	<u> उद्</u> योग	औधोय्गिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बोकारो	बोकारो	2015-16
61	<u> उद्योग</u>	औधोय्गिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जमशेद्पुर	जमशेद्पुर	2016-17
62	वन	लाख ट्रीटमेंट इकाई, लातेहार	लातेहार	2008-09
63	कृषि	राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राँची	राँची	2014-15
64	शिक्षा (उ. एवं त.)	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, झारखण्ड सरकार	राँची	2015-16
65	जैवप्रोद्योगिकी	वन में लाख की खेती , डोरंडा	राँची	2008-09
66	पशुपालन	बेकन फैक्टरी, काँके, राँची	राँची	2009-10
67	विधि	क़ानूनी सेवाएं समिति, उच्च न्यायालय, राँची	राँची	2008-09
68	सूचना एवं जन संपर्क	राज्य प्रेस , रांची	राँची	2010-11
69	शिक्षा व अन्संधान	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय	राँची	2006-07
70	वन	झारखण्ड जैव-विविधता बोर्ड/परिषद, डोरंडा, राँची	राँची	2016-17
71	उद्योग	मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, राँची	राँची	2016-17
72	स्वास्थ्य	निदेशक, आर.के.मिशन, टी.बी. सैनेटोरियम, तुपुदाना	राँची	2005-06
73	शिक्षा	निदेशक, आर.के.मिशन आश्रम, मोराबादी, राँची	राँची	2007-08
74	शिक्षा	झारखण्ड महिला समाख्या सोसाइटी, कडरू, राँची	राँची	2005-06
75	वन	कार्यकारी निदेशक, वेस्ट लैण्ड विकास बोर्ड, झारखण्ड	राँची	लेखापरीक्षा नहीं
76	वन	वन विकास प्राधिकार	राँची	लेखापरीक्षा नहीं
L	1	1		

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा संधारित स्थायी लेखापरीक्षा कार्यक्रम पंजी

प्रतिवेदन में प्रयुक्त शब्दावलियों की सूची, गणनाओं का आधार और परिवर्णी शब्द

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
वृद्धि की दर (वृ.द.)	[(वर्तमान वर्ष की राशि/गत वर्ष की राशि)-1]+100
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएँ+आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पूर्व वर्ष के राजकोषीय दायित्व की राशि+वर्तमान वर्ष का राजकोषीय दायित्व/2]*100
ब्याज विस्तार	स.रा.घ.उ. वृद्धि - औसत ब्याज दर
क्वांटम विस्तार	ऋण स्टॉक * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों पर प्राप्त ब्याज <i>प्रतिशत</i> के रूप में	प्राप्त ब्याज [(आरंभिक शेष + ऋण एवं अग्रिम का अंतशेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्रप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्तियाँ
- विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्तियाँ घटाव सभी योजना अनुदान और गैर-योजना राजस्व व्यय, मुख्य शीर्ष '2048-ऋण के वर्जना या कमी हेतु विनियोजन' के अधीन अंकित व्यय को छोड़कर
ऋण धारणीयता	ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात को एक समयावधि तक स्थिर रखने की राज्य की क्षमता को ऋण धारणीयता के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसमें अपने ऋण निष्पादन की क्षमता विषयक मामला सिन्निहित होता है। अतः चालू या प्रतिबद्ध दायित्व के निर्वहन हेतु तरल परिसंपितयों की पर्याप्तता और अतिरिक्त देनदारियों की लागत तथा उन देनदारियों के प्रतिफल के मध्य संतुलन बनाये रखने की क्षमता भी ऋण की धारणीयता को संदर्भित करता है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण निष्पादन की क्षमता में वृद्धि से के अनुरूप होना चाहिए।
ऋण स्थिरीकरण	ऋण स्थिरता का अनिवार्य शर्त है कि यदि अर्थव्यवस्था के वृद्धि की दर ब्याज दर या लोक उधार की लागत से अधिक हो, तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात के स्थिर रहने की संभावना है बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य या धनात्मक हो या मामूली ऋणात्मक हो। दर विस्तार (स.रा.घ.उ. वृद्धि दर-ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण गुणा दर विस्तार) उल्लिखित रहने पर, ऋण स्थिरीकरण की स्थिति बताती है कि यदि मात्रा विस्तार प्राथमिक विस्तार सहित शून्य हो तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर होगा या ऋण अंततः दृढ़ हो जायेगा। दूसरी ओर, यदि प्राथमिक विस्तार मात्रा विस्तार सहित ऋणात्मक हो जाता है, तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात बढ़ता रहेगा और यदि धनात्मक हो, तो ऋण स.रा.घ.उ. अनुपात अंततः गिरेगा।

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
उधार निधियों की सकल उपलब्धता	कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है और उधार निधियों की सकल उपलब्धता को दर्शाते हुए ऋण मोचन में ऋण प्राप्तियों के उपयोग की गयी सीमा को इंगित करता है।
विनियोग लेखे	विनियोग लेखे विधान सभा द्वारा प्राधिकृत बजट अनुदानों में प्रत्येक दतमत अनुदानों और भारित विनियोग के अधीन निधियों की कुल राशि (मूल व अनुप्रक) के सापेक्ष प्रत्येक के विरुद्ध वहन किया गया वास्तविक व्यय और प्रत्येक अनुदान या विनियोजन के अधीन खर्च न किए गए प्रावधान या आधिक्य प्रस्तुत करते हैं। अनुदानों से अधिक किसी भी व्यय का विधानमंडल द्वारा विनियमन आवश्यक है।
स्वायत निकाय	स्वायत निकाय (सामान्यतः निबंधित सोसायिटयाँ या वैधानिक निगम) तब स्थापित किये जाते हैं जब यह अनुभव किया जाता है कि नियत कार्यों का निर्वहन शासकीय स्थापना के बाहर कुछ मात्रा में स्वतंत्रता और लचीलेपन सहित सरकारी मशीनरी के दिन-प्रतिदिन हस्तक्षेप के बिना करने की आवश्यकता है।
प्रतिबद्ध व्यय	राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन व मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं सब्सिडी जिन पर वर्तमान कार्यपालिका का सीमित नियंत्रण है सम्मिलित होते हैं।
राज्य कार्यान्वयन योजना	राज्य कार्यान्वयन अभिकरण में गैर-सरकारी संगठन जो राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों यथा सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन सोसायटी और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इत्यादि को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार से निधि प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत है सहित कोई संगठन/संस्थान सम्मिलित होते हैं।
आकस्मिकता निधि	विधानमंडल ने विधि द्वारा अग्रदाय के रूप में एक आकस्मिकता निधि स्थापित किया है जिसमें समय समय पर ऐसी राशि, जैसा विधि द्वारा तय किया जाये, डाली जाती है और उक्त निधि को अनपेक्षित व्यय की पूर्ति हेतु निधि से अग्रिम देने के लिए राज्यपाल के नियंत्रण में रखा जाता है, ऐसा व्यय संविधान के अनुच्छेद 115 या 116 के अंतर्गत विधि द्वारा विधानमंडल से स्वीकृति के लिए लंबित होता है।
राज्य की समेकित निधि	भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत गठित किया गया है जिसमें सभी प्राप्तियाँ राजस्व एवं ऋण प्रवाह सभी समेकित निधि से सभी दत्तमत एवं भारित सभी व्यय विनियोग द्वारा होता है। इसके दो प्रमुख भाग हैं जिनके नाम राजस्व लेखे (राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय) एवं पूंजीगत लेखा (लोक ऋण एवं उधार इत्यादि), शामिल है।
आकस्मिक देयता	आकस्मिक देयता को अलग एवं स्वतंत्र इकाई के रूप में व्यय किया या नहीं भी किया जा सकता है यह भविष्य के घटना के परिणाम पर निर्भर करता है जैसे कोर्ट केस।
शोधन निधि	एक निधि जिसमें सरकार कुछ समय से ऊपर तक अपने ऋण से मुक्ति के लिए अलग रख दिया जाता है।

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
गारंटी विमोचन निधि	गारंटियाँ ऋण लेनेवालों, जिन्हें गारंटी दी गयी है, के द्वारा चूकों की स्थिति में राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक दायित्व होती हैं। गारंटी विमोचन निधि की शर्तों के अनुसार, राज्य सरकार को वर्ष के दौरान बकाया अवलंबित गारंटियों के कम से कम 1/5वें भाग के बराबर की राशि तथा वृद्धिशील गारंटियों के कारण संभाव्य अवलंबित राशि का योगदान करना होता है।
आंतरिक ऋण	आंतरिक ऋण में भारत के लोगों से लिया गया नियमित ऋण सम्मिलित होता है जिसे 'भारत में उदग्राहित ऋण' भी कहा जाता है। यह समेकित निधि में जमा ऋण तक ही सीमित है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय का अर्थ है ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व व्यय।
पुनर्विनियोग	अर्थात विनियोग के एक प्राथमिक इकाई से इसी प्रकार की अन्य इकाई में निधियों का अंतरण।
अव्ययित प्रावधानों का प्रत्यर्पण	वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व राज्य सरकार के विभागों को उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों एवं विनियोगों में अवलोकित सभी पूर्वानुमानित अव्ययित प्रावधानों को वित्त मंत्रालय को प्रत्यर्पित करना होता है।
पूरक अनुदान	संविधान के अनुच्छेद 114 के प्रावधानों के अनुसार बनायी गयी किसी विधि द्वारा प्राधिकृत राशि जिसे वर्त्तमान वितीय वर्ष में किसी विशेष सेवा के लिए व्यय किया जाना है यदि उस वर्ष के उद्देश्य हेतु अपर्याप्त पाया जाता है या जब वर्त्तमान वित्त वर्ष के दौरान किसी 'नयी सेवा', जो उस वर्ष के मूल बजट में नहीं रखा गया हो, पर पूरक या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न होती है तो सरकार को संविधान के अनुच्छेद 115(1) के प्रावधानों के अनुसार पूरक अनुदान या विनियोग प्राप्त करना है।
उचंत एवं विविध	प्राप्तियाँ एवं भुगतान की मदं जिन्हें उनकी प्रकृति संबंधी सूचना के अभाव या किन्हीं अन्य कारणों से प्राप्ति या प्रभार के अंतिम शीर्ष में तुरंत नहीं लिया जा सकता है, अस्थायी रूप से लेखाओं के "एल. उचंत एवं विविध" क्षेत्र में मुख्य शीर्ष "8658-उचंत लेखा" के अधीन रखा जा सकता है (अतिरिक्त मार्गदर्शन के लिए लेखाओं के मुख्य/लघु शीर्ष की सूची में मुख्य शीर्ष के अधीन फुटनोट देखा जा सकता है)। सेवा प्राप्ति जिसका पूर्ण विवरण नहीं दिया गया हो को "उचंत लेखा" शीर्ष में नहीं लिया जाना चाहिए बल्कि राजस्व मुख्य शीर्ष के अधीन उस लघु शीर्ष "अन्य प्राप्तियाँ" जिससे यह संबंधित प्रतीत होता हो में क्रेडिट किया जाना चाहिए जो विस्तृत विवरण की प्राप्ति पर अंततः उचित शीर्ष में जमा करने तक लंबित रहेगा।
लोक लेखा समिति	राज्य के विनियोग लेखे, राज्य की वार्षिक वित्तीय विवरणियाँ या इसी प्रकार के अन्य लेखे या वित्तीय मामलों से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन या समिति स्वयं जिनकी जाँच आवश्यक समझे के परीक्षण के लिए विधान सभा द्वारा गठित एक समिति।

परिवर्णी शब्द	पूरा नाम
ए.सी. विपत्र	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र
ए.ई.	समस्त व्यय
बी.ई.	बजट प्राक्कलन
सी.ए.जी.	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
सी.ई.	पूँजीगत व्यय
डी.सी. बिल	विस्तृत आकस्मिक व्यय
डी.ई.	विकासात्मक व्यय
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
स.रा.घ.उ.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
एफ.आर.बी.एम.	बजट प्रबंधन एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम, 2005
ओ. एण्ड एम.	प्रचालन एवं अनुरक्षण
पी.ए.सी.	लोक लेखा समिति
आर.ई.	राजस्व व्यय
आर.आर.	राजस्व प्राप्तियाँ
एस. एण्ड डब्ल्यू	वेतन और मजदूरी
एस.एस.ई.	सामाजिक क्षेत्रगत व्यय
ਟੀ.ई.	कुल व्यय
चौ.वि.आ.	चौदहवाँ वित्त आयोग
यू.सी.	उपयोगिता प्रमाण-पत्र
वी.ए.टी.	मूल्य वृद्धि कर
ए.सी. विपत्र	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र